लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
[Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30—शुक्रवार, 2 जुलाई, 1971/11 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 30—Friday, July 2, 1971/Asadha 11, 1893 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
871.	भारत पर विदेशी ऋण	India's Foreign Debt	1—3
872.	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान किराये में वृद्धि	Increase in Air Fare by Indian Airlines	3—4
874.	राज्यों के ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना	Writing off of States Debt .	4—6
875.	इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर	Agreement signed between the Management and the Employees of Indian Airlines	6—9
876.	बिहार को वित्तीय सहायता .	Financial Assistance to Bihar	9—10
877.	अपनी आय से अधिक व्यय कर रहे राज्यों को विशेष सहायता	Special Assistance to States incurring Expenditure in excess of their Income.	10—11
879.	बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने के लिये गुजरात के दो पत्तनों को शामिल करना	Inclusion of two ports of Gujarat for Development as Major Ports . .	11—12
880.	सरकारी उपक्रमों में स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करना	Fixation of Pay of Government Employees their Permanent Absorption in Public Undertakings . . .	12—14
881	राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Commission on N. F. C. Organisation . . .	14—15
882.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापतनम् द्वारा निर्मित जहाजों पर राजसहायता और उनके मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में नीति	Policy for Pricing and Subsidy on Ships built by the Hindustan Shipyard, Visakhapatnam	15
884.	विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु को ऋण	Loan to Tamil Nadu by World Bank	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था

*The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/ PAGES
885.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को परियोजनाओं के लिये धन एकत्र करने के सम्बन्ध में अनुमति की मांग	Permission sought by U.P. Government Re: Mobilising of Funds for States Projects	18
अल्प-सूचना प्रश्न S.N.Q. No.			
4.	होस्पेट इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Hospet Steel Plant . .	18—22
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
873.	बम्बई में हैंगर कम्पलैक्स के निर्माण पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Hanger Complex at Bombay	22—23
878.	भारत सहायता संघ के जरिये फ्रांस से अधिक सहायता	Increased assistance from France through Aid India Consortium . .	23
883.	कराधान आयोग	Taxation Commission . . .	23
886.	पालम तथा अन्य हवाई अड्डों पर धातु खोजक (मैटल डिटेक्टर) यंत्रों का लगाया जाना	Installation of Metal Detectors at Palam and other Airports . .	23—24
887.	लीड बैंक योजना	Lead Bank Scheme . . .	24—25
888.	गुजरात पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस	Strike Notice Served by Gujarat Port and Dock Workers' Federation .	25
889.	1969-70 में बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकार ग्रहों द्वारा कर-अपवंचन	Tax Evasion by Birlas and others in 1969-70	25
890.	कानपुर हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाएं	Facilities for Passengers at Kanpur Airport	25—26
891.	ग्रुप उपादान एवं जीवन बीमा योजना के प्रति प्रतिक्रिया	Response for Group Gratuity-*Cum*-Life Insurance Scheme . . .	26—27
892.	कर के ढांचे और राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में अध्ययन	Study on Tax Structure and Distribution of National Income . . .	27
893.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नये विश्व-विद्यालयों की स्थापना	Setting up of New Universities during Fourth Plan	27
894.	घूस लेने पर आयकर अधिकारियों को दण्ड	Punishment to Income-Tax Officers for accepting bribes . . .	27—28
895.	नेशनल रेयन कारपोरेशन, बम्बई के वार्षिक सामान्य अधिवेशन के बारे में निदेशकों में मतभेद	Differences between Directors over Annual General Meeting of National Rayon Corporation, Bombay . .	28
896.	विश्व बैंक द्वारा राज्यों को ऋण	Loans to States by World Bank .	28—29

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
897.	संयुक्त स्कंध (ज्वाइंट स्टाक) कंपनियों के अदत्त और अयाचित लाभांश की धनराशि	Unpaid and Unclaimed Dividends of Joint Stock Companies . . .	29
898.	कोचीन सीमा शुल्क विभाग में तस्करी को रोकने के लिए सुविधाओं की कमी	Inadequacy of Facilities to Check Smuggling in Cochin Customs . .	29
899.	विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों का विमान सेवा द्वारा मिलाया जाना	Air Service to link up Important Towns in various States	30
900.	मंडापम से रामेश्वरम तक समुद्र पर सड़क पुल	Road Bridge across the sea from Mandapam to Rameshwaram . . .	30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3679.	रामपुर के नवाब के बहुमूल्य आभूषण	Valuables belonging to the Nawab of Rampur	30
3680.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्यकरण	Functioning of Central Road Transport Corporation	31
3681.	विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank . . .	31—32
3682.	राष्ट्रीयकृत बैंकों को कृषि कार्यों के लिये ऋणों के बारे में अनुदेश	Instructions to nationalised banks re: loans for agricultural operations .	32
3683.	जनजातियों की बोलियों के लिये लिपि	Script for tribal dialects .	32—33
3684.	समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये पी० एल० 480 निधि	PL-480 fund for Social Welfare programmes	33—34
3685.	कलकत्ता से मद्रास तक की उड़ानों के दौरान विमानों का विशाखापत्तनम पर रोका जाना	Arrangements for a halt at Visakhapatnam for daily flights from Calcutta to Madras	34
3686.	कृषि पुनर्वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये कृषि विकास ऋणों में कमी	Fall in the agricultural development loans sanctioned by agricultural re: finance Corporation and Banks .	34—35
3688.	पिछड़े क्षेत्रों में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाओं को प्राप्त विकास छूट के बन्द किया जाने का प्रभाव	Impact of withdrawal of development rebate on long term industrial project in backward areas	35
3689.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loan given by industrial Financial Corporation in Madhya Pradesh . .	35
3690.	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम	Automobile Engineering Diploma Course	36
3691.	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों का नौकरियों के लिए पात्र होना	Eligibility for Employment of Automobile Engineering Diploma Holders	36—37
3692.	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के लिये रोजगार के अवसर	Employment Opportunities for Diploma Holders in Automobile Engineering	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3693.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना	Opening of New Branches of Nationalised Banks	37—38
3694.	दरभंगा फोरबेसगंज सड़क के निर्माण में प्रगति	Progress in the Construction of Darbhanga Forbesganj Border Road . .	38
3695.	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में पदोन्नतियां	Promotions in Education Directorate of Delhi Administration . . .	38—39
3696.	एल्यूमिनियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Aluminium Products .	39
3697.	एयर इंडिया द्वारा होटल उद्योग आरम्भ करने का निर्णय	Decision by Air India to enter Hotel Industry	39
3698.	विदेशों से सहायता।	Aid from Foreign Countries . .	39—40
3699.	एक तेल कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अकोला शाखा को धोखा दिया जाना	Cheating of Akola Branch of the Central Bank of India by an Oil Firm .	41
3700.	मैसूर की सिद्धार्थ शिक्षा समिति को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Sidharatha Education Society, Mysore	41—42
3701.	रामपुर के नवाब तथा बेगम द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन	Violation of Customs Act and Foreign Exchange Regulations by Nawab and Begum of Rampur	42
3702.	नवाब रामपुर के बहुमूल्य आभूषण	Valuable belonging to the Nawab of Rampur	42
3703.	योगिक संस्थानों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Yogic Institutions	43
3704	हल्दिया गोदी तथा पत्तन के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि से निकाले गये व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment of persons evicted from Land acquired for Haldia Dock and Port	43
3705.	हल्दिया पत्तन और गोदी कर्मचारियों की नियुक्ति	Absorption of Haldia Port and Dock Workers	43—44
3706.	भारतीय बास्केट बाल टीम का ताइपेह का दौरा	Visit of Indian Basket Ball Team to Taipei	44
3707	राजस्थान में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिये दिये गये धन के गबन के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Misappropriation of Money granted for Construction of Border Roads in Rajasthan . .	44
3708.	मैसर्स मगनलाल छगन लाल द्वारा किलिक निक्सन का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Kilick Nixon by M/s. Maganlal Chhaganlal .	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3709.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में नागर विमानन को सुविधाएं देने का सुझाव	Proposal to open Civil Aviation facilities at Gorakhpur (Uttar Pradesh) .	45
3710.	उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for Flood Affected Areas in U.P.	45
3711.	त्रिपुरा से निष्कासित जन जातियों के व्यक्ति	Tribals ousted from Tripura	46
3712.	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में बस रहे गैर-आदिवासी	Non-Tribals settling in areas of Tripura	46
3713.	रुई के व्यापार में ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्धों में छूट	Relaxation in Credit Restrictions on Cotton trade .	46
3714.	बंगलौर में प्रबन्धक संस्थान की स्थापना	Establishment of an Institute of Management in Bangalore. . . .	47
3715.	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता	Children's Education Allowance for Posts and Telegraphs Department employees	47
3716.	गुजरात के पिछड़े हुए क्षेत्रों के कालेजों को मान्यता	Recognition to Colleges in Backward areas in Gujarat	47—48
3717.	सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार	Alternative Employment for the staff of General Insurance Companies . .	48
3718.	एयर इंडिया के जेम्बो जैट विमानों के नाम परिवर्तित करना	Change in the name of Air India's Jumbo jets	48
3719.	केन्द्रीय स्कूल संगठन के आयुक्त के पद पर नियुक्ति	Appointment of Post of Commissioner Central Schools Organisation . .	48—49
3720.	मैसूर राज्य में बीजापुर के गोल गुम्बज पर रोशनी करने की योजना	Scheme to Illuminate Golgumbaz of Bijapur in Mysore State . . .	49
3721.	हरिजनों हेतु गृह निर्माण के लिये राज्यों के वित्तीय सहायता	Financial assistance to States for construction of Houses for Harijans .	49—50
3722.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि से सहायता	Aid from U.N.I.C.E.F. . . .	50—51
3723.	जिला बालसोर (उड़ीसा) में सुवर्ण रेखा नदी पर बन रहा पुल	Bridge over river Subernarekha District Balasore (Orissa)	51
3724.	मेसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा घोषित लाभ और लाभांश	Profits and Dividends declared by M/s. Pure Drinks (Pvt.) Ltd. . . .	51
3725.	समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों का पंजीकरण	Registration of Companies under the Companies Act, 1956 . . .	52—53
3726.	देश में अन्धे व्यक्तियों के लिए संस्थाएं	Blind Institutions in the Country .	53

अता० प्र० संख्या / U.S.Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3727.	दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा अतिरिक्त रियायतों की मांग / Additional Concessions demanded by South Films Industry . . .	53
3729.	हल्दिया गोदी और पत्तन की योजना से छंटनी शुदा श्रमिक / Workers Retrenched from Haldia Dock and Port Project	54
3730.	दुर्भिक्ष-राहत कार्यों के लिये राजस्थान को सहायता / Assistance to Rajasthan for Famine-Relief Works	54
3731.	सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान / Payment of Excise Duty by Sugar Mills in Cooperative Sector . .	55
3732.	'नट और बोल्ट' पर से उत्पादन शुल्क हटाये जाने की मांग / Demand for Abolition of Excise Duty on Nuts and Bolts . . .	55
3733.	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण / Integration of Social Security Schemes	
3734.	आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने में सोने का उपयोग / Utilization of Gold for Preparation of Ayurvedic Medicines . .	55
3735.	पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से अनुदान तथा ऋण / Grants and Loans from East and West Germany	56
3736.	जर्मन संघीय गणराज्य तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां / Scholarships offered by Fedral Republic of Germany and German Democratic Republic . . .	56
3737.	पश्चिम जर्मनी तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में भारतीय छात्र / Indian students in West Germany and German Democratic Republic .	56
3738.	पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से चल रहीं परियोजनाएं / Projects being run with the Assistance of East and West Germany . .	57
3739.	पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी सहायता / Technical Assistance from East and West Germany. . .	58
3740.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जाली जमानतों पर ऋण दिया जाना / Loans advanced by nationalised banks against Bogus Securities . . .	58
3742.	केसरिया (बिहार) में पर्यटकों को सुविधाएं / Facilities for Tourists in Kesaria, Bihar	58—59
3743.	बिहार में चम्पारन जिले में डुमरिया घाट पर गण्डक नदी के ऊपर पुल का निर्माण कार्य / Construction work of Bridge over River Gandak at Dumaria Ghat in Champaran District of Bihar . .	59
3744.	नई दिल्ली स्थित इंडियन एयर लाईंस के सामान-कार्यालय में अपर्याप्त सुविधायें / Inadequate Facilities in the Cargo Office of Indian Airlines, New Delhi	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3745.	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरी के लेखों में अनियमिततायें	Irregularities in the accounts of Central Excise Collectorates . .	60—61
3746.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks	16
3747.	दिल्ली के कालेजों में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्रवेश देने के लिये मापदन्ड	Criteria for Admission to colleges in Delhi for Scheduled Castes Candidates	61—62
3748.	दिल्ली में विभिन्न कालेजों द्वारा बेचे जा रहे प्रवेश-फार्मों तथा वितरण पत्रों के मूल्यों में असमानता	Variation in Prices of Admission Forms and Prospectus sold by different Colleges in Delhi . . .	62
3749.	लापता भारतीय मालवाहक पोत महाजगंमित्र का पता लगाने के लिये किये गये प्रयत्न	Efforts made to trace the missing Indian Cargo Vessel 'Mahajagmitra'	62—63
3750.	भील आदिवासियों की शिक्षा तथा आर्थिक उन्नति	Educational and Economic uplift of Bhil Adivasis. . *	63
3751.	अमरीका से प्राप्त उपहारों का वितरण	Distribution of Gifts received from U. S. A.	63
3752.	बिहार में आय कर तथा उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Income-tax and Excise duty in Bihar	63—64
3753.	बिहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme to promote Tourism in Bihar	64
3754.	मनीपुर में नृत्य तथा संगीत का प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के लिये अनुदान	Grants to Institution Imparting Training in Dance and Music in Manipur	64
3755.	मनीपुर समाज कल्याण बोर्ड के अधीन महिलाओं के लिये चल रहे संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्कूलों से लाभ	Benefit of Condensed Course Schools for Women run under Manipur Social Welfare Board	65
3756.	मनीपुर के वार्षिक अन्तर्विद्यालय खेलकूद कार्यक्रमों में रखे गये देशीय खेलकूद	Indigenous Games and Sports introduced in Manipur Annual Inter-School Sport Meets . .	65
3757.	वैशाली में नवनिर्मित संग्रहालय में प्रदर्शनीय वस्तुओं का ले जाया जाना	Transfer of Exhibits to newly constructed Museum Building at Vaishali	66
3758.	भाड़े की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दल की लन्दन यात्रा	Visit of an Indian team to London in connection with increase in freight rates	66
3759.	निरक्षरता के बारे में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन	Survey report of UNESCO regarding Illiteracy	67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3760.	इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की शिकायतों पर पुनर्विचार करने के लिये समिति	Committee to review grievances of employees of Indian Airlines . .	67—68
3761.	सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कर रही संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions doing research in Social Sciences . . .	68
3762.	विदेशों को उच्च अध्ययन के लिये जाने वाले विद्यार्थी	Students going abroad for Higher Education	68
3763.	विकास खंडों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Development Blocks	68—69
3764.	किसानों द्वारा लिया गया दस हजार से अधिक का बैंक ऋण	Bank credit secured by Agriculturist borrowers above rupees ten thousand	69—70
3765.	एकाधिकार गृहों के संस्थागत ऋणों को साम्य अंशों में बदलना	Conversion of Institutional Loans owed by Monopoly Houses into Enquiry Shares	70
3766.	पुस्तक उद्योग तथा व्यापार का सर्वेक्षण	Survey of Book Industry and Trade	70—71
3767.	हवाई टैक्सी सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Air Taxi Service	71
3768.	नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्राचीन स्मारकों को प्रदर्शित करने तथा उनके परिरक्षण की असंतोषजनक स्थिति	Unsatisfactory conditions for displaying and preserving ancient Monuments in National Museum, New Delhi	71—72
3769.	जामनगर में एक दूसरे पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to construct a second bridge at Jamnagar	72—73
3770.	सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी	*Exgratia* payments to officers of Public Undertakings	73—74
3771.	बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली का पुनर्वर्गीकरण	Reclassification of Bombay, Calcutta and Delhi	74
3772.	दक्षिण स्थित विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का सम्मेलन	Conference of Vice-Chancellors of Southern Universities	74—75
3773.	शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जारी रखना	Continuing English as Optional Medium of Instruction	75
3774.	अध्यापकों के बच्चों को छात्र वृत्तियां देना	Scholarships to children of teachers .	75—76
3775.	नरुला फाइनेंस कम्पनी	Narula Finance Company	76
3777.	ओवर ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिये राज्यों को विशेष ऋण	Special Loans to States for Clearing Overdraft	7(

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3778.	राजस्थान में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखायें	Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan . . .	77
3779.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से आम आदमी को लाभ	Advantages to the common man from the Nationalised Banks . . .	77
3781.	मध्य प्रदेश की फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax outstanding against Firms in Madhya Pradesh .	77—78
3782.	दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance granted to Central Government Employees living in Delhi.	78
3783.	मध्य प्रदेश सरकार की ओर बकाया ऋण	Loan outstanding against Madhya Pradesh.	78
3784.	बिहार, राजस्थान और केरल पर बकाया ऋण	Loan outstanding against Bihar, Rajasthan and Kerala	78—79
3785.	हरियाणा में पिंजौर के निकट हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of an Aerodrome near Pinjore in Haryana .	79
3786.	महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस की विरासत को सुरक्षित रखना	Preservation of Heritage of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Netaji Subhas Chandra Bose	80
3787.	फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income-tax by Film Stars	80
3788.	शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में अफीम की खेती	Cultivation of Opium in Shahjahanpur (U. P.)	80—81
3789.	प्रचलन वाली मुद्रा वृद्धि	Expansion of Currency in Circulation	81—82
3790.	जामेर एयर लाइंस	Jamair Airlines	82
3791.	जामेर एयर लाइंस के पास विमान	Planes owned by Jamair Airlines	82—83
3792.	विश्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की मांग	Demand for Devaluation of Indian Rupee by World Bank . . .	83
3793.	ट्रैक्टर खरीदने के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for purchase of Tractors	83
3794.	नई दिल्ली नगर पालिका से भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये चाणक्यपुरी स्थित होटल के भवन की आंतरिक साज-सज्जा के लिये ठेका	Contract for interior decoration of Hotel Building at Chankyapuri taken over by ITDC from N. D. M. C.	84

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3795.	केरल में पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों का विकास करने के लिये कार्यवाही	Steps to develop Places of Tourist attraction in Kerala . . .	84
3796.	पश्चिम बंगाल में सुन्दर-बन का पर्यटन केन्द्र रूप में विकास करने के लिये कार्यवाही	Steps to develop Sunderban in West Bengal as a Tourist Centre . .	85
3797.	रिहायशी स्कूलों में विद्यार्थियों को योग्यता छात्र वृत्ति दिया जाना	Merit Scholarships for students in Residential Schools . . .	85
3798.	विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Social Welfare of various States . .	85
3799.	मूल्य से अधिक के बीजक बनाने और मूल्य से कम के बीजक बनाने के मामले	Cases of over-invoicing and under-invoicing	86
3800.	नये सेन्ट्रल स्कूलों का खोला जाना	Opening of New Central Schools	86—87
3801.	दिल्ली से कानपुर तक विमानों की दैनिक उड़ाने	Daily flights from Delhi to Kanpur	87
3802.	बाल कल्याण योजनायें	Child Welfare Schemes .	87—88
3803.	औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in the Prices of Industrial Goods	88
3804.	कन्नानूर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स द्वारा प्राप्त विदेशी ऋणों पर देय ब्याज पर आयकर से छूट	Exemption from Income-tax on interest payable on Foreign Loans received by Cannanore Cooperative Spinning Mills . .	88
3805.	केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की डिग्रीपूर्व परीक्षा को इंटरमीडिएट परीक्षा के बराबर मान्यता देना	Recognition of Pre-Degree Examination of Kerala and Calicut Universities as equivalent to Intermediate Examination. . .	89
3806.	सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण	Working of Public Undertakings	89—90
3807.	सरकारी उद्यम ब्यूरो	Bureau of Public Enterprises	90—92
3808.	गढ़वाल में विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of a University in Garhwal	92
3809.	मध्य प्रदेश में पक्की और कच्ची सड़कें	Surfaced and Un-surfaced Roads in Madhya Pradesh . .	92—93
3810.	उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks in Garhwal District, U. P. . .	93—94
3811.	सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Over Staffing in Public Undertakings	94—95
3812.	विदेशों में बुद्ध-स्मारकों की मरम्मत	Repairing of Buddhist Monuments in Foreign Countries . . .	95

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/ PAGES
3813.	बिहार के दरभंगा जिले में प्रायोगिक शिक्षा परियोजना का चलाया जाना	Operation of Educational Pilot Project in Darbhanga District, Bihar .	95
3814.	लोक कला में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की योजना	Scheme to encourage Research in Folk Art. . . .	96
3815.	लोक नृत्यों और लोक गीतों का विकास	Development of Folk Dances and Folk Songs	96
3816.	कलाकारों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Artists .	96—97
3817.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में वितरण के लिये हिन्दी पुस्तकों की खरीद	Purchase of Hindi Books by Central Hindi Directorate for Distribution in Non-Hindi Speaking Areas .	97—98
3818.	बिहार के गया जिले में रामशिला पहाड़ी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Ramsheela Hill in Gaya City of Bihar as a Tourist Centre	98
3819.	दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूलों के लिये इमारतों का निर्माण	Construction of Buildings for Central Schools in Delhi.	98—99
3820.	रुपये उधार देने के बारे में ठक्कर समिति का प्रतिवेदन	Thakkar Committee Report on Money Lending.	99
3821.	नेशनल रेयन कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of National Rayon Corporation. . . .	99—100
3822.	केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर का लगाया जाना	Imposition of Tax on Central Government Property . .	100
3823.	देश में सीमेंट वाली तथा अन्य किस्म की पक्की सड़कों का अनुपात	Proportion of Cemented and other kinds of Pucca Road in the Country.	100
3824.	लखनऊ और बाबतपुर (वाराणसी) के बीच विमान-सेवा	Air-link between Lucknow and Babatpur (Varanasi).	101
3825.	बोन्डिड वेयरहाउस लाइसेंस सिस्टम में विदेशी मुद्रा की चोरी	Defalcation of Foreign Exchange in bounded Warehouse Licensing system.	101
3826.	बिहार में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by Nationalised Banks to farmers in Bihar	101
3827.	वियाना में हुई अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन की महासभा की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णय	Decisions taken at 18th General Assembly of International Civil Aviation Organisation held in Vienna. .	102
3828.	गवर्नमेंट हायर सेकण्डरी (लड़कों का) मालवीय नगर, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities made by former Principal, Government (Boys), Higher Secondary School, Malviya Nagar, New Delhi.	102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3829.	स्टेट बैंक आफ उज्जैन, मध्य प्रदेश में धन का कथित दुर्विनियोजन	Reported misappropriation of money in the State Bank of Ujjain, Madhya Pradesh. . . . . 102—103
3830.	कोचीन पत्तन की बिगड़ती हुई दशा	Deteriorating condition of Cochin Port 103
3831.	दिल्ली में तस्करी सोने की बिक्री	Sale of Smuggled Gold . . . 103—104
3832.	केरल में जौहरियों द्वारा आय-कर विनियमों का उल्लंघन	Violation of income-tax regulations by jewellers in Kerala . . . 104
3833.	सीमा शुल्क विभाग कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for the staff of Customs Department, Cochin 104
3834.	ओबराय होटल समूह द्वारा मद्रास नगर में होटल की स्थापना	Hotel Project to be set up at Madras City by Oberoi Group of Hotels 104—105
3835.	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States . 105—106
3836.	तस्करी रोकने के लिये स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन	Amendments in Gold Control Act to Check Smuggling . . . 106—107
3837.	कोचीन मदुरै सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विस्तार	Expansion of Cochin Madurai Road as a National Highway . 107
3838.	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मै० आलकाक आशडाउन एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई को दिया गया ऋण	Loan given by State Bank of India, to M/s Alcock, Ashdown and Company Limited, Bombay . . . 107
3839.	सामान्य बीमा कम्पनियों में काम करने वाले फर्जी कर्मचारी	Dummy Employees in General Insurance Companies . . . 108
3840.	इंडियन एयरलाइंस के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Indian Airlines 108
3841.	अखिल भारतीय पेंशन प्राप्तकर्त्ता सम्मेलन में की गई मांग	Demands made in All India Pensioner's Convention . . . . . 108—109
3842.	गोआ के नाविकों द्वारा डाक्टरी परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation Regarding Medical Examination of Seamen from Goa. 109
3843.	बोरिम ब्रिज (मारमागोवा) राज्यीय तथा अन्त र्जीय यातायात का अस्त व्यस्त होना	Dislocation of Domestic and Inter-State Traffic due to non-availability of Borim Bridge (Marmagoa) . 109
3844.	राजस्थान विश्वविद्यालय के पैरा मनोवैज्ञानिक विभाग के डा० एच० एन० बनर्जी के कागजात वापिस करना	Return of belongings of Dr. H. N. Banerjee of Deptt. of Para-Psychology, Rajasthan University. . . . 109—110
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . 110—114
	भारत-ब्रिटिश व्यापार करार समाप्त करने के लिये कथित नोटिस	Reported notice of termination of Indo-British Trade Agreement . 110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
श्री बक्शी नायक	Shri Bakshi Nayak .	110
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra .	110
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	114—115
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . . .	116
अफीम की खेती के बारे में 25 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 736 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting reply to S. Q. No. 736 re. Cultivation of Opium	117
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	117
बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में	Re. Bangla Desh Refugees .	117
अनुदानों की मांगे, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72. .	118—130
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines .	118
श्री मोहन कुमारमंगलम	Shri Mohan Kumaramangalam	124
विदेश व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade	125
श्री एम० के० कृष्णनन	Shri M. K. Krishnan .	125—127
श्री सी० जनार्दनन	Shri C. Janardhanan .	128
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani .	131
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions . .	131 131
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	131
बंगला देश को मान्यता देने के बारे में संकल्प	Resolution re. Recognition to Bangla Desh	132—146
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	132
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	133
श्री इंद्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	134—135
श्री निम्बाल्कर	Shri Nimbalkar ..	136
श्री मधु दण्डवते	Shri Madhu Dandavate	136
श्री डी० के० दासचौधरी	Shri D. K. Daschowdhury	137
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon . .	138
श्री प्रिय रंजनदास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	139
श्री जम्बुवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote .	140
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	140
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	140
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	141
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	141
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	142
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao .	142

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	142—143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	144—145
दक्षिण वियतनाम की आन्तरिक क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में संकल्प	Resolution re. Recognition to Provisional Revolutionary Government of South Vietnam, etc. . . .	146—147
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	146—147
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	148
टैस्ट ब्रीडर रिएक्टर	Test Breeder Reactor	148—151
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	148
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . .	149—151

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 2 जुलाई, 1971/11 आषाढ़, 1893 (शक)

Friday, July 2, 1971/Asadha 11, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत पर विदेशी ऋण

*871. **श्री एन० ई० होरो:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की अन्तर्राष्ट्रीय कर्जदारी जो मार्च, 1968 के अन्त में 7,118 करोड़ रुपये थी, मार्च, 1969 के अन्त में बढ़कर 7,625 करोड़ रुपये हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो इस भार को कम करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) मार्च, 1968 के अन्त में भारत की विदेशी ऋण सम्बन्धी देनदारियों की बकाया रकम 6133.18 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर मार्च, 1969 के अन्त में 6822.35 करोड़ रुपये हो गयी।

(ख) भारत के निर्यात में वृद्धि करके, आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा देकर तथा आन्तरिक साधनों को जुटा कर, सरकार विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है।

श्री एन० ई० होरो: सरकार ने बताया है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने, निर्यात में वृद्धि करने, आन्तरिक संसाधन जुटाने तथा आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने इन मामलों में कौन-से विशिष्ट कदम उठाये हैं, क्योंकि हमारे ऋण प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं? सरकार को इस मामले को साधारण नहीं समझना चाहिये। सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हमने जो ब्यौरा दिया है उसके अतिरिक्त दूसरी बातों की ओर ध्यान देना होगा। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हम उसमें वृद्धि करने के लिये निरन्तर कार्यवाही कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं। 1968–69 में हमारा निर्यात 1358 करोड़ रुपये का था, 1969–70 में यह 1413 करोड़ का हुआ और 1970–71 में 1531 करोड़ रुपये का। इसी प्रकार आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी माल की खपत के लिये भी प्रयास जारी हैं। यह भी ऋण को घटाने का दूसरा तरीका है।

श्री एन० ई० होरो: यह ठीक है कि वह ऋण कम करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु वर्ष के अन्त में परिणाम यह निकलता है कि ऋणों में वृद्धि हो जाती है। इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन-से विशिष्ट कदम उठायेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा यह है कि सरकार ने जिस गम्भीरता से गरीबी हटाने का अभियान आरम्भ किया है उसी गम्भीरता से इस मामले पर ध्यान दिया जाय।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य बड़े भयभीत प्रतीत होते हैं। उन्हें इस मामले में इतना निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। वास्तविक रूप में देखा जाय तो ऋण में वृद्धि नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : ऋणों का भुगतान मत करो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हम यह रास्ता नहीं अपना सकते। जब हमारे पर ऋण हैं तो हम उनका भुगतान करना चाहते हैं और कर रहे हैं।

ऋणों की शर्तें कठिन होती जा रही हैं, क्योंकि दूसरी योजना अवधि में तथा तीसरी योजना के आरम्भिक काल में हमें कठिन शर्तों पर ऋण प्राप्त हुये हैं। परन्तु इसके पश्चात् हमें आसान शर्तों पर ऋण मिले जिससे हमारी भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ। यह तीसरा वर्ष है कि हमें ऋणों से कुछ छुटकारा मिला है। इसके दो लाभ भी हैं। भुगतान करने के पश्चात् जो हमें कुल ऋण मिलते हैं हमारे ऋणों में इतनी ही वृद्धि होती है। उतने ऋण हमें आसान शर्तों पर मिल जाते हैं। वास्तव में स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य को प्रतीत होती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: मंत्री महोदय ने ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में तीन सुझाव दिये हैं। एक समयावधि में हमने जितना ऋण लिया उसमें हमारे निर्यात से 45% ऋण का भुगतान किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी ऋणों की गणना करते हुये क्या उन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि 1975–76 तक ऋणों में निरन्तर कमी होती रहे

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न अभी तक पूरा नहीं हुआ है

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि वर्ष 1975–76 तक विदेशी ऋणों में 20 अथवा 15 प्रतिशत की कमी हो जाये ?

श्री यशन्तराव चव्हाण : चौथी योजना के दस्तावेजों में इस मामले पर प्रकाश डाला गया है। यह ठीक है कि ये केवल सम्भावनायें हैं। ये संभावनायें, बचत में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, तथा आयात को एक निश्चित सीमा में रखना आदि बातों पर निर्धारित हैं। चौथी योजना के दस्तावेजों में इन बातों पर कुछ प्रकाश डाला गया है, परन्तु मैं उन्हें यहाँ उद्धृत करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। एक बात स्पष्ट है कि 1980–81 तक स्थिति काफी सुधर जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : जितना बड़ा प्रश्न पूछा जाय उतना ही छोटा उत्तर दिया जाना चाहिये तथा जितना छोटा प्रश्न पूछा जाय उतना ही बड़ा उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री राम सहाय पांडे: हमने ब्याज आदि के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया है ? धन का उपयोग भी नहीं किया जाता है और हमें उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। क्या उनके पास आँकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ब्याज आदि से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री राम सहाय पांडे : सरकार किसी योजना विशेष के लिये ऋण लेती है। योजना को कार्यरूप नहीं दिया जाता है। सरकार धन का उपयोग नहीं कर पाती है परन्तु हमें ब्याज आदि के रूप में कुछ न कुछ देना होता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। धन का उपयोग किया जाता है। उसे ऐसे ही अनिर्णीत स्थिति में पड़े नहीं रहने दिया जाता। कुछ धन राशि को अभी उपयोग में नहीं लाया गया है। यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बकाया ऋणों पर कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ता है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सूचना मैं आपको दे सकता हूं। यह सूचना उन ब्याजों के विषय में हैं जो हमें भुगतान करने होते हैं। पहली योजना के दौरान हमने 220 लाख डालर मूल के रूप में दिया था तथा 280 लाख डालर ब्याज के रूप में। दूसरी योजना के दौरान 1160 लाख डालर मूल के रूप में दिया तथा 1350 लाख डालर ब्याज के रूप में। यह सब से कठिन समय था। हमने कठिन शर्तों पर ऋण लिये थे। उसके पश्चात् स्थिति में परिवर्तन आया। मैंने इसे विस्तार के साथ इसलिये बताया है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि प्रश्न जितना छोटा हो उत्तर उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसलिये मुझे अधिक सूचना देनी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पाणिग्रही को हतोत्साहित करना चाहता था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विस्तार से उत्तर देने के लिये अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूं। तीसरी योजना के दौरान 6420 लाख डालर मूल और 4980 लाख डालर ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। 1966–67 के दौरान 2130 लाख डालर मूल के रूप में, 1530 लाख डालर ब्याज के रूप में भुगतान किया। 1967–68 के दौरान 2810 लाख डालर मूल के रूप में तथा 1630 लाख डालर ब्याज के रूप में भुगतान किया। 1968–69 के दौरान 3150 लाख डालर मूलधन के रूप में लौटाया तथा 1850 लाख डालर ब्याज के रूप में।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान किराये में वृद्धि

*872. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने हाल ही में विमान किराये में वृद्धि करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने की अनुमति मांगी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किरायों में, पूर्वी क्षेत्र को छोड़ कर, जहां कि वृद्धि 7% तक सीमित की जायेगी, सभी क्षेत्रों में 15% की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह 1-7-1971 से लागू हो गयी है।

श्री एम० एम० जोजफ पूर्वी क्षेत्रों तथा देश के दूसरे भागों के सम्बन्ध में किराया वृद्धि में भेद भाव बरतने के क्या कारण है ?

डा० सरोजिनी महिषी : इसका एकमात्र कारण यह है कि पूर्वी क्षेत्र में यातायात सुविधायें बहुत कम हैं और यह पर्वतीय क्षेत्र है। यातायात का कोई दूसरा सुविधाजनक साधन नहीं है। अतः पूर्वी क्षेत्र के लोगों को अच्छी सुविधायें देने के लिये देश के दूसरे भागों की तुलना में किराया कुछ कम रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 874 पर आते हैं।

राज्यों के ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना

*874. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, राज्य सरकारों पर इस समय बकाया लगभग, 8,000 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डालने की मांग पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में, न तो औपचारिक तौर पर भारत सरकार से कोई विशेष मांग की गई है और न ही भारत सरकार उसे स्वीकार करने की स्थिति में है ।

श्री पी० गंगादेव : क्योंकि जमा राशि से अधिक धन व्यय करने पर मुद्रा स्फीति का भय है. तो सरकार राज्यों को रिज़र्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक राशि निकालने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्य सरकारों पर वित्तीय अनुशासन बरतने के लिये दबाव डालना अति आवश्यक है। मैंने इस वर्ष दोनों बजटों में इस बात का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिये। वास्तव में यह एक गम्भीर वित्तीय समस्या है। निश्चित राशि से अधिक राशि को लौटाने के विषय में हमने एक उपाय निकाला है। मेरे विचार से परसों भुगतान की अन्तिम तिथि थी। हमने एक उपाय निकाला है कि अग्रिम राशियां केन्द्रीय अनुदानों से भुगतान की जायें तथा ऋण और अंश केन्द्रीय कराधान आदि से जो जुलाई में देय होते हैं। कुछ भाग का भुगतान किया जायेगा। अर्थोपाय की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हमने राज्य सरकारों को ऋण, देने की व्यवस्था बनायी है। 300 करोड़ रुपये की अधिक राशि निकाल लेने से क्या प्रभाव पड़ेगा सदन इस ओर ध्यान दे। आठ राज्यों द्वारा भुगतान किये जाने वाले अर्थोपाय ऋण 197.45 करोड़ के लगभग हैं। अधिक राशि निकालने के लिये हमने अर्थोपाय ऋणों की व्यवस्था की है और वर्ष की शेष अवधि में इस राशि को निश्चित रूप से समायोजित किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : उड़ीसा की पहली मिली जुली सरकार ने बिना किसी हिचकिचाहट के रिज़र्व बैंक से निश्चित राशि से कहीं अधिक धन राशि निकाली थी। यह अच्छी बात नहीं है। उड़ीसा की तरफ आज तक कितनी राशि बकाया है और राज्य की इस स्थिति के समाधान के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दूसरे राज्यों की तुलना में उड़ीसा की स्थिति अधिक गम्भीर नहीं है। उड़ीसा ने वित्तीय अनुशासन दिखाया है क्योंकि मेरे पास जो सूची है उसमें उड़ीसा का नाम नहीं है। राज्यों को अपने आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिये और योजना में जो व्यवस्था उनके लिये की गयी है उससे आगे उन्हें नहीं जाना चाहिये। उन्हें योजना से भिन्न व्यय भी नहीं करना चाहिये। कार्य करने के लिये ये तीन निर्देश हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम्: किन राज्यों को अग्रिम राशियां दी गयी हैं और क्या किसी राज्य ने भारत सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि भुगतान की सूची में कुछ परिवर्त्तन किये जायें जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यों से ऐसे अनुरोध आते रहते हैं परन्तु आपको किस विषय में जानकारी चाहिये।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम्: तमिलनाडु के विषय में।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तमिलनाडु की स्थिति ऐसी थी कि हमें 27.75 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि उन्हें देनी पड़ी और शेष अधिक धन राशि निकालने के लिये 43.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था अर्थोपायों के रूप में करनी पड़ी जो वर्ष की शेष अवधि में समायोजित की जायेगी।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जिन आठ राज्यों का उल्लेख किया है, उनका नाम क्या हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, केरल, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडु।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रही हैं कि राशियां शीघ्र उपलब्ध करायी जायें जिससे उन्हें रिज़र्व बैंक से अधिक राशि निकालने की आवश्यकता न पड़े ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यों की अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है। परन्तु यह सारी स्थिति तीन बातों पर निर्भर है। सर्वप्रथम वे अपने आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करने के प्रयत्नों में नहीं जुटे हैं।

श्री के० मनोहरन : वह गलत कह रहे हैं। राज्य सच्चाई के साथ प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सदैव ही गलत कहता हूं माननीय सदस्य सदा सही कहते हैं। यही कठिनाई है। मैं किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे राज्यों से पूरी सहानुभूति है और उनकी स्थिति की जानकारी है। राज्यों की समस्यायें हमारी समस्यायें हैं परन्तु राज्यों को भी यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि केन्द्र की समस्यायें उनकी अपनी समस्यायें हैं। इसी भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं।

यें तीन ढंग हैं, जिनसे हमें कठिनाईयों का सामना करना है। सर्वप्रथम, योजना की रूपरेखा बनाते समय योजना आयोग से राज्य जिन आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने को सहमत हुए थे उनके लिये आवश्यक प्रयत्न किये जाने चाहियें। राज्य जो वायदे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते, दूसरे योजना से बाहर जो कुछ तय हुआ है उससे भी आगे जाते हैं, तीसरे, योजना स्तर से भिन्न मदों पर व्यय अधिक किया जाता

है। इन बातों के लिये सावधानी बरतनी होगी। चौथी योजना की अवधि के लिये इसके लिये उपाय के रूप में विशेष सहायता देने के लिये हमने 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। आपने देखा होगा इस वर्ष के बजट में विशेष सहायता के लिये 120 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

परसों मैंने रिज़र्व बैंक के गवर्नर तथा योजना मंत्री से विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया था कि इस समस्या का सामना किस प्रकार किया जाये, क्योंकि हमारे लिये ही नहीं अपितु राज्यों के लिये भी यह समस्या कठिन बनती जा रही है। केन्द्र के संसाधन भी सीमित ही हैं। संसाधन बढ़ाने के लिये हम यहां आते हैं और आपकी आलोचनायें सुनते हैं। अतः राष्ट्र के संसाधन ज्यों के त्यों हैं। इसलिये हमने इस प्रश्न पर विचार किया और राज्यों को समस्याओं तथा कठिनाइयों के विषय में राज्यों से अलग-अलग विचार विमर्श करने का विचार है। हम उन्हें कुछ परामर्श देंगे तथा उनसे सुझाव लेंगे। यही एक रास्ता है जिससे समस्या का सामना किया जा सकता है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

*875. **श्री निहार लास्कर** †:

श्री राम कंवर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों और एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के बीच हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते कि मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त समझौते का निगम पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) संघ के मांग पत्र के पूर्ण एवं अन्तिम निपटान के रूप में 2 जून, 1971 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत लगभग आठ हजार कार्मिकों के अधिकांश वर्ग आ जाते हैं। करार में, जो कि 1969–70 से लागू होगा, कई वेतन मानों का पुनरीक्षण, उपलब्धियों में वृद्धि जो कि कम से कम 60/- रुपये प्रतिमास होगी, 30/- रुपये से 35/- रुपये तक परिवहन भत्ते की अदायगी, एवं धुलाई भत्ते, उड़न भत्ते तथा भोजन भत्ते में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता तथा कार्यकुशलता आदि में सुधार के लिए कुछ उपायों की व्यवस्था है।

(ग) करार के परिणाम स्वरूप कारपोरेशन का व्यय इस प्रकार होगा :

1969–70	– – – –	107 लाख रुपये
1970–71	– – – –	112 लाख रुपये
1971–72	– – – –	154 लाख रुपये
1972–73	– – – –	164 लाख रुपये

श्री निहार लास्कर : यह प्रसन्नता की बात है कि कमचारियों और प्रबंधकों के मध्य औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये अब ठोस कदम उठाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जनता सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेगी और उसे हड़ताल आदि जैसी दिक्कतों का बार-बार सामना नहीं करना पड़ेगा ?

डा० सरोजिनी महिषी: इन उपायों से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इण्डियन एयरलाईन्स की सेवाएं कुशलतापूर्वक चलती रहेंगी। यह करार मार्च 1972 तक लागू रहेगा। 'ग्रेड एक' से 'ग्रेड छः' तक की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने यह आश्वासन दिया है कि वे एयरलाईन्स के अपने कर्तव्यों के पालन में पूरा सहयोग देंगे।

श्री निहार लास्कर : इस समझौते से निगम के वित्तीय दायित्व में वृद्धि हुई है क्या इसी कारण किराये में वृद्धि की गई है? क्या कार्यकुशलता बढ़ा कर इस दायित्व को पूरा नहीं किया जा सकता?

डा० सरोजिनी महिषी : विमान यात्रा किराये में वृद्धि का एक कारण यह भी है, किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं। कलकत्ता और अगरतला के मध्य अब वायुयानों को चक्कर काट कर जाना पड़ता है जिससे $2\frac{1}{2}$ घंटे के स्थान पर $7\frac{1}{2}$ घंटे लगते हैं। अब विमान अपहरण का खतरा बढ़ जाने से बीमे की अतिरिक्त राशि एक करोड़ तक पहुंच गई है। सब मिला कर एक वायुयान के लिए यह लागत 3.7 करोड़ रुपये बैठती है।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में सरकार ने दो वर्ष का समय क्यों लगाया? इस दीर्घ विलम्ब के कारण बम्बई की एवरो-748 सेवा में बाधा पड़ी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहले की तरह यह सेवा बनी रहेगी और क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों के साथ एक और समझौता हो जाए जिससे कि यह उड़ानें बंद न करनी पड़ें?

डा० सरोजिनी महिषी : कर्मचारियों की मांगें मई 1969 में प्रबन्धक वर्ग के समक्ष पेश की गई थीं और उसके तुरन्त बाद प्रबन्धक वर्ग ने संघों के साथ बातचीत करने का प्रयत्न किया। बातचीत 1969 के सितम्बर-अक्तूबर में तथा जनवरी 1970 में भी की गई लेकिन कोई समझौता न हो सका। उसके तुरन्त बाद समाधान खोजने का प्रयत्न किया गया परन्तु यह प्रयत्न भी असफल रहा।

इसके बाद यह मामला नवम्बर 1970 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया, लेकिन उसके साथ-साथ श्रमिकों और प्रबन्धक वर्ग के बीच भी बातचीत चलती रही। अन्ततः 2 जून 1971 को प्रबन्धक वर्ग एक विशिष्ट समझौते पर राजी हो गया और न्यायालय ने भी इसकी स्वीकृति दे दी।

अतः इस मामले में समय बर्बाद नहीं किया गया। बातचीत लगातार चलती रही। कुछ परिस्थितियों के कारण बातचीत सफल नहीं हुई और इसलिए काफी समय लग गया। मजदूरों द्वारा की गई मांगों के अतिरिक्त, प्रबन्धक वर्ग की भी विशिष्ट उत्पादकता सम्बन्धी कुछ शर्तें थीं। मजदूरों ने पहले भी ये शर्तें स्वीकार नहीं की थीं। अतः विशेष समझौता निष्पन्न करने में विलम्ब होना स्वाभाविक था।

एवरो-सम्बन्धी मामले का इस विशिष्ट मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था। विमान चालकों के अनुसार, इंजिन के खराब पुर्जों से सम्बन्धित वह एक अलग मामला था..... (**व्यवधान**)।

श्री ए० पी० शर्मा: सरकारी कर्मचारियों के नए वेतनमानों का मामला वेतन आयोग को सौंपा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समझौते और वेतन संशोधन पर वेतन आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा अथवा यह वेतन आयोग की सिफारिशों से निरपेक्ष है या उसके अधीन है?

डा० सरोजिनी महिषी: यह चूंकि द्विपक्षीय मामला है अतः यह वेतन आयोग की सिफारिशों से निरपेक्ष है।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौते में ऐसा कोई खंड है जिसके अनुसार सरकार इण्डियन एयरलाईन्स के कार्यकरण की जांच अपने विभाग द्वारा कराएगी, क्योंकि इण्डियन एयरलाईन्स को बड़े अधिकारियों के दुराग्रह के कारण दो-तीन महीनों के भीतर भारी क्षति उठानी पड़ी है? यह अधिकारी 1200 रुपये प्रति माह वेतन पर नियुक्त किए गए थे और यह 3000 रुपये के लगभग वेतन पा रहे हैं। और इंडियन एयरलाइन्स को भारी हानि हुई है? क्या इस कुप्रबन्ध की छान-बीन की जायगी (**घंटी बजी**), अध्यक्ष महोदय, इस घंटी का क्या अर्थ है?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं अपितु सुझाव है।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैंने यह पूछा है कि क्या कोई ऐसा खंड है सिजकी वजह से..... मंत्री महोदय इसका हां अथवा नहीं में उत्तर दें। मेरा प्रश्न संगत है।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ सुझाव दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : नहीं महोदय, मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या समझौते में ऐसा कोई खंड है और इसका उत्तर वह हां या नहीं में दे सकते हैं। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता। प्रश्न पूछने का यह गलत तरीका है।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं अपनी वैयक्तिक जानकारी के आधार पर कह रहा हूं और चाहता हूं कि सदन इसका उपयोग कर सके। अतः मैं मंत्रालय से यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि आपकी वैयक्तिक जानकारी का स्वागत है, फिर भी मैं नियमों से बंधा हूं। हमें नियमों के अनुसार चलना है।

डा० सरोजिनी महिषी : सदन को अतिरिक्त वैयक्तिक जानकारी दिलाने के लिए मैं माननीय सदस्य की आभारी हूं। समझौते में एक ऐसा खंड है और इसका क्रियान्वयन आवश्यक है। हो सकता है कि कुछ मामलों में इस खंड के क्रियान्वयन न किए जाने के कारण कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हुई हो किन्तु बड़े और छोटे सभी कर्मचारियों के काम का निरीक्षण किया जाता है।

श्री वरके जार्ज : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब आपसी विवाद की समाप्ति पर विमान सेवाओं को पहले की भांति पुनः चालू किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या सभी विमान सेवाएं चालू कर दी गई हैं या चालू की जायेंगी?

डा० सरोजिनी महिषी : प्रायः सभी विमान सेवाएं चालू कर दी गई हैं। एक दो बाकी हैं जोकि 10 जुलाई से शुरू हो जाएंगी।

कुछ मानवीय सदस्य खडे हुए—

डा० सरोजिनी महिषी : मुझे वाक्य तो पूरा करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : केरल कोचीन की पांच विमान सेवाओं में से इस समय केवल एक ही चालू है।

श्री ए० पी० शर्मा : पटना को छोड़कर सभी जगह सेवाएं चालू हो गई हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : प्राय: सभी प्रमुख मार्गों पर सेवाएं चालू कर दी गई हैं। दूसरे मार्गों पर, कानपुर तथा दिल्ली के बीच जबकि पहले हफ्ते में तीन बार विमान जाते थे अब यह विमान सेवा रोज उपलब्ध होगी। अन्य विमान सेवाएं भी चालू रहेंगी।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं? मंत्री महोदया को उत्तर देने दीजिए।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं यह जानना चाहता हूं कि समझौते के बाद कुल परिचालन लागत व्यय के अनुपात में मज़दूरी बिल कितने प्रतिशत बढ़ा है? रुपयों का नहीं अपितु अनुपात की प्रतिशतता बताने की कृपा करें।

डा० सरोजिनी महिषी : परिचालन व्यय बढ़ गया है।

श्री राजा कुलकर्णी : किस अनुपात में बढ़ा है तथा इसकी प्रतिशतता क्या है?

डा० सरोजिनी महिषी: प्रति हवाई किलोमीटर की परिचालन लागत 1.50 से बढ़कर 1970 में 1.90 हो गई है।

Financial Assistance to Bihar

*876. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar is facing acute financial crisis;

(b) if so, whether the State Government has sought financial assistance from the Government of India to overcome the said crisis; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक के इस अनुरोध पर कि राज्य सरकार अपने ओवरड्राफ्ट की रकम जून, 1971 के अन्त तक चुका दे, बिहार सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से आवश्यक सहायता के लिये अनुरोध किया था। तदनुसार, राज्य सरकार को 30 जून को अर्थोपाय अग्रिम दिया गया था ताकि वह उस दिन तक की ओवरड्राफ्ट की रकम चुका दे। अग्रिम रकम की चालू वित्तीय वर्ष में ही वसूल की जायगी।

मैं समझता हूं कि मैंने पिछली दफा प्रश्न का उत्तर देते समय इस प्रश्न के बारे में सारी जानकारी दे दी थी और उसमें अन्य राज्यों के साथ बिहार भी शामिल था।

Shri Ramavatar Shastri : Bihar is a very backward State. Its economic condition is the worst of all. Things have come to such a pass that sufficient funds are not left even for the payment of the salaries of the Government employees. This loan has been given to repay the amount of overdraft. I want to know how much loan have been given to Bihar Government uptill now and is it a fact that Bihar Government has been requesting time and again to write off the interest? If so, what has he to say about it?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बिहार सरकार ने निश्चय ही कई बार केन्द्रीय सहायता आदि का प्रश्न उठाया है और वहां जब कभी भी प्राकृतिक प्रकोप हुआ है हमने उनकी मांगों पर विचार किया है तथा केन्द्र की ओर से वहां सहायता हेतु दल भेजे हैं तथा उन्हें आवश्यक अनुदान दिया गया है। जहां तक कर्जे में राहत देने का सम्बन्ध है, प्रश्न केवल सूद माफ करने

तक ही सीमित नहीं, भुगतान का अर्थ मूल तथा सूद दोनों के भुगतान से है। फिलहाल सरकार कर्जा माफ करने की बात नहीं सोच रही।

Shri Ramavatar Shastri : Do the Government contemplate such a proposal by which those States which are economically backward are to be given an increased percentage of their share in the central revenue so as to enable them to stabilize their position ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सामान्य प्रश्न है। मैंने अभी परसों ही इस सम्पूर्ण प्रश्न पर चर्चा की थी। वस्तुतः हमें राज्यों के साथ बहुत सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करनी है। अतः हमने यह निश्चय किया है कि पहले राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाए ताकि समस्या के सब पहलू मालूम हो जाएं और बाद में यदि आवश्यक समझा जाए तो सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्री अथवा वित्त मंत्री से बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाए। यह कार्यवाही बजट सत्र के पश्चात् आरम्भ होगी।

Special Assistance to States Incurring expenditure in excess of their Income

***877. Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of States whose expenditure exceeds their income as per observations of the Planning Commission ;

(b) whether the amount of Rs. 175 crores provided in the current budget as special assistance for the States would be distributed among the said States only; and

(c) the amount of special assistance being granted to each State ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : तक पिछले वर्ष, योजना आयोग ने जो अनन्तिम जायजा लिया था उसके अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में, सात राज्यों, अर्थात्, असम, जम्मु और कश्मीर, केरल, मेघालय, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान का व्यय, अपरिहार्य रूप से, उनकी आय से अधिक होगा, ऐसा अनुमान था। सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार कर ली है कि इस प्रयोजन के लिए 1971–72 के केन्द्रीय बजट में जो 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है उसमें से वह राज्यों को (ऋणों के रूप में) विशेष सहायता देगी। प्रत्येक राज्य को कुल कितनी रकम दी जाएगी इसके बारे में अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है।

Shri Bharat Singh Chauhan : I would like to know whether the amount of Rs. 175 crores has been distributed in accordance with the recommendations of the last Finance Commission; if not, what are the basis of that ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिस समय केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी निर्णय और अन्य निर्णय किये गये थे, वित्त आयोग के रिपोर्ट उस समय उपलब्ध नहीं थीं। वित्त आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर उस पर विचार किया गया था और कुछ राज्यों को विशेष सहायता देना अनिवार्य समझा गया। अतः चौथी योजना की शेष अवधि में कुछ राज्यों को 800 करोड़ रुपये की राशि देने की योजना बनाई गई थी। पहले वर्ष थोड़ी सी राशि दी गई थी। दूसरे वर्ष 175 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। वास्तव में, यह राशि 198 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इस वर्ष सात राज्यों को लगभग 120 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है।

Shri Bharat Singh Chauhan : I would like to know whether the assistance to the States will be given strictly in accordance with the recommendations of the commission or the tribal States like Madhya Pradesh, Orissa and Bihar will be given more amount than the other States out of the total amount.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ये कुछ सुझाव हैं। वर्तमान निर्णय जिस आधार पर किया गया है, वह मैं आपको बता चुका हूं। मैं यह भी बता चुका हूं कि वर्तमान बजट में हम क्या कर रहे हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या आन्ध्र प्रदेश से आपको विशेष सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी उसने अपनी योजनाएं विशेष रूप से कृषि योजनाएं पूरी करने के लिए मांग की है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जी हां, आन्ध्र प्रदेश ने अपनी विशेष मांगों को पूरा करने का निर्णय किया है। किन्तु प्रश्न तो अपनी आवश्यक मांगों के लिए धन जुटाने का है।

Shri Sarjoo Pandey : Uttar Pradesh State particularly the eastern parts of its are backward. May I know the amount earmarked for U.P. State under this scheme ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए उनकी ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उचित योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार ही बनायेगी। अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देने का काम तो राज्य सरकार ही करेगी। हां, उनके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जायेगी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ।

श्री टी० बालकृष्णैया : आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले की, जो सूखा और बाढ़ का बार बार शिकार होता रहता है, स्थिति सुधारने के लिए भी वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक आकाल पड़ने और दैवी विपत्ति के प्रकोप का सम्बन्ध है, जहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसके अध्ययन के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से एक दल भेजा जाता है और उस दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मैं यह मानता हूं कि रायलसीमा और तेलंगाना की समस्याएं विचारणीय हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार उनकी ओर ध्यान दे रही होगी ।

बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने के लिये गुजरात के दो पत्तनों को शामिल करना

*879. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नावानगर वाणिज्य मंडल ने गुजरात के दो पत्तनों को बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने हेतु कुछ समय पूर्व सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था,

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक उप-समिति ने सिक्का पत्तन को एक प्राकृतिक पत्तन प्रमाणित किया है, और

(ग) गुजरात के दो पत्तनों को बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने में सरकार के सामने क्या बाधायें हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को ऐसी संस्था के निष्कर्षों का ज्ञान नहीं है।

(ग) गुजरात में पहले ही कांडला में बड़ा पत्तन है। दूसरे बड़े पत्तन का विकास जिसमें भारी पूंजी परिव्यय होगी पर केवल तब विचार किया जा सकता है यदि यातायात प्रक्षेप और ऐसे विकास की समस्त अर्थ व्यवस्था धन लगाने का समर्थन करेगा।

श्री डी० पी० जदेजा. क्या गुजरात क्षेत्र का 65 प्रतिशत से अधिक यातायात जामनगर स्थित बेदी पत्तन-समूह से होता है, किन्तु इस पत्तन-समूह पर गुजरात के पत्तनों पर खर्च होने वाली राशि में से

केवल 35 प्रतिशत राशि खर्च की जाती है। यदि सरकार को इस पत्तन के विकास में रुचि नहीं है तो उसके लिए सरकार को एक पत्तन न्यास बनाये जाने की अनुमति दी जाये।

श्री राज बहादुर: माननीय सदस्य यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी केवल बड़े पत्तनों तक सीमित है। मझले और छोटे दर्जे के पत्तनों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। किन्तु पत्तनों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में सहायता देती है।

श्री डी० पी० जदेजा: 65 प्रतिशत यातायात बेदी पत्तन-समूह से होता है किन्तु फिर भी उनका विकास नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार वहां एक पत्तन न्यास के गठन के लिए अनुमति देगी?

श्री राज बहादुर: यह राज्य सरकार का मामला है। किन्तु यदि वहां यातायात पर्याप्त होगा, तो हम उसके विकास हेतु सहायता देने के लिए सहमत हो जायेंगे।

सरकारी उपक्रमों में स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करना

***880. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह:**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने के उपरान्त सरकार ने उनके वेतन निर्धारित करने के बारे में अनुदेश जारी किये थे, और यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं, और

(ख) क्या उपरोक्त आदेश बाद में वापिस ले लिये गये थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): सरकारी सेवाओं से सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को उन उद्यमों में ही स्थायी रूप से ले लेने से सम्बन्धित वर्त्तमान सरकारी नीति को प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, "सरकारी क्षेत्र के उपक्रम" में की गयी सिफारिशों के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है। जहां तक सरकारी उद्यम में प्रतिनियुक्त व्यक्ति के वेतन को निर्धारित करने का संबंध है, सरकार की यह नीति रही है कि वेतन के निर्धारण का मामला सम्बद्ध सरकारी उद्यम और प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा आपसी तौर पर तय किया जाय। सर्वोच्च पदों के संबंध में भी यह तय किया गया है कि उस पद के लिये निर्धारित वेतन की अधिकतम सीमा को व्यक्तिगत मामले के गुणों को देखते हुए, बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं।

जनवरी, 1970 में कुछ सामान्य आदेश जारी किये गये थे जिनमें अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों, आदि में, संवर्ग बाह्य-पदों पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के संबंध में स्थायी सूत्र निर्धारित किया गया था। इन आदेशों में बताया गया था कि वे आदेश सरकारी उद्यमों में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के मामलों में भी लागू होंगे। परन्तु अधिकांश सरकारी उद्यम, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, तथा प्रशासनिक सुधार

आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की गयी, सरकारी उद्यमों में स्थायी रूप से नियुक्ति की नीति को देखते हुए, सरकारी उद्यमों के संबंध में इस मामले में फिर से विचार किया गया और जनवरी, 1970 में जारी किये गये आदेशों में संशोधन किया गया । संशोधक आदेश मार्च, 1971 में जारी किये गये थे ।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Mr. Speaker, it has been admitted in the statement that an instruction was issued in January 1970, which was later on amended in the month of March. May I know the reason for amending the instruction in March, which was originally issued in January; and what amendments were made therein ?

श्री के० आर० गणेश : स्वायत्तशासी निकायों और ऐसे ही अन्य संगठनों में काम कर रहे ऐसे अधिकारियों के वेतनमान और अन्य सुविधाएं निर्धारित करने के लिए सरकारी आदेश जारी किये गये थे; जिन्होंने उन्हीं संगठनों में स्थायी रूप से नियुक्त कर लिए जाने के लिए अपना विकल्प दिया था । यह आदेश जनवरी 1970 में जारी किया गया था और तभी से यह सरकारी उपक्रमों पर भी लागू हो गया था। बाद में, प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के सन्दर्भ में जब सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया गया तब यह निष्कर्ष निकला कि चूंकि सरकारी उपक्रमों का अपना पृथक प्रबन्धक संवर्ग होगा और उनमें काम कर रहे अधिकारियों को एक निर्धारित अवधि तक अपना विकल्प देना होगा, इसलिए ऐसे लोगों को जहां इन्हें संगठनों में स्थायी रूप से रहने का विकल्प देने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक हो गया । परिणामतः इस संबंध में संशोधक आदेश मार्च 1971 को जारी किये गये ।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : The Minister has not replied to my first question. I want to know the original instructions, which were later on amended. As regards the report of Administrative Reforms Commission on the basis of which the said amendment was made, I would like to know whether the Commission's report was received before or after January ? If it was received before January, why was it not taken into consideration at the same time ?

श्री के० आर० गणेश : प्रशासन सुधार आयोग ने ऐसे अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित नहीं की थीं, जिन्हें सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से रख लिया जाना था । वे सरकार द्वारा निर्धारित की जानी थीं । सरकार ने यह निर्णय किया कि जो अधिकारी सरकारी उपक्रमों में रहना चाहते हैं और जो इसके योग्य पाये जायेंगे, उनसे एक निश्चित तिथि तक उनका विकल्प मांगा जाये । यही कारण था कि दूसरे आदेश जारी किये गये थे । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम में अपने अलग वेतन मान और सेवा की शर्तें हैं । अतः एक उपक्रम के वेतन-मान और सेवा की शर्तें दूसरे उपक्रम की सेवा की शर्तों से भिन्न होती हैं। अतः संशोधित आदेश स्वतः उन पर लागू नहीं होता । चूंकि अधिकारीगण अपनी सुरक्षित सेवा को छोड़कर उपक्रम में रहने का विकल्प दे रहे हैं, अतः उनकी सेवा की शर्तों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी ही चाहिए थी ।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : The scheme of incentive is necessary for all the Public Sector Undertakings. May I know the difficulties being faced by Government in formulating the guidelines for Public Sector Undertakings ?

Mr. Speaker : Your questions have already been answered.

Shri Ramchandra Vikal : Is the hon. Minister aware of the demand that the pay scales of the employees of Central Government and State Governments, who perform work of equal nature, should be indentical; if not, whether Government will give due consideration to this problem also ?

Mr. Speaker : This question is not relevant.

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन

*881. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) उस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग ने 24 फरवरी, 1971 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) और (घ) : रिपोर्ट में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं । इन सिफारिशों का सार और इनके बारे में सरकार के निर्णय लोक सभा सचिवालय को भेज दिए जाएंगे ।

Shri Sat Pal Kapoor : Is it a fact that the grade recommended by the Second Pay Commission for these employees has not been given to them ?

श्री के० एस० रामास्वामी : सरकार आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है तथा इस का संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

Shri Sat Pal Kapur : Four months have passed but the Government have not taken any decision on it so far. If no decision is taken for two-three months will the recommended posts be abolished ?

Secondly, is there any scheme with the Government to send these employees to the State Government for absorption ? If so, when ?

श्री के० एस० रामास्वामी : जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी और जल्दी ही सचिवालय को निर्णय प्राप्त हो जायेंगे । कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के संबंध में कर्मचारी संघ की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उस संबंध में वार्ता चल रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रशिक्षकों की संख्या 7,000 है और विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत उन्हें राज्य सरकारों से संबंध करना है । अधिकतर राज्य सरकारों ने उन्हें लेने से मना कर दिया है । जबकि हमारे ऊपर पाकिस्तान और चीन दोनों ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और हमारे पास 7,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं, क्या सरकार इसका विकेन्द्रीकरण करने के बजाय इस संस्था को अपने अन्तर्गत रखेगी, यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : ये, कर्मचारी पहले ही से राज्यों में कार्य कर रहे हैं । इस संख्या का विकेन्द्रीकरण कर उसके कर्मचारियों को राज्यों में खपाने का निर्णय किया गया । यह निर्णय क्रियान्विति की स्थिति में है । इस बीच, कुछ मांगों वाला एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । और उनकी जांच की जा रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अधिकतर राज्य सरकारों ने उन्हें लेने से मना कर दिया है ।

श्री के० एस० रामास्वामी : कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें लेना स्वीकार कर लिया है; कुछ अन्य ने अभी उत्तर नहीं दिया है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम् द्वारा निर्मित जहाजों पर राज-सहायता और उनके मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में नीति

*882. **श्रीमती विभा घोष**: क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम् द्वारा निर्मित जहाजों पर राज-सहायता प्राप्त करने और उनके मूल्य निर्धारित करने के बारे में क्या नीति बनाई गई है ।

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): अब तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में निर्मित जहाज, भारतीय पोत स्वामियों को अन्तराष्ट्रीय समता-मूल्यों पर उपलब्ध किये गये हैं । लेकिन चूंकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड की निर्माण लागत विक्रय मूल्य से अधिक रही है अतः दोनों के अन्तर को सरकार शिपयार्ड को उपदान के रूप में, अब तक देती रही है । परन्तु जहाजों पर उपादन और उनके मूल्य निर्धारित करने के संबंध में नई नीति विचाराधीन है और इस संबंध में अंतिम निर्णय जल्दी ही किया जाने वाला है ।

श्रीमती विभा घोष: क्या सरकार की नीति के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अत्यधिक पूंजीगत व्यय कर दिया गया है और क्या विदेशों के सहयोग से कलपुर्जे बनाने के करार के कारण जहाजों की लागत या मूल्य में वृद्धि हुई है ?

श्री ओम मेहता: जी हां, कलपुर्जों के मूल्य बढ़े हैं और इस कारण जहाजों की कीमत भी बड़ी है ।

श्रीमती विभा घोष: क्या सरकार की मुद्रा स्फीति की नीति के कारण जहाज बनाने के काम में आनेवाले देशी कलपुर्जों का उत्पादन मूल्य बढ़ गया है और इस कारण जहाजों के मूल्य और अधिक बढ़ गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौपरिवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूँ । क्योंकि मुद्रास्फीति की नीतियों कतई नहीं हैं। नीतियाँ बहुत ही सुविचारित हैं। जहाँ तक जहाज निर्माण उद्योग का संबंध है, जहाज निर्माण का मूल्य पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में ही नहीं बढ़ा है बल्कि संसार भर में सभी जहाज निर्माण कारखानों में बढ़ा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister said that the components we import are costly. I would like to know that so far as these components are concerned what is their requirement here, the percentage of components being imported and what steps are being taken for theirs indigenous production ?

Shri Raj Bahadur : The hon. Member will agree that if we do not require sufficient number of components and even then we produce them here, it will be a costly affair. This is the common principal of production economy that if an item is not produced in sufficient quantity, its cost of production will be made and it cannot be reduced unless it is produced in sufficient quantiy. I think the hon. Member will appreciate this fact.

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked what is the requirement and how may are being imported ?

Shri Raj Bahadur : You are going into details.

विश्व बैंक द्वारा तामिलनाडु को ऋण

*884. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार को दिये जाने वाले ऋणों के बारे में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच अभी हाल में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : भारत सरकार ने तमिलनाडु कृषि ऋण प्रायोजना के लिये 3.5 करोड़ डालर (26.25 करोड़ रुपये) के एक ऋण के लिये विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 11 जून, 1971 को एक करार पर हस्ताक्षर किये थे ।

(ख) करार की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

विवरण

3.5 करोड़ डालर के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का उद्देश्य तमिलनाडु कृषि ऋण प्रायोजना को क्रियान्वित करने में सहायता देना है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) प्राथमिक भूमि विकास बैंक और इस प्रायोजना में भाग लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लाभभोगियों के लिए लघु सिंचाई, भूमि को समतल बनाने, जमीन में नालियां बनाने और उसका सुधार करने तथा फार्म यंत्रीकरण (लगभग 1500 ट्रेक्टरों की प्राप्ति सहित) पर निवेश को वित्त पोषित करने का $2\frac{1}{2}$ वर्षीय कार्यक्रम इन ऋणों की पुनर्वित व्यवस्था कृषि पुनर्वित निगम द्वारा की जायेगी ।

(ख) ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की व्यवस्था ।

(ग) कूआं खोदने के उपकरण और मिट्टी हटाने की मशीनें ।

(घ) राज्य भूगर्भ जल निदेशालय के लिए परामर्शदात्री व्यवस्थाएं ।

3.5 करोड़ डालर के ऋण में से, लघु सिंचाई, भूमि को समतल बनाने और नालियां बनाने के लिए, ऋणों पर रुपयों के रूप में हुए व्यय के कुछ प्रतिशत के रूप में 2.48 करोड़ डालर (18.6 करोड़ रुपये) की रकम दी जायगी । 1.02 करोड़ डालर (7.65 करोड़ रुपये) की बकाया रकम आयात किये गये ट्रैक्टरों और उनके फालतू पुर्जों, कूंएं खोदने के उपकरणों और मिट्टी हटाने की मशीनों तथा परामर्शदात्री सेवाओं पर होने वाले विदेशी मुद्रा व्यय की अदायगी के लिए प्रयोग में लायी जायेगी।

3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण 50 वर्षों में वापस किया जाना है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है । इस पर, समय-समय पर मूल की बकाया रकम पर केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगेगा ।

Shri Mohammad Ismail : The statement shows that according to the agreement 1500 tractors will be imported, their spare parts and machines will also come and partly the payment would be made in foreign exchange and partly in the shape of rupee. I would like to know whether this type of agreement will be done with socialist countries also where the is no question of foreign exchange and the things are available at a cheaper rate ? If not what are the reasons therefor ?

Shri Yashwantrao Chavan : We will enter into agreements with any country from where we will be able to get this material.

Shri Mohammad Ismail : Will the other States also have a right to enter into agreements like Tamil Nadu? Secondly, is there any scheme to produce tractors indigenously?

Shri Yashwantrao Chavan : Certainly there is a scheme. Tractors are being manufactured in the country, New licences are being given. This is very important for us. For increasing agricultural production, new means are to be adopted. But to crope with the increasing demand the other way is to start new projects with foreign collaboration. For this, we should try both Western and Eastern parts.

Shri Mohammad Ismail : Will the Government agree to such proposals from other States also ?

Shri Yashwantrao Chavan : We are always ready, But the question of availability can be there.

श्री के सूर्यनारायण : विवरण में माननीय मंत्री नें कहा है :

"अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण 50 वर्षों में वापस किया जाना है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है । इस पर समय समय पर मूल की बकाया रकम पर केवल 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगेगा ।"

मैं जानना चाहता हूं कि इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होगा या रुपये में ?

(श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं समझता हूं कि इसका भुगतान विदेशी मुद्रा में भी करना होगा। विवरण के पैरा दो में कहा गया है !

"3.5 करोड़ डालर के ऋण में से, 2.48 करोड़ डालर की रकम ऋणों पर रुपयों के रूप में हुए व्यय के कुछ प्रतिशत :....."

यदि वे उस पैरा को देखें तो उन्हें साफ हो जायेगा ।

Shri K. D. Malaviya : Will this practice of taking loans by the State Governments from foreign countries not disturb our basic and economic policies and is it not necessary to examine whether this practice should continue or not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बात से सहमत हूं कि स्थिति की समय-समय पर जांच की जाती रहनी चाहिए । अब विश्व बैंक की परियोजनाएं गैर-कृषि क्षेत्र से ही सम्बन्धित थीं । हमने अब उनसे कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान देने को कहा है । वे कुछ कृषि संबंधी परियोजनाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं । उदाहरणत: हम आन्ध्र प्रदेश की पोचमपड परियोजना के लिए ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । अपनी नई नीति को हमें निश्चय ही समय-समय पर जांच करते रहना चाहिए ।

श्री के० डी० मालवीय : यह कार्य केन्द्रीय सरकार पर ही क्यों न छोड़ा जाय।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझाता हूं कि इसकी क्रियान्विति केन्द्रीय सरकार ही करती है । यह नहीं कि कोई बात हम पर लादी जाती है । यह हमारी अपनी इच्छा है । यदि राज्य सरकार दिलचस्पी दिखलाती है तो वह परियोजना का मसौदा तैयार करती है और फिर हम उसकी स्वीकृति देते हैं । उसके बाद ही आगे कार्य हाथ में लिया जा सकता है । यह नहीं कि कोई हम पर योजना को थोप दे।

Permission sought by U.P. Government Re : Mobilising of funds for State Projects

***885. Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have sought permission from the Central Government and the Reserve Bank to float loans in the open market for mobilising funds for State projects;

(b) if so, the amount of loans to be floated; and

(c) the decision taken by the Central Government in this regard ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के ऋण लेने के कार्यक्रमों पर, भारतीय रिजर्व बैंक, सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के परामर्श से विचार कर रहा है । राज्य सरकारों के ऋण लेने के कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण सदा की तरह, राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक द्वारा ऋण जारी किये जाने के समय से कुछ दिन पहले ही घोषित किया जायेगा ।

Shri Hukum Chand Kachwai : Uttar Pradesh Government demanded a large amount and they were told the matter was under consideration. None I would like to know whether Government is ready to give more relaxation to Uttar Pradesh in view of its requirements and the development of agriculture there ?

Shri Yashwantrao Chavan : It has been stated that there are certain demands of Uttar Pradesh, but we have to see as to how much loan can be raised and only after that we can try to do something more for the backward State of Uttar Padesh.

Shri Hukum Chand Kachwai : Uttar Pradesh is not getting the expected amount from the sale of lottery tickets . In view of this, has that Government sent any other scheme for raising funds from the public and has that been approved ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समान्यतः मैं लाटरियों से संबंध नहीं रखता । और उसके बारे में मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता ।

अल्प--सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

होस्पेट में इस्पात संयंत्र की स्थापना

अ० सू०प्र० संख्या 4 **डा० वी० के० आर० वर्दराज राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् तथा सेलम में इस्पात संयंत्रों का शिलान्यास औपचारिक रूप से किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ;

(ख) क्या बेलारी जिले में होस्पेट में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के संबंध में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने तथा उनको उस संयंत्र के निर्माण कार्य एवं संचालन कार्य में रोजगार देने के लिये सरकार का क्या अग्रिम कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : सेलम तथा विशाखापत्तनम् इस्पात परियोजनाओं का काम औपचारिक रूप से आरंभ हो चुका है । हास्पेट परियोजना का काम औपचारिक रूप से वर्तमान मानसून ऋतु के पश्चात् आरंभ होगा ।

सेलम, हास्पेट तथा विशाखापत्तनम् की सभी नई इस्पात परियोजनाओं का प्रारंभिक कार्य साथ-साथ तथा तेजी से चल रहा है । हास्पेट संयंत्र स्थल पर प्रारंभिक कार्य करने के बारे में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) निर्माण अवस्था में कर्मचारियों की भरती में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी और इस विषय में सरकार की नीति के अनुसार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी । परिचालन तथा संधारण अवस्था के दौरान कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथा समय उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मैं अपने प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं : बिल्लारी के लोग इस बात के लिए बड़े उत्सुक हैं कि जिस प्रकार सेलम और विशाखापत्तनम् के इस्पात कारखानों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधान मंत्री ने किया है । उसी प्रकार हास्पेट के इस्पात कारखाने का शिलान्यास भी प्रधान मंत्री करेंगी । आशा है मंत्री महोदय हमें इस संबंध में आश्वासन देंगे ।

तीसरे भाग का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, और इससे मुझे निराशा हुई है । जन-शक्ति अनुसंधान संख्या के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र ने 32,317 लोगों को काम दिया, जिनमें से 25,000 कारखाने में, 2,000 प्रशासनिक सेवा में और 4,059 बस्ती में काम कर रहे हैं । अन्य इस्पात संयंत्रों के संबंध में मैं ऐसे आंकड़े नहीं दूंगा ।

प्रथम प्रश्न यह है कि क्या हास्पेट इस्पात संयंत्र की रोजगार क्षमता के बारे में कोई अनुमान मंत्रालय द्वारा लगाया गया है और यदि हां, तो रोजगार पाने वाले लोगों की अनुमित संख्या क्या है तथा इसस भी अधिक आवश्यक बात यह है कि अलग-अलग विभागों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा । लोग बड़ी उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस इस्पात संयंत्र में हमें क्या मिलेगा ।

(ख) बिल्लारी इस्पात संयंत्र की रोजगार व्यवस्था का जो भी अध्ययन मैंने किया है—मैंने आन्ध्र विश्वविद्यालय के एक दल द्वारा इस संयंत्र की रोजगार व्यवस्था के संबंध में किये गये अध्ययन को देखा है—जो कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उनमें इंजीनियर, डिप्लोमाधारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से अर्हता प्राप्त, कक्षा 10 उत्तीर्ण साधारण व्यक्ति, कुशल तथा अकुशल बहुत से कर्मचारी हैं। इन सभी को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है । मंत्री महोदय यह जानते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा अतः उन्हें, यह कहने के बजाय कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उचित उपाय किये जायेंगे, यह बताना चाहिये था कि प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिये अग्रिम कार्यवाही के रूप में उनका मंत्रालय क्या कर रहा है । जैसा कि उन्हें पता है भिलाई में पहले ही से एक प्रशिक्षण संस्थान विद्यमान है । जमशेदपुर में गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थान है और यह बहुत अच्छी किस्म का है । जहां तक बिल्लारी का प्रश्न है, वहां कोई इंजीनियरी कालिज नहीं है। क्या मंत्री महोदय, हास्पेट इस्पात

संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये, बिल्लारी में इंजीनियरी कालिज की स्थापना कराने का प्रयास करेंगे जिससे भी स्थानीय तथा अन्य निकट वर्ती क्षेत्रों के लोगों को यह सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को सीधा प्रश्न पूछना चाहिये ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव: नये सदस्य के बोलने के समय आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिये। मैं जन प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं, श्री भागवत झा आजाद तथा डा० वी० के० आर० वर्दराज राव दोनों को नये सदस्य समझता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं नया सदस्य नहीं हूं । मैं सदस्य रहा हूं उसके पश्चात् मंत्री भी रह चुका हूं, और अब एक सदस्य के रूप में यहां हूं । परन्तु माननीय सदस्य केवल मंत्री रहे हैं और केवल इसी समय वह सदस्य के रूप में हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये, अब केवल यही नये सदस्य हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय अधिकारियों के परामार्श से इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करके बिल्लारी में इंजीनियरी कालिज स्थापित करने का विचार कर रहा है । क्या बिल्लारी के पाली-टेकनिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस समय चल रहे पाठ्यक्रमों का नवीकरण करने का विचार है ? इसके पश्चात् मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (घ) में जो निर्माण के विषय में हैं.....

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य मंत्री थे तब ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति किया करते थे ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : यदि प्रत्येक मनुष्य को अपना भूतकालिक इतिहास याद रखना पड़े, तो मुझे समझ नहीं आता .....

श्री मोहन कुमारमंगलम्: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा० वी०के० आर० वर्दराज राव : मैं अपने प्रश्न के भाग (घ) के बारे में जानना चाहूंगा और इसके पश्चात् दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा करूंगा।

मंत्रीमहोदय को पता है कि क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने आर्थिक विकास से शिक्षा को सम्बद्ध करने के लिये बिल्लारी जिले में एक संयुक्त वृत्द शिक्षा विकास परियोजना आरम्भ की थी जो अब चल रही है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है । इस्पात संयंत्र का मामला, सहायक उद्योग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनशक्ति रोजगार आदि, सभी कुछ इस शिक्षा परियोजना से सम्बद्ध है । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीमहोदय को इस परियोजना के विषय में पता है और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के सम्पर्क से यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि वृहद शिक्षा विकास परियोजना हास्पेट इस्पात संयंत्र के लिये जन-शक्ति योजना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध हो ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : गत 5 मिन्टों में चार प्रश्न पूछे गये हैं । पहला प्रश्न श्रेणीवार कर्मचारियों की आवश्यकता के विषय में है । उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या सरकार ने अब तक इसका कोई मूल्यांकन किया है । परामर्शदाता तथा केन्द्रीय इंजीनियरिंग डिज़ाईन ब्यूरो इसका मूल्यांकन कर

रहा है और ये आंकड़े हमें उनके व्यवहार्यता प्रतिवेदन में प्राप्त हो जायेंगे जिसके नवम्बर 1971 तक मिलने की आशा है।

दूसरे, जहां तक बिल्लारी में प्रशिक्षण संस्थान अथवा इंजीनियरी कालिज, विशेषतया इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये जिनमें इस्पात संयंत्र के लिये आवश्यक विशिष्ट कुशलता है। स्थापित करने के प्रश्न पर व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा क्योंकि जब तक उन लोगों के काम पर आने की आवश्यकता होगी उसके लिये अभी काफी समय है।

निर्माण कार्यक्रम के संबंध में आरम्भिक कार्यवाही की जा रही है परन्तु यह कार्यवाही बिल्कुल ही शुरू की स्थिति की है क्योंकि जब तक व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आगे कदम नहीं उठाये जा सकते।

जहां तक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के श्रेष्टतम प्रस्ताव का संबंध है, वह प्रस्ताव वास्तव में श्रेष्ठतम है क्योंकि वह स्वयं मेरे माननीय मित्र द्वारा रखा गया था। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने सारे कागजात पढ़े हैं क्योंकि अधिकारियों का यही विचार था कि उन्हें यह सब कुछ पढ़ना चाहिये। माननीय सदस्य के मंत्रीपद पर रहने के समय से श्री बी०आर० भगत के समय तक के सारे कागजात मैंने पढ़े हैं, और जो कार्यवाही आप कराना चाहते थे वह की जा रही है। जिस अधिकारी को आपने नियुक्त किया वह अपने काम पर लगे हैं, शेष आपको ज्ञात है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे, तीसरे तथा चौथे प्रश्नों के लिये माननीय सदस्यों को अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है दो प्रश्नों की अनुमति का अनुचित लाभ उठाकर चार या पांच प्रश्न एक बार ही पूछे जाते हैं। हमें नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : 35 वर्ष तक अनुशासन सिखाने के पश्चात् अनुशासन सीखना अच्छा है। आप मुझे जो अनुशासन सिखाना चाहते हैं उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मैं मंत्रीमहोदय से केवल यह प्रश्न पूछना चाहता था कि उन्होंने जो कहा है कि इसमें समय लगेगा, तो क्या उन्होंने इस विषय में कोई प्राथमिक अध्ययन किया है कि संयंत्र कब तक आरंभ तो जायेगा, लोगों के प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा, उन्हें यह किस प्रकार पता लगेगा कि स्थानीय लोगों को अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। यह बात मैं केवल बिल्लारी इस्पात संयंत्र के विषय में ही नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरा तात्पर्य विशाखापत्तनम् तथा सेलम के इस्पात संयंत्रों से भी है।

श्री मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक विभिन्न स्तरों पर लक्ष्यों के लिये समय सीमा का प्रश्न है, जब तक व्यवहार्यता प्रतिवेदन नहीं मिल जाता तब तक विभिन्न स्तरों के लिये समय-सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है। यहां कोई ऐसा वायदा करना जिसे व्यवहारिक रूप न दिया जा सके ठीक नहीं है। इसलिये हम लम्बे चौड़े वायदे न करके सही तथा टोस अध्ययन पर आधारित वक्तव्यों तक ही सीमित रहना चाहते हैं। हमने न केवल हास्पेट बल्कि विशाखापत्तनम् तथा सेलम के संबंध में भी कुछ विस्तृत लक्ष्य बनाये हैं, जैसे 1978-79 तक हम इन संयंत्रों को आरम्भ कर सकेंगे और विशाखापत्तनम् तथा हास्पेट से जो नये इस्पात के संयंत्र हैं, बीस-बीस लाख टन का लक्ष्य है तथा सेलम से 2,50,000 टन का क्योंकि इस संयंत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के उपकरण हैं और कुछ विशेष प्रकार के उत्पाद भी उपलब्ध होते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हमने इस लक्ष्य पर दृढ़ रहना निश्चित किया है। जहां तक इस बात का संबंध है कि नवम्बर 1971 में व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने के समय से 1978-79 में नये इस्पात का उत्पादन आरम्भ होने तक किस प्रकार

की कार्यवाही की जायेगी, इस बारे में कोई वायदा करना उचित नहीं है परन्तु व्यवहार्यता प्रतिवेदन की जांच करने तथा उस पर निश्चय करने के पश्चात् मैं सदन के समक्ष उपस्थित हूंगा ।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या मैसूर सरकार ने भूमि अर्जन का अपना कार्य पूरा कर लिया है, और यदि हां तो, हास्पेट इस्पात संयंत्र के लिये उन्होंने कितनी भूमि अर्जित की है, और क्या सरकार ने उस स्थान का निश्चय कर लिया है जहां मैसूर में इस संयंत्र की स्थापना की जायेगी ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य अर्जित भूमि का क्षेत्रफल जानने के लिये अलग से प्रश्न करें, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है वह मैं उन्हें दे दूंगा । जहां तक संयंत्र के लिये स्थान के निश्चय का प्रश्न है, विचार-विमर्श के पश्चात स्थान का निश्चय कर लिया गया है और जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया है व काल के तुरन्त पश्चात् इसका उद्घाटन किया जायेगा ।

श्री मुरासोली मारन : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि भूतपूर्व मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव का दृष्टिकोण देशव्यापी था पर सदस्य श्री वर्दराजराव का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित तथा एक स्थान विशेष के लाभार्थ अनुचित दबाव डालने वाला है क्योंकि वे केवल बेल्लारी में लोगों को भर्ती कराने के लिये एक इंजीनियरी कालिज की मांग कर रहे हैं। जब इतने अधिक इंजीनियर बेरोजगार हैं। तब केवल बेल्लारी ही में इंजीनियरी कालिज स्थापित करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : मैंने यह बात स्पष्ट बतायी है कि कालिज स्थापित करने के संबंध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है । परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य को पता होगा कि सेलम में भी एक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालिज है । अतः जहां तक सेलम का संबंध है, वहां यह कार्य पूरा हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई में हगर काम्पलैक्स के निर्माण पर किया गया खर्च

*873. **श्री एम० एस० हाशम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हैंगर काम्पलैक्स का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) उक्त हैंगर में कितने विमान रखे जा सकेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के बम्बई विमान-क्षेत्र में निर्मित हो रहे हैंगर काम्पलैक्सों के दिसम्बर, 1971 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) एयर इण्डिया के हगर काम्पलैक्सों की लागत का अनुमान 153.8 लाख रुपये है जबकि इण्डियन एयरलाइन्स के हैंगर काम्पलैक्सों की लागत का अनुमान 124 लाख रुपये है (जिस में साथ लगे एप्रन तथा जोड़ने वाले टैक्सीपथों का व्यय सम्मिलित नहीं है) ।

(ग) एयर इण्डिया का हैंगर एक समय में एक बोइंग 747 विमान रखने के योग्य होगा । इण्डियन एयरलाइन्स के हैंगर में सभी प्रकार के, जिन में कुछ कारवेल भी सम्मिलित हैं, 10 विमान तक रखे जा सकेंगें ।

भारत सहायता संघ के जरिये फ्रांस से अधिक सहायता

*878. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारत सहायता संघ के जरिये भारत को दी जाने वाली सहायता के अपने हिस्से में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस ही उक्त संघ का एकमात्र सदस्य-देश है जिसने इस वर्ष सहायता के हिस्से में वृद्धि करने का संकेत दिया है; और

(ग) फ्रांस द्वारा भारत को सहायता में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां । 1970-71 में फ्रांस ने जितनी रकम की सहायता दी थी, उसकी तुलना में 1971-72 में 2.70 करोड़ रुपये (2 करोड़ फ्रैंच फ्रेंक) की वृद्धि हुई है।

फ्रांस के अतिरिक्त, कनाडा, जापान नीदरलैण्ड, नार्वे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भी 1970-71 की अपेक्षा भारत को 1971-72 के लिये अधिक सहायता देने का संकेत दिया है । परन्तु भारत सहायता संघ के सदस्यों ने जो संकेत दिये हैं, वे अन्तिम हैं और उनके संबंध में सम्बद्ध सरकारों की आवश्यक स्वीकृति मिलनी बाकी है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से तभी अधिक सहायता मिल सकेगी जब संघ के सदस्य देशों द्वारा इसके साधनों की समय पर प्रतिपूर्ति हो जायगी।

कराधान आयोग

*883. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कराधान आयोग की नियुक्ति करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पालम तथा अन्य हवाई अड्डों पर धातु खोजक (मैटल डिटेक्टर) यंत्रों का लगाय जाना

*886. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमानों के अपहरण को रोकने के उपाय के रूप में पालम तथा कुछ अन्य हवाई अड्डों पर धातु-खोजक (मैटल डिटेक्टर) यंत्र लगा रही है;

(ख) क्या इस नये यंत्र के लग जाने के बाद भी विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की तलाशी लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) धातु खोजक उपकरण (मैटल डिटेक्टर) वास्तव में इलेक्ट्रानिक उपकरण हैं जो कि धातु की चीजें ले जाने वाले व्यक्तियों का तुरन्त पता लगाने में सहायता करते हैं, परन्तु इनसे शरीर की तलाशी लेने का काम नहीं लिया जा सकता । यात्रियों द्वारा आग्नेय अस्त्र अथवा विस्फोटक इत्यादि ले जाये जाने की रोक-थाम के लिये की जाने वाली सुरक्षात्मक जांच को शत प्रतिशत प्रभावी करने के लिये शारीरिक तलाशी लेना आवश्यक है।

लीड बैंक योजना

***887. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लीड बैंक" योजना क्या है;

(ख) इस योजना पर सरकार कितना व्यय करेगी और कहां करेगी; और

(ग) इस योजना के संभावित परिणाम क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) "लीड बैंक" योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में 18 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2541 के उत्तर में बता दिया गया था। फिर भी, उनका संक्षिप्त ब्यौरा एक विवरण में दुबारा दिया जा रहा है जो सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिसम्बर, 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई "बैंक नेतृत्व योजना" के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारत के जिले एक समूह अथवा समूहों में सौंप दिए गए हैं और इन बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे आयोजित ढंग से बैंक कारोबार को व्यापक रूप से बढ़ायेंगे । अक्टूबर, 1968 में दिवंगत डा० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ऋण परिषद् के अध्ययन दल की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी जिससे कि विकास के लिए एक क्षेत्र पर ध्यान देने की नीति को अपनाया जा सके इसी की सिफारिशों के संदर्भ में यह योजना तैयार की गई थी।

नेता बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य वित्तीय संस्थाओं और अभिकरणों के साथ मिलकर उन्हें सौंपे गये जिलों में विकासात्मक कार्यकलापों को आरम्भ करने और प्रोत्साहन देने में उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में काम करेंगे । इस प्रयोजन के लिये बैंकों को पहले जिलों के उन चुने हुए केन्द्रों का शीघ्र और विस्तृत सर्वेक्षण करना है जहां बैंकों की शाखाएं खोली जा सकती हैं तथा उन क्षेत्रों और खण्डों का पता लगाना है जिन्हें बैंक सेवा की आवश्यकता है । नेता बैंक को किसी जिल में बैंकिंग सेवा के लिए कोई एकाधिकार प्राप्त नहीं होगा और सभी बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे मिल-जुल कर नयी शाखाएं खोलेंगे ।

3. इस योजना के अन्तर्गत बैंकिंग विकास के मुख्य कार्य को आरम्भ करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित बैंकों की है । इस योजना पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का खर्च करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ ारा दिया गया हड़ताल का नोटिस

*888. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ ने सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया है,

(ख) यदि हां, तो संघ की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं, और

(ग) उक्त हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

1969–70 में विड़ला बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकार गृहों द्वारा कर-अपवंचन

*889. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बंधुओं के विरुद्ध 1960–70 में कर अपवंचन का आरोप लगाया गया था ;

(ख) उन अन्य एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ऐसे ही आरोप लगाये गए थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) वर्ष 1969-70 के दौरान, बिड़लाओं से सम्बन्धित कर-निर्धारितियों द्वारा किए गए कर-अपवंचन के कुछ आरोप, आयकर विभाग के नोटिस में आए हैं ।

(ख) कर-अपवंचन के आरोप व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं, इस तरह किसी समूह के सम्बन्ध में नहीं। एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न समूहों से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना के संकलन में बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा । यदि किसी विशिष्ट समूह के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो तो वह प्राप्त करके दी जा सकती है ।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित तीन मामलों में विशिष्ट आरोपों की जांच, निरीक्षण निदेशक (जांच-पड़ताल) की देखरेख में की जा रही है। जांच-पड़ताल जारी है ।

कानपुर हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

*890. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के हवाई अड्डे के पूर्ण नवीकरण करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या वर्तमान हवाई अड्डा यात्रियों के लिए अपर्याप्त है ?

(ग) क्या यात्रियों के लिए वहां पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) : कानपुर (चकेरी) विमानक्षेत्र रक्षा मंत्रालय का है और वर्तमान तर्मीनल भवन, जो कि इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 1964 में बनाया गया था, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है ।

(ग) पंखें, बिजली और कुर्सियां लगी हुई हैं और एक शौच एवं स्नानगृह उपलब्ध है।

(घ) नागर विमानन विभाग की वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इस विमानक्षेत्र पर एक 200 यात्रियों के यात्री-कक्ष के निर्माण की व्यवस्था की गई है ।

ग्रुप उपदान एवं जीवन बीमा योजना के प्रति प्रतिक्रिया

*891. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रुप उपदान एवं जीवन बीमा योजना के प्रति अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई है और इसमें और पुरानी योजना में क्या अन्तर है ;

(ख) इसे किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। अथवा लागू किया जा रहा है ; और

(ग) उन सभी संस्थानों में जो संगठित जनशक्ति को नियुक्त करते हैं इस योजना को जन-प्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जीवन बीमा निगम ने समूह उपदान सहित जीवन बीमा योजना 1962 में चालू की थी और 31 मार्च 1971 की स्थिति के अनुसार समूह उपदान सहित जीवन बीमा योजना 179 संस्थाओं में प्रचलित है । समूह उपदान सहित जीवन बीमा योजना ऐसी बीमा योजना है जिसका उदेश्य कर्मचारियों की समय पूर्व मृत्यु हो जाने की हालत में, सेवा निवृत्ति उपदान की वित्त व्यवस्था और बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करना है । साधारणतः जहां मृत्यु पर देय उपदान का संबंध मृत्यु को तारीख तक कर्मचारी द्वारा की गयी वास्तविक सेवा की अवधि से होता है वहां जीवन बीमा निगम की समूह उपदान सहित जीवन बीमा योजना से नियोजक न केवल कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर उपदान की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु वे कर्मचारी की प्रत्याशित सेवा निवृत्ति तिथि तक कुल सेवा काल के आधार पर मृत्यु लाभ की अधिक रकम भी दे सकते हैं और वास्तविक सेवा काल में भी एक प्रकार से बीमा सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है ।

समूह अपदान सहित ज़ीवन बीमा योजना सारे देश भर में, सरकारी उपक्रम क्षेत्र में तथा साथ ही निजी क्षेत्र में भी 179 वाणिज्कि, औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं में लागू की गई है। ये योजनायें विशेषतः सरकारी उपक्रम क्षेत्र की, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम, कनारा बैंक, बंगलौर नगर निगम, गुजरात राज्य वित्त निगम तथा हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स जैसी बड़ी संस्थाओं में लागू की गई हैं । ज़ीवन बीमा निगम इस समूह उपदानसहित ज़ीवन बीमा योजन को नियोजकों के बीच प्रिय बनाने और अधिक से अधिक संस्थापनों में इसे प्रचलित करने की कार्यवाही कर रही है । हाल ही में

जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम की दरों में महत्वपूर्ण कमी की है, लाभ भागीदारी की शर्तों को अधिक उदार बनाया है और समूह योजनाओं के अन्तर्गत बीमा कराने (underwriting) की कार्यवाही को सरल बना दिया है, जिससे समूह उपदान सहित जीवन बीमा योजना अधिक आकर्षक बन सके।

कर के ढांचे और राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में अध्ययन

*892. **श्री श्यामनंदन मिश्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय के वितरण के स्तरों पर कर के ढांचे के प्रभाव का पता लगाने तथा राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन लाने में इसकी लाभकारिता के बारे में कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस प्रकार के अध्ययन के लिए मंत्रालय में कोई सैल है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : यद्यपि एक ऐसे साधन के रूप में जिस से आय-वितरण में परिवर्तन आता है, उत्तरोत्तर वर्धमान कराधान की प्रभावोत्पादकता में कोई संशय नहीं है फिर भी कर संबंधी आंकड़ों की अपर्याप्तता और सीमाओं के कारण कराधान के साधन के लागू होने से हुए पुनः वितरण की मात्रा के सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस कमी के बावजूद, कर-परिवर्तनों के आय-वितरण पर मोटे तौर पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी गवेषणा संघठनों द्वारा समय-समय पर अध्ययन किये जाते हैं। वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आर्थिक कार्य विभाग में अर्थ प्रभाग इस प्रकार अध्ययन करते हैं।

Setting up of New Universities during Fourth Plan

***893. Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of additional Universities proposed to be set up by the Central Government in the country during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b). At present only one proposal *viz.* establishment of a Central University for the North Eastern Hill Region of India during the Fourth Five Year Plan is under consideration.

घूस लेने पर आयकर अधिकारियों को दण्ड

*894. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे आय-कर अधिकारियों के क्या नाम तथा पदनाम हैं जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान घूस लेने के अपराध में गिरफ्तार किया गया तथा दण्ड दिया गया; और

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशी अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): किसी ऐसे आय-कर अधिकारी का कोई मामला नहीं है, जिसे गत एक वर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा दण्डित किया गया हो। लेकिन आगरा में तैनात श्री बी० आर० संत, कर वसूली अधिकारी (आय-कर अधिकारी) को एक विदेशी बैंक के मैनेजर से 2 लाख रु० की रिश्वत स्वीकार करते हुए 11 मई, 1971 को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आगे जांच-पड़ताल हो रही है।

नेशनल रेयन कारपोरेशन, बम्बई के वार्षिक सामान्य अधिवेशन के बारे में निर्देशकों में मतभेद

*895. **श्री त्रिविध चौधरी**: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **बम्बई की नेशनल** रेयन कारपोरेशन के शीघ्र होने वाले वार्षिक सामान्य अधिवेशन के संदर्भ में कमाडिया के नेतृत्व वाले निदेश समूह और चिनाई के नेतृत्व वाले निदेशक समूह में उत्पन्न गंभीर मतभेदों तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 409 (I) के अन्तर्गत समवाय विधि बोर्ड द्वारा पारित किए गए आदेश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ? और

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का ध्यान रखा है तथा बड़ी गैर-सरकारी कम्पनियों में ऐसे अहितकर कार्यों को रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान।

अधिनियम की धारा 409 के अन्तर्गत एक आदेश पारित कर दिया गया है तथा यह 31-12-1971 तक लागू रहेगा। कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत, दो वर्ष के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल में दो सरकारी निदेशकों को भी नियुक्त कर दिया है।

Loans to States by World Bank

***896. Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the States in India can seek loan from the World Bank for development purposes on their own;

(b) if so, the names of the States, which have sought loans from the World Bank for development purposes during the last three years; and

(c) the basis on which States can seek such loans and whether Central Government's approval is required for the purpose ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

Requests for foreign aid from World Bank or IDA, or from any foreign aid giving source, are made only by the Government of India. However, the project for which aid is received may be either a Central or a State Project. Where aid is sought for a State Project, naturally the State Government authorities are associated at all stages of the proposal.

(b) Proposals have been received for World Bank/IDA assistance for projects in Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. In a number of cases, Loan/Credit Agreements, have already been signed with the World Bank/IDA. Others are at various stages of consideration.

(c) We negotiate foreign aid only for projects included in the Plan.

संयुक्त स्कंध (जाइन्ट स्टाक) कम्पनियों के अदत्त और अयाचित लाभांश की धनराशि

*897. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त स्कंध कम्पनियों के पास प्रति वर्ष जमा होने वाले 'अदत्त और अयाचित लाभांश" की धनराशि का कोई अनुमान लगाया गया है।

(ख) क्या यह सचित धन सरकार के पास न पहुंच कर सम्बन्धित कम्पनियों के पास ही रह जाता है ; और

(ग) क्या इस धन को राज कोष में प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है :

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) भारत में 29,000 से भी कम्पनियां कार्य रत हैं इन कम्पनियों की बाबत अपेक्षित आंकड़े संग्रह करने में, अत्यधिक मात्रा में श्रम एवं समय लगेगा अतः इस बाबत सम्पूर्ण कम्पनियों के बारे में कोई ठीक सूचना देना संभव नहीं है । तथापि, विभाग में किए गए एक अध्ययन के आधार पर, 100 शीर्षस्थ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के दावेहीन एवं अदत्त लाभाशों की कुल राशि, 1967–68 में, 2.77 करोड़ रुपये, 1968–69 में 2.35 करोड़ रुपये तथा 1969–70 में 2.72 लाख रुपये बैठती है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम में सरकार के लिये इस प्रकार के संचय को विनियोजन करने की अनुमति नहीं है । "वर्तमान" कम्पनियों के विषय में, दावेहीन लाभांश अवधि अधिनियम, 1963 कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों तथा सम्बन्धित कम्पनी के पार्षद-नियमों के अनुसार व्यवहारिक होते हैं ।

कोचीन सीमा शल्क विभाग में तस्करी को रोकने के लिए सुविधाओं की कमी

*898. **श्री वयालार रवि** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन सीमा-शुल्क विभाग में तस्कर व्यापार को कारगर रुप में रोकने के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या कोचीन सीमाशुल्क विभाग के कार्य को प्रभावी रूप से चलाने के लिए इन सुविधाओं में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि, हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कोचीन सीमातक गृह में पर्याप्त सुविधाएं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों का विमान सेवा द्वारा मिलाया जाना

*899. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन विभाग प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण नगरों को विमान सेवा द्वारा मिलाने की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) और (ख) इण्डियन एयर लाइन्स को 1971 के शीतकाल के दौरान जोधपुर, मुजफ्फरपुर, रायपुर तथा नासिक के लिए विमान सेवाओं की व्यवस्था करने की आशा है । शिलांग कालीकट तथा तिरुपति के लिए भी इन स्थानों पर हवाई अड्डों का निर्माण हो जाने पर विमान सेवाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

मंडापम से रामेश्वरम तक समुद्र पर सड़क पुल

*900. **श्री दण्डपाणि:** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडापम से रामेश्वरम् तक समुद्र पर सड़क पुल का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) मंडापम से रामेश्वरम तक समुद्र पर सड़क पुल के निर्माण की परियोजना जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल है भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

चूंकि इस परियोजना की मंजूरी के लिए अभी कार्यवाही की जा रही है अत: इसके पूरे होने की निर्धारित तिथि बताना संभव नहीं है । फिर भी यह संभावना है कि इसके आरम्भ होने के बाद पुल के निर्माण को लगभग चार वर्ष लगेंगे ।

रामपुर के नवाब के बहुमूल्य आभूषण

3679 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में, रामपुर के नवाब के तथाकथित पैतृक बहुमूल्य आभूषणों का मूल्यांकन अधिकृत सरकारी मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा करा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समस्त पैतृक आभूषणों को अथवा उनके एक भाग को छेड़ा गया या बदला हुआ देखा गया या पाया गया है ;

(ग) अधिकृत सरकारी मूल्यांकन कर्त्ता ने उपरोक्त तथाकथित पैतृक आभूषणों का क्या मदवार मूल्यांकन किया है; और

(घ) क्या उपरोक्त आभूषण अभी भी सरकारी अधिकार में है अथवा लौटा दिए गये हैं और यदि लौटा दिए गए हैं तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

(घ) ये जवाहरात रामपुर के नवाब द्वारा अभी भी भारत के राज्य बैंक, नई दिल्ली में एक सन्दूक में रखे हुए हैं । यह सन्दूक कर वसूली अधिकारी द्वारा सील भी कर दिया गया है ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्यकरण

3680. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के पास कितनी परिवहन गाड़ियां हैं ;

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में निगम को राज्यवार कितनी आय हुई; और

(ग) उक्त अवधि में निगम को राज्यवार कुल कितना लाभ या हानि हुई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निगम की परिवहन गाड़ियों की संख्या 274 है। इसके अतिरिक्त, एजेन्सी के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की ओर से महाराष्ट्र और गुजरात में खाद्यान्न और रसायन खाद के लाने-लेजाने के लिए कंपनी पोप और अन्य विदेशी संगठनों द्वारा उपहार में दिए गए 174 गाड़ियों को भी परिचालित करती है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(कमई लाख रुपयों में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल	उड़ीसा	असम	उपहारों में दिये गए ट्रक	कुल
1969–70	13.99	71.84	2.73	2.33	90.89
1970–71 (अनन्तिम)	18.53	56.00	6.11	3.00	83.64

(लाभ/हानि लाखों रुपयों में)

1969–70	(–) 13.77	(–) 5.07	(–) 4.06	(–) 1.54	(–) 21.36
1970–71 (अनन्तिम)	(–) 11.25	(–) 4.16	(–) 4.21	(–) 2.32	(–) 17.30

Loan from World Bank

3681. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether India has received a development loan from the International Bank for Reconstruction and Development;

(b) if so, the amount thereof;

(c) the details of the scheme chalked out for its utilisation; and

(d) the names of the States which are likely to be benefited therefrom ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) During the current financial year (beginning 1st April, 1971) Government of India has signed four Development Credit Agreements with the International Development Association, an affiliate of the International Bank for Reconstruction and Development.

(b) to (d) Brief details are given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library *see* No. L.T.-587/71].

राष्ट्रीयकृत बैंकों की कृषि कार्यों के लिए ऋणों के बारे में अनुदेश

3682. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को, कृषि कार्यों के लिए काश्तकारों को ऋण उनकी साँख के आधार पर देने के अनुदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में दिये गये ऋणों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये 'मार्गदर्शक' अनुदेशों के अन्तर्गत छोटे किसानों को अल्पकालीन फसल-ऋण खड़ी फसल को दृष्टिबन्धक रख कर अथवा भारग्रस्त करके दिया जाते हैं, परन्तु शर्त यह है कि फसल तैयार करने की योजना तकनीकी दृष्टि से संभव हो और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होनी चाहिए । इस आधार पर अनेक बैंकों ने उन काश्तकारों को ऋण दिए हैं जिन्हें काश्तकारी के अधिकारों का हस्ताक्षन्तरण करने का अधिकार है । यहां तक कि कुछ बैंकों ने तो मौखिक पट्टेदारों को भी फसल-ऋण दिये हैं।

(ख) इस प्रकार के ऋणों के संबंध में बैंक अलग से आंकड़े नहीं रखते ।

जन-जातियों की बोलियों के लिए लिपि

3683. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन-जातियों के कितनी बोलियों के लिए पिछले कुछ समय से लिपि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यह कार्य किस अभिकरण द्वारा सम्पन्न होता है ; और

(ग) जन-जातियों की किन-किन भाषाओं ने (1) रोमन लिपि, (2) नागरी लिपि और (3) कोई अन्य भारतीय लिपि अपनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क)** से **(ग)** यह पता लगाने के लिए कि कोई सुव्यवस्थित प्रबंध नहीं है कि आदिवासी बोलियों में उनकी अपनी निजी लिपियां हैं अथवा उन्होंने कुछ मौजूदा लिपियों को अपना लिया है, अथवा नई लिपियां बना ली हैं । भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, मैसूर में जो भारत सरकार द्वारा बहुत हाल ही में स्थापित किया गया है, आदिवासी बोलियों के सर्वेक्षण और लिखने की प्रणालियों की व्यवस्था के लिए अनेक मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई हैं । पूर्वी प्रदेश, लद्दाख, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा की आदिवासी बोलियों को लेकर एक शुरूआत की गई है तथा भारत के महापंजीयक ने

रिपोर्ट की थी कि 1961 की जनगणना के दौरान आदिवासी बोलियों के रूप में 100 से अधिक बोलियों का वर्गीकरण किया गया था । 1966 में जनगणना संगठन ने आदिवासी बोलियों का एक सर्वेक्षण संचालित किया था और आदिवासी भाषाओं के प्रकाशनों की एक संदर्भ ग्रंथ सूची निकाली थी । जनगणना की इस संदर्भ ग्रंथ की सूची के अनुसार पिछले दो दशकों के दौरान में 3 आदिवासी बोलियों में, अर्थात् सन्थाल, हो और सवारा में नई लिपियों का आविष्कार हुआ है। ये नई लिपियां संबंधित आदिवासी समुदायों के उद्यमशील व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न आदिवासी समुदायों में विभिन्न लिपियों को अपनाने में सांस्कृतिक और धार्मिक हितों में परस्पर विरोध है । कुछ आदिवासी बोलियों की अनेक पुस्तकें रोमन और विभिन्न भारतीय लिपियों में राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। भारत के महापंजीयक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न आदिवासी भाषाओं और बोलियों की पुस्तकें निम्नलिखित लिपियों में प्रकाशित हुई हैं :—

(1) **रोमन लिपि :** गारो, गोंड, इदु मिश्मी, कचड़ी, खासी, खडिया, खोंड, गंगटे, हमार, कोअहेम, लुशाई, पायटे, थडोड, वईफेई, मुण्डा, अंगामी, अओ, काबुई, मउ, तंगखुल, ओराओ, सन्थाल, सौरिया, पहाड़िया, ताराओं, मिश्मी, लखेर (मारा), मिकिर, निकोबारीज, अंडेमानीज, सिम्टे, शिंगफो, अनल, बिएटे, सोरा ।

(2) **देवनागरी लिपि :** आदि, अपतनी, बेंगनी, भील, डिगारू, गेलोंग, गोंड, इदु मिश्मी, खड़िया, पायटे, मिजू, गिरि, ओन्पा, मुंडा, नोवटे, ओराओ, सन्थाल, शिंगफो, बाचू, ताराओं मिश्मी, कचारी कोरक, गद्दी ।

(3) **बंगाली लिपि :** गारो, कचारी, कबुई, रभा, सन्थाल, त्रिपुराई, रियांग ।

(4) **उड़िया लिपि :** खोंड, सन्थाल ।

(5) **असमी लिपि :** कचारी ।

(6) **तिब्बती लिपि :** भुटिया ।

(7) **कन्नड़ लिपि :** वडगा, कोडागु, लम्बाडी ।

(8) **तमिल लिपि :** बडगा, लम्बाडी ।

(9) **तेलुगु लिपि :** गोंड, लम्बाडी ।

समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये पी० एल०-480 निधि

3684. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी० एल०-480 निधि का कुछ अंश भारत में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने धन का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) उससे संबंधित एजेन्सियों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), जी हां ।

(क) तथा (ग) :—सहायता के लिए करार अमेरिका सरकार और सम्बन्धित संस्था में होने के कारण इस विभाग को अनुदान की धन राशि के वास्तविक उपयोग के बारे में पता नहीं है ।

तो भी, 1970 में अमेरिका प्राधिकारियों को अदायगी के लिए की गई सिफारिश नीचे दिए गए अनुसार कुल 50,04,804 रुपए की धन राशि के लिए थी :—

एजेंसी का नाम	जिस राशि की सिफारिश की गई
	(रुपए)
1. समाज कल्याण की भारतीय परिषद . .	4,52,400
2. दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क . . .	2,57,800
3. पूना जिला कुष्ठ परियोजना . . .	7,51,900
4. काशी विद्यापीठ . . .	4,48,000
5. रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर (पश्चिमी बंगाल) .	1,50,000
6. नेत्रहीनों के लिए मार्गदर्शक प्रदर्शन पुनर्वास केन्द्र तथा दृष्टि सहायता मूल्यांकन एकक, मदुराई, मैडिकल कालेज, मदुराई	12,41,000
7. भारतीय केंसर सोसाइटी, बम्बई	9,00,000
8. मंद बुद्धि बच्चों के लिए गृह, राजकोट	8,03,704
जोड़	50,04,804

इन परियोजनाओं के विशिष्ट अवधियों तक चलने की सम्भावना है तथा जिन धन राशियों की सिफारिश की गई है वे वर्ष से वर्ष आधार पर अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा दी जाएंगी।

कलकत्ता से मद्रास तक की उड़ानों के दौरान विमानों का विशाखापत्तनम पर रोका जाना

3685. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से मद्रास तथा मद्रास से कलकत्ता की दैनिक उड़ानों में विशाखापत्तनम पर विमानों क रुकने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए दैनिक विमान-सेवा की कोई योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री **(डा० सरोजिनी महिषी)** : **(क) और (ख)** : जी, नहीं।

कृषि पुनर्वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये कृषि विकास ऋणों में कमी

3686. **श्री वी० नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा मंजूर किये गए कृषि विकास ऋणों में 1970 के दौरान बहुत कमी आई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के लिए एकरूप प्रलेख तथा प्रक्रिया संबंधी दिये गये सुझावों को स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) सरकार ऋणों की अदायगी में धीमी गति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम ने बैंकों से परामर्श करने के बाद, प्रलेख रखने की सरलीकृत प्रक्रिया का सुझाव दिया था । ये सुझाव आमतौर पर उनको स्वीकार्य हैं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पिछड़े क्षेत्रों में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाओं को प्राप्तविकास छूट के बन्द किये जाने का प्रभाव

3688. **श्री वी० मायावान** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाओं को मिलने वाली विकास छूट को वापस लेने के प्रभाव का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछड़े क्षेत्रों और चुने हुए प्राथमिक उद्योगों पर विकास छूट के वापस लेने का प्रभाव न पड़े, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : चूंकि औद्योगिक प्रायोजनाओं को विकास-छूट उनकी स्थापना के स्थान पर ध्यान दिये बिना दी जाती है इसलिए इसके वापस ले लेने से पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक प्रायोजनाओं पर विशेषरूप से कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) करों संबंधी प्रोत्साहनों की लगातार समीक्षा की जाती रहती है और जब आवश्यक समझा जाता है इनका उपयुक्त रूप से नवीकरण संशोधन किया जाता है इन्हें वापस लिया जाता है या बदला जाता है । पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के कर सम्बन्धी और वित्तीय प्रोत्साहन विशेषरूप से दिये जाते हैं और राज्य सरकारें भी ऐसे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन और रियायतें देती हैं ।

Loan given by Industrial Financial Corporation in Madhya Pradesh

3689. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :—

(a) whether any loan given by the Industrial Finance Corporation of India to any industrial concern in Madhya Pradesh has been converted into equity capital; and

(b) if so, the names of such concerns?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). The Industrial Finance Corporation of India has converted a part of the over-due interest to the extent of Rs. 17.00 lacs into equity capital in the case of the Binod Mills Company Limited, Ujjain, Madhya Pradesh.

आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम

3690. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० बी० पन्त पौलीटैकनीक दिल्ली में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पहली बार किस वर्ष आरम्भ किया गया था ;

(ख) भारत के किन किन इंजीनियरिंग कालेजों में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम है ;

(ग) क्या डिप्लोमा कोर्स के पश्चात आटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अग्रतर शिक्षा देना का कोई प्रबन्ध नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मद्रास की ए०एम०आई०ए०ई० को आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री के रूप में मान्यता देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) 1966।

(ख) मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ही केवल एक मात्र ऐसी संस्था है जहां प्रथम डिग्री स्तर पर आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक पृथक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। निस्संदेह सभी इंजीनियरिंग कालेज, जो यांत्रिक इंजीनियरी के डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, अपनी पाठ्यचर्या में आटोमोबाइल इंजीनियरी के सभी आधारभूत पहलू भी शामिल करते हैं।

(ग) और (घ) : इस समय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बाद आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । इंजीनियरों की माज़दा बेरोजगारी तथा आटोमोबाइल इंजीनियरों के मांग की अनिश्चितता को देखते हुए आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) मद्रास के ए० एम० आई० ए० ई० को मान्यता देने के लिए, यदि इस संस्था से कोई अनुरोध प्राप्त हो, तो इस प्रश्न पर इसके गुणावगुणों को देखते हुए विचार किया जायगा ।

आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों का नौकरियों के लिए पात्र होना

3691. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी सरकारी तथा अर्ध सरकारी सेवाओं के पात्र नहीं हैं ;

(ख) क्या उनको मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारियों की तुलना में समान अर्हताएं पाने वाला नहीं माना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो जहां तक उनके रोजगार के अवसरों का संबंध है सरकार का उसे अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के समान मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या रोजगार के बहुत ही सीमित अवसर होने के कारण आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों को रोजगार नहीं मिलता है; और

(ङ) सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी निकायों में आटोमोबाइल डिप्लोमाधारियों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी नहीं। वे पात्र हैं।

(ख) और (ग) : यान्त्रिक, विद्युत और आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सभी डिप्लोमाधारियों को अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में रोजगार के हेतु बराबर समझा जाता है।

(घ) और (ङ) : पिछले चार वर्षों में आटोमोबाइल इंजीनियरी के डिप्लोमाधारियों सहित इंजीनियरी कार्मिकों की सभी श्रेणियों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी रही है। बेरोजगारों के निवारण के हेतु केन्द्रीय सरकार ने 1968 से विभिन्न उपाय अपनाये हैं जिसमें इंजीनियरों द्वारा स्वःसेवायोजन भी शामिल है। आटोमोबाइल इंजीनियरी के क्षेत्र में रोजगार अवसर अधिकांश सर्विसिंग और अनुरक्षण संबंधी होते हैं। अतः इस क्षेत्र में स्वःसेवायोजन के लिए कार्यक्षेत्र अधिक है। अतः आटोमोबील इंजीनियरी के डिप्लोमाधारी, मरम्मत, सर्विसिंग और अनुरक्षण की अपनी निजी कार्यशालाओं की स्थापना के हेतु वित्तीय संस्थाओं और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली सहायता की योजनाओं का लाभ उठाने के हेतु ज्यादा अच्छी स्थिति में है।

आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार के अवसर

3692. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारियों को दिल्ली परिवहन उपक्रम तथा सरकार के अन्य परिवहन उपक्रमों में रोजगार नहीं दिया जाता,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) : डिप्लोमाधारी दिल्ली परिवहन उपक्रम और अन्य परिहवहन उपक्रमों में रोजगार के पात्र हैं। (ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उटते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना

3693. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ और शाखाएं खोलने का विचार है ;

(ख) यदि, हां, प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी शाखाएं स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) उक्त राज्यों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितनी-कितनी शाखायें स्थापित की जायेंगी ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क), (ख) और (ग) : 1971 के दौरान, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्यों में 105 और शाखाओं के खोले जाने की आशा है । प्रस्तावित शाखाओं का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है :—

राज्य	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	जोड़
पंजाब	40	2	6	48
हरियाणा	17	3	4	24
हिमाचल प्रदेश	21	2	—	23
जम्मू-कश्मीर	6	—	4	10
	84	7	14	105

Progress in the Construction of Darbhanga-Forbesganj Border Road

3694. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of Darbhanga-Forbesganj border road;

(b) whether a decision was taken to constitute a Committee of the Officers of the Transport, Finance, Defence and Planning Department to look after the construction work of the said road;

(c) if so, whether the committee has since been constituted; and

(d) if so, the decisions taken by the committee ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping & Transport (Shri Raj Bahadur): (a), (b), (c) & (d). The construction of Darbhanga-Forbesganj road is not yet sanctioned. A Committee consisting of the representatives of the Ministries of Shipping & Transport Finance, Defence and the Planning Commission has been constituted only for considering ways and means for the financing of this project, specially the construction of Kosi Bridge on this route and its immediate approaches. The Committee has not yet completed its deliberations.

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में पदोन्नतियां

3695. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री 14 अगस्त, 1970 के दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में पदोन्नति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2854 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिऐ संख्या ए0टी0 588/71).**

एल्यूमिनियम उत्पादो पर उत्पादन शुल्क

3696. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **वित्त** मंत्री एल्यूमीनियम पर उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम की मूल्य निर्धारण नीति से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर एल्यूमीनियम के तार तथा केबल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का मूल्यांकन करने के लिए टैरिफ मूल्य नियत किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एल्यूमीनियम की मूल्य-नीति से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त एल्युमीनियम कार्यकारी-दल द्वारा एल्युमीनियम की तारों तथा केबिलों के लिए टैरिफ मूल्यों को नियत करने के विषय में कोई सिफारिश नहीं की गई थी। तथापि, एल्युमीनियम की बनी बिजली की तारों तथा केबिलों की कई एक किस्मों के लिए सरकार ने 19 दिसम्बर, 1964 से टैरिफ मूल्य नियत किए हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इण्डिया द्वारा होटल उद्योग आरम्भ करने का निर्णय

3697. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा किन-किन स्थानों पर होटलों का निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक होटल में कितने कितने कमरे बनाये जायेंगे तथा उनकी लागत क्या होगी; और

(ख) क्या इन होटलों को किसी के सहयोग से बनाया जायेगा, और यदि हां, तो किसके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) एयर इण्डिया का बम्बई में लगभग 1.80 करोड़ रुपये की लागत से सान्ताक्रुज़ पर एक 150 कमरों के एयरपोर्ट होटल, तथा जुहू पर 5.80 करोड़ रुपये की लागत से एक 350 कमरों के होटल के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं । परन्तु फ्रेंकफर्ट के मैसर्ज़ स्टेगनवर्गरज से तकनीकी परामर्श तथा मंत्रणा-सेवाएं प्राप्त की जायेंगी ।

विदेशों से सहायता

3698. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारत को ब्रिटेन से 4.5 करोड़ पौंड की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत को और किन देशों से आर्थिक सहायता मिली ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। 1970–71 के लिए भारत को ब्रिटेन से 5.25 करोड़ पौण्ड की सहायता प्राप्त हुई थी। इसमें 1970–71 के लिये, ऋण राहत सहायता के रूप में मिला 75 लाख पौण्ड की रकम भी शामिल है, जिसे 1969–70 में मंजूर और उपयोग किया गया था।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1970–71 के लिए भारत सहायता संघ के सदस्य देशों से प्रायोजना-सहायता और प्रायोजना भिन्न सहायता (ऋण राहत सहित) के लिए प्राप्त वचनों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

1970-71 के लिए सहायता संघ के सदस्य देशों से प्रायोजनागत और प्रायोजना-भिन्न सहायता के वचनों का विवरण

करोड़ रुपयों में

सहायता संघ के सदस्य देश	प्रायोजनागत	प्रायोजना-भिन्न	जोड़
1. आस्ट्रिया	—	1.50	1.50
2. बेल्जियम	7.50	2.63	10.13
3. कनाडा	5.55	21.37	26.92
4. फ्रांस	10.13	11.18	21.31
5. पश्चिम जर्मनी	15.37	39.96	55.33
6. इटली	6.00	5.51	11.51
7. जापान	5.25	38.09	43.34
8. नीदरलैण्ड	—	8.81	8.81
9. स्वीडन	12.32	5.80	18.12
10. ब्रिटेन	34.20†	60.30‡	94.50
11. संयुक्त राज्य अमेरिका	22.10	149.05	171.15
12. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	30.00	11.25	41.25
13. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	69.68	—	69.68
जोड़	218.10	355.45	573.55

टिप्पणी :—1970–71 के दौरान सहायता संघ के देशों से भिन्न देशों के साथ किसी भी नये ऋण करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

† इसमें दुर्गापुर के लिए 24–9–70 को हस्ताक्षरित 5.58 करोड़ रुपये का ऋण शामिल नहीं है जो दुर्गापुर प्रायोजना के लिए 1962 के ऋण से इतनी ही रकम के कम करने के बदले किया गया था।

‡ इसमें 1970–71 के लिए ऋण राहत के रूप में मिली 75 लाख पौण्ड (13.50 करोड़ रुपये) की रकम शामिल है जिसे 1969–70 के दौरान मंजूर और उपयोग किया गया था।

एक तेल कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अकोला शाखा को धोखा दिया जाना

3699. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तेल मिल कम्पनी ने सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अकोला शाखा को 14 लाख रुपये से अधिक की राशि का धोखा दिया है :

(ख) क्या यह कम्पनी किसी प्रकार बैंक से 3,75,000 रुपये का सामान निकाल ले गई जो कि उसने बैंक के नाम गिरवी रखा हुआ था :

(ग) क्या इस कम्पनी के चारों साझेदार चुपचाप पाकिस्तान भाग गये हैं :

(घ) यदि हां, तो इस धन को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है : और

(ङ) क्या इस लेन देन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों पर कोई आरोप लगाये गये हैं और यदि हां तो इस बारे में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि एक तेल मिल ने उस बैंक की अकोला स्थित शाखा के साथ 14.25 लाख रुपये की जालसाजी की. जिसमें से कुछ तो गिरवी और दृष्टि बन्धक रखे गये माल को अनधिकृत रूप से हटाकर और कुछ, पैकिंग ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत न्यास-रसीद के आधार पर छोड़े गये माल को अन्यत्र भेज कर की गयी । 7 जून, 1971 को निरीक्षण करने के बाद, बैंक ने बन्धक रखे गये माल में 4.32 लाख रुपये और दृष्टि बन्धक रखे गये माल में 47,000 रुपये का माल कम पाया । बताया जाता है पाक तेल मिल के साझेदारों का कोई पता नहीं चल रहा है और बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है ।

(घ) , (ङ०) : बैंक मामले की जांच कर रहा है और जांच-परिणामों को देखते हुए आगे. कार्यवाही की जायगी ।

मैसूर की सिद्धार्थ शिक्षा समिति को केन्द्रीय अनुदान

3700. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सिद्धार्थ शिक्षा समिति मैसूर नगर में 1969–70 से सिद्धार्थ हाई स्कूल चला रही है और मैसूर सरकार ने उसे मान्यता प्रदान की है ;

(ख) क्या उपरोक्त समिति ने केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल को वर्ष 1969–70 से सहायता अनुदान स्वीकार कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क)** से **(घ)** : "स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता" नामक योजना के अधीन, सिद्धार्थ शिक्षा सोसायटी, मैसूर से सहायता के लिए भारत सरकार को, कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । नियमों के अधीन केवल वे ही संस्थायें सामान्यतया सहायता की पात्र हैं,

जो कम से कम तीन वर्ष से विद्यमान हों । आवेदन-पत्र, राज्य सरकारों के जरिए और उनकी सिफारिशों के साथ स्वीकार किए जाते हैं । सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि सिद्धार्थ शिक्षा सोसायटी 1969-70 से सिद्धार्थ हाई स्कूल चला रही है ।

रामपुर के नवाब तथा बेगम द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लघंन

3701. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या **वित्त मंत्री** 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3828 तथा 1 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के नवाब तथा बेगम द्वारा किए गए कतिपय लेन-देन, जिनसे कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनियमन, 1947 का उल्लंघन होने का सन्देह किया जाता है, के बारे में उक्त अधिनियम एवं विनियमन के अधीन जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) क्या अपनी जांच के पश्चात् सम्बन्धित विभाग तथा वरिष्ठ जांच अधिकारियों मे सरकार को रिपोर्ट दी है कि रामपुर के नवाब तथा बेगम और बम्बई की एक ज्यूलर फर्म के विरुद्ध उक्त अधिनियमों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला बन जाता है;

(ग) क्या संबंधित विभाग ने इन अधिनियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व कानूनी सलाह भी मांगी थी तथा विधि सलाहकार ने विचार प्रकट किया है कि इस मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो रामपुर के नवाब एवं बेगम तथा बम्बई की उस ज्यूलर फर्म पर अधिनियमों के इस उल्लंघन के लिए अब तक मुकदमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) : रामपुर के नवाब और बेगम के कुछ लेन-देनों की जांच-पड़ताल की गयी है क्योंकि ऐसा सन्देह था कि उन्होंने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 का उल्लंघन किया है । जांच पड़ताल की रिपोर्ट पर सरकार के विधि अधिकारियों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

नवाब रामपुर के बहुमूल्य आभूषण

3702. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या **वित्त मंत्री** 31 अगस्त, 1970 के एक सरकारी अधिकारी द्वारा रामपुर के नवाब के निवास का दौरा किये जाने के बारे में, अतारांकित प्रश्न संख्या 4524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त जवाहिरातों का पुनः मूल्यांकन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित मूल्यांकन का क्या है; और

(ग) क्या उक्त जवाहिरातों की मदों को वापस लौटा दिया गया है अथवा वे अभी भी सरकार के अधिकार में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(ग) जवाहरात की ये मदें अभी भी आयकर अधिकारी और रामपुर की बेगम आफताब जमानी के संयुक्त नामों में भारत के राज्य बैंक में जमा हैं ।

योगिक संस्थानों को केन्द्रीय सहायता

3703. **डा० जी० एस० मेलकोटे :**

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितनी योगिक संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी :) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी योगिक संस्थाओं की संख्या 5 (पांच) है।

हल्दिया गोदी तथा पत्तन के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि से निकाले गये व्यक्तियों के लिये रोजगार

3704. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया गोदी तथा पत्तन के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि से निकाले गये परिवारों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) पत्तन अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा इस परियोजना में, निष्क्रान्त परिवारों के कुल कितने व्यक्तियों को काम दिया गया है, और

(ग) निष्क्रान्त परिवारों के व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मई, 1,971 तक 1,258 परिवारों का निष्क्रान्त किया गया था ।

(ख) निष्क्रान्त तथा प्रभावित परिवारों में से लगभग 2,900 स्थानीय व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन आयुक्तों तथा उनके ठेकेदारों और हल्दिया रिफाइनरी परियोजना तथा उन ठेकेदारों द्वारा नौकरियां दी गई ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया पर निर्माण कार्य स्थल से लगभग 4 मील दूरी पर सुतहटा में रोजगार कार्यालय खोल दिया है तथा वह कार्यालय सभी निष्क्रान्त व्यक्तियों जो नौकरी की तलाश में हैं, की सूची रख रहा है। निष्क्रान्त व्यक्तियों को अधिमान देने की दृष्टि से कलकत्ता पत्तन आयुक्त तथा हल्दिया रिफाइनरी परियोजना, दोनों अपने अधीनस्थ अमले की भर्ती आवश्यकता पड़ने पर इस रोजगार कार्यालय के माध्यम से करते हैं । अच्छे कुशल तथा उच्चतर वर्ग के कारीगरों के लिए भर्ती का विज्ञापन प्रेस में दिये जाते हैं । हल्दिया में कार्य करने वाले सभी ठेकेदारों जिनमें हल्दिया रिफाइनरी भी शामिल है, को अपने श्रमिकों की भर्ती निष्क्रान्त व्यक्तियों में से इस रोजगार कार्यालय के माध्यम से करने के लिए कहा जा रहा है। यह भी पता चला है कि राज्य सरकार का हल्दिया में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भवन निर्माण का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया है।

हल्दिया पत्तन और गोदी कर्मचारियों की नियुक्ति

3705. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हल्दिया गोदी और पत्तन में गत कुछ वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को हल्दिया पत्तन आयुक्त के नियमित विभाग में नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा हल्दिया गोदी परियोजना के लिए सीधे तौर से रखे गए सभी नैमित्तिक तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों को हल्दिया-गोदी परियोजना के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए विभिन्न विभागों में नियमित पदों पर अवशोषण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वे उपयुक्त तथा स्वस्थ हों। पत्तन के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा अन्य उद्योगों द्वारा रखे गए कर्मचारी पर भी, यदि ऐसे कर्मचारी राज्य सरकार के सुताहता रोज़गार कार्यालय द्वारा अभिशंसित किए गए हों जब आवश्यकता होगी, हल्दिया गोदी के अन्य नियमित पदों को भरने के लिए कलकत्ता पत्तन द्वारा विचार किया जा सकता है। हल्दिया गोदी परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों की, अपितु हल्दिया गोदी के चालू होने तक पत्तन आयुक्तों के नियमित पदों पर विचार करने की संभावना नहीं है। तब तक हल्दिया गोदी के अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए निर्माण काल के बाद नियमित पदों की आवश्यकता आंकी जा रही है।

भारतीय वास्केट बाल टीम का ताइपेह का दौरा

3706. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइपेह में जून में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये भारत से एक बास्केटबाल टीम जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय बास्केट बाल टीम को फारमूसा जाने के लिए आवश्यक अनुमति दे रखी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सीमावर्ती सड़को के निर्माण के लिए दिये गये धन के गबन के बारे में शिकायतें

3707. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राजस्थान में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण कार्य से संबंधित 2.50 करोड़ रुपये के गबन के बारे में शिकायतें मिली हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से यह पता लगा है कि उक्त सड़कों का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अपितु माननीय सदस्य ने 20 मई 1970 को राज्य सभा में अपने दिये गये वक्तव्य में ऐसे आरोपों का उल्लेख किया था।

(ख) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर राजस्थान में सामरिक सड़कों के निर्माण कार्य सम्बन्धी आरोपित अनियमिताओं की जांच के लिए इस मन्त्रालय के मुख्य इंजीनियर (सड़क) तथा मुख्य इंजीनियर (यांत्रिक) की एक समिति 23-10-1970 को नियुक्त की गयी थी। जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

मैसर्स मगनलाल छगनलाल द्वारा किलिफ निक्सन का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना

3708. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मैसर्स मगनलाल छगनलाल द्वारा वर्ष 1970 में किलिक निक्सन का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मैसर्स किलिक निक्सन का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने से पूर्व मैसर्स मगनलाल छगनलाल का प्रत्येक भगीदार कितनी-कितनी राशि का लेनदार और कर्जदार था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में नागर विमानन की सुविधाएं देने का सुझाव

3709. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए वहां नागर विमानन की सुविधाएं देना चाहती है; और

(ख) यदि हां, प्रस्ताव क्या है और विमान सेवा कब तक चालू की जा सकेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइन्स की अपनी विमान सेवाओं की श्रृखंला में गोरखपुर को सम्मिलित करने की अभी कोई योजना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय अनुदान

3710. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1969-70 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है : और

(ख) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां राज्य सरकार ने इस राशि को इस्तेमाल किया है तथा केन्द्रीय सरकार को पेश किये गये लेखे के अनुसार यह राशि किस ढंग से उपयोग में लाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1969-70 में, बाढ़ संबंधी विभिन्न प्रकार के राहत उपायों पर अर्थात् मुक्त सहायता, परीक्षण के तौर पर किये जाने वाले निर्माण-कार्य, मकान बनाने के लिए दी जाने वाली राज-सहायता आदि के संबंध में 78.96 लाख रुपये खर्च किये गये थे । 1969-70 में, बाढ़ ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आपात कालीन तकावी के रूप में और 165.67 लाख रुपये का संवितरण किया गया था । राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि बुलन्दशहर, टेहरी-गढ़वाल, लखनऊ और सीतापुर को छोड़ कर राज्य के सभी जिलों में बाढ़ संबंधी राहत कार्य किय गये थे । 1969-70 में, सूखा और बाढ़ संबंधी राहत कार्यों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी थी ।

त्रिपुरा से निष्कासित जन जातियों के व्यक्ति

3711. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन से लेकर अब तक पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के बहुत अधिक संख्या में यहां आने के कारण इस प्रदेश पर पड़े भारी दबाव के फलस्वरुप त्रिपुरा की जन जातियों के व्यक्तियों को त्रिपुरा से निकाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा से इन जन जातियों के व्यक्तियों के निर्गमन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में बसे रहे गैर-आदिवासी

3712. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के आदिवासी प्रधान क्षेत्रों में बसने के लिये गैर-आदिवासियों द्वारा सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के आदिवासियों के हित के लिये आदिवासी क्षेत्र में एकता बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) तथा (ख): अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा ही है तथा यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

रूई के व्यापार में ऋण संबंधी प्रतिबन्धों में छूट

3713. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री निहार लास्कर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय रुई संघ की कार्यकारिणी समिति ने सरकार से रुई पर ऋण संबंधी प्रतिबन्धों में छूट देने का अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां तो क्या उक्त समिति ने सुझाव दिया है कि यदि वृद्धि करना संभव न हो तो कम से कम बैंक ऋणों पर तो वर्त्तमान 60 प्रतिशत का अन्तर सारी रुई-ऋतु के दौरान जारी रहना ही चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) : कपास के व्यापार और उद्योग की विभिन्न संस्थाओं से समय-समय पर ऋण संबंधी प्रतिबन्धों को शिथिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं । कपास संघ (केन्द्रीय क्षेत्र) और ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर साठ प्रतिशत की वर्त्तमान मार्जिन को बनाये रखने का अनुरोध किया गया था । इस विशेष सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है । कपास और रुई के स्टाक पर अग्रिम देने से संबंधित ऋण-नीति की समीक्षा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां उचित समायोजन किये जाते हैं ।

बंगलौर में प्रबन्धक संस्थान की स्थापना

3714. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य का बंगलौर में प्रबन्धक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का कितना कितना भाग है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार सिद्धांत रूप से इस बात के लिए सहमत हो गई है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नये प्रबन्धक संस्थानों में से एक संस्थान बंगलौर में स्थापित किया जाये । लागत के प्राक्कलनों सहित संस्थान की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

राज्य सरकार संस्थान की स्थापना के लिए लगभग 100 एकड़ निःशुल्क विकसित भूमि और 30 लाख रुपये भी देने को सहमत हो गई है ।

Children's Educational Allowance for Posts and Telegraphs Department Employees

3715. **Shri Ram Bhagat Paswan:** Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the reasons for not allowing children's educational allowance beyond the pre-university level to the Posts and Telegraphs employees;

(b) whether payment of the said allowance carries the condition that the allowance is admissible only when the employee concerned sends his children for study outside his place of posting; and

(c) whether Government are withdrawing this condition to remove the difficulties of low-income parents?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) The existing scheme of Children's Educational Allowance applicable to Central Government employees including Post and Telegraph employees was introduced on the basis of the recommendations of the Second Pay Commission. Any modification of this scheme will have to await the recommendations of the Third Pay Commission.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. For the children studying at the place of posting of the Government servant, reimbursement of tuition fees is admissible.

Recognition to Colleges in Backward Areas in Gujarat

3716. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the **Minister of Education and Social Walfare** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a suggestion made at the Conference of Vice-Chancellors of Universities situated in Gujarat, held recently that only those colleges should be given recognition in future which are opened in back ward areas; and

(b) if, so, the reaction of Government therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P.Yadav) : (a) According to the information furnished by the Gujarat Government, the general opinion of the Vice-Chancellors in the meeting was that in future only those Arts, Commerce and Law Colleges should be granted affiliation which are opened in the backward areas notified by the Government.

(b) Opening of new Colleges is the responsibility of the State Governments. The Gujarat Government has already decided not to pay grant to new Arts and Commerce Colleges started from June 1969 and thereafter except to those situated in the backward Talukas notified by the Government.

सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार

3717. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सामान्य बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने अथवा उन्हें काम पर लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किया जायेगा और उनके वेतन और भत्ते सामान्यतः क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिये दूसरी नौकरियों का प्रश्न नहीं उठता । इन कर्मचारियों की सेवाओं का अन्तरण प्रस्तावित विविध बीमा निगम को जिन शर्तों पर किया जायेगा वे उस विधेयक में दी जायंगी, जो इन उपक्रमों के स्वामित्व को निगम को अन्तरण करने के संबंध में प्रस्तुत किया जायगा ।

एयर इण्डिया के जम्बो जैट विमानों के नाम परिवर्तित करना

3718. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इण्डिया की प्रथाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार का जम्बो जैट विमान के 'एम्परर अशोक' नाम को परिवर्तित करके महाराजा अशोक रखने और अन्य विमानों के नामों के भी परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : जी नहीं ।

केन्द्रीय स्कूल संगठन के आयुक्त के पद पर नियुक्ति

3719. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल संगठन के आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय स्कूल संगठन के वर्तमान आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए क्याप्रक्रिया और तरीका अपनाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : इस पद को समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं किया गया था । पद की क्रियात्मक आवश्यकताओं तथा महत्व के अनुसार इसका पदधारी वह व्यक्ति होना चाहिए जो अनुभवी शिक्षा शास्त्री व प्रशासक हो । क्योंकि अपेक्षित पृष्ठभूमि अनुभव और योग्यता के व्यक्तियों ने विज्ञापन के उत्तर में सामान्यतया आवेदन नहीं किए, इस लिए अन्तिम अवसर पर इस पद पर नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों, बड़े केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सिफारिशें आमंत्रित की गई । शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय अधिकारियों में भी इस पद के बारे में परिपत्र परिचालित किया गया। कुल मिलाकर 22 व्यक्तियों की सिफारिशें की गई । उपर्युक्त 22 व्यक्तियों में से, एक नामिका का सुझाव देने के लिए, चार सदस्यीय एक समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन राज्य मंत्री थे और जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भी अध्यक्ष थे । प्रवरण समिति द्वारा सिफारिश किए गए पांच व्यक्तियों में से शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की कुमारी ए० चारी को सर्वोत्तम उपलब्ध उम्मीदवार माना । तदनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को नियुक्ति के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया और उक्त समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया ।

मैसूर राज्य में बीजापुर के गोल गुम्बज पर रोशनी करने की योजना

3720. **श्री बी० इ० चौधरी**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीजापुर के गोल गुम्बज पर रोशनी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे कि स्मारक के गौरव में वृद्धि हो और पर्यटक आकर्षित हो सकें :

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु वहां सरकारी क्षेत्र में होटल की स्थापना करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोल गुम्बज की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु एक हवाई अड्डे की स्थापना करने की एक योजना थी और उसके लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पहले से ही बीजापुर में एक यात्री-लाज का परिचालन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : जी, हां परन्तु योजना की अन्य प्राथमिकताओं के कारण विमानक्षेत्र का निर्माण कार्य चौथी योजना की अवधि में हाथ में नहीं लिया जा रहा है ।

Financial Assistance to States for Construction of Houses for Harijans

3721. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Central Government provide financial assistance to States for construction of houses for Harijans;

(b) if so, the amount of such assistance given to each State during the last three years; year-wise;

(c) the number of houses constructed for Harijans by each State; and

(d) the names of States which utilised the entire amount of assistance given for this purpose and the reasons for non-utilisation of the entire amount of assistance by the other States?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The Housing Scheme for Scheduled Castes falls into two categories *viz.* (1) Centrally Sponsored Scheme and (2) Centrally Aided Scheme.

Under the former category there is no independent housing scheme for Harijans but there is a composite scheme for 'improvement of working and living conditions of those engaged in unclean occupations. This composite scheme comprises the following two schemes:–

(1) subsidy for the construction of houses for sweepers and scavengers, tanners and flayers; and

(2) provision of house-sites to the members of Scheduled Castes who are (i) engaged in unclean occupation or (ii) landless labourers.

Cent per cent assistance is given to the State Governments for the above composite scheme. The amounts of central assistance given to each State during the last three years (1968-69 to 1970-71) and the physical targets achieved in respect of this composite scheme are given in the statement at Annexure-1. [*Placed in the Liberary See No. L.T.-589/71*]

The expenditure on the schemes including the Housing scheme for Scheduled Castes under the State Sector was shared till 1968-69, between the Central and State Government on 60:40 basis. From the year 1969-70 and onwards, the central assistance to States is given as block grant.

The State-wise allocations made, expenditure incurred and physical targets achieved during 1968-69 in respect of housing scheme for Scheduled castes are given in the statement at Annexure-II. [*Placed in the Liberary See No. L.T.-589/71*] Allocations made for this scheme for the years 1969-70 and 1970-71 are given in the statement at Annexure-III [*Placed in the Liberary See No. L.T.-589/71*]

(d) No specific amount of central assistance is given for housing under the Centrally Sponsored Programme as it is a composite scheme. The reasons for shortfalls during 1968-69 under State Sector are given in Annexure-II. The information for the years 1969-70 and 1970-71 is not yet available.

AID FROM U.N.I.C.E.F.

3722. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of aid granted to India by the United Nations International Childrens' Emergency Fund under the various programmes during 1970-71;

(b) the various programmes on which the said amount was spent;

(c) the basis of allocations of the said aid to each State; and

(d) the amount of aid given to Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) & (b) UNICEF aid is in the form of equipments and supplies. In 1970-71 it was $ 7.581 million for India for utilisation in Programmes/Projects under the following categories:—

		U.S.$
(i)	Health Services	2,296,000
(ii)	Rural water supply	1,778,000
(iii)	Applied nutrition	786,000
(iv)	Food mixtures for children	100,000
(v)	Milk conservation	1,500,000
(vi)	Family & Child Welfare	171,000
(vii)	Science education	850,000
(viii)	Project preparation: integrated services for children and youth in urban areas.	100,000
	Total:	7,581,000

(c) & (d) Aid is not allocated State-wise but for approved Programmes/Projects as may be located in various States and Union Territories.

ज़िला बालसोर (उड़ीसा) में सुवर्ण रेखा नदी पर बन रहा पुल

3723. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला बालसोर उड़ीसा में सुवर्ण रेखा नदी पर बन रहे पुल में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) पुल का सर्वेक्षण कार्य और स्थान का चुनाव पूरा हो चुका है, उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार किया गया अनुमान की भारत सरकार के तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति देने के लिए समीक्षा की जा रही है ।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा घोषित लाभ और लाभांश

3724. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्ष-वार भारत में कोकाकोला के निर्माता मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड को कितना लाभ तथा लाभांश प्राप्त हुआ अथवा इसकी घोषणा की ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं में दी गई सूचना के अनुसार, कम्पनी द्वारा 31-10-67, 31-10-68 तथा 31-10-69 की तीन वर्षों की समाप्ति के मध्य, कमाए लाभ एवं घोषित लाभांश निम्नप्रकार थे :

वर्ष समाप्ति (लाख रु० में)

	31-10-67	31-10-68	31-10-68
करों से पहले लाभ	29.7	60.9	83.0
करों के पश्चात् लाभ	8.4	18.9	27.7
घोषित लाभांश	1.3	2.5	2.5

समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों का पंजीकरण

3725. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1971 के अन्त तक समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्यवार कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया ;

(ख) पंजीकरण के लिये कितनी कम्पनियों के अवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71 में कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का निर्देश 31-3-71 तक अनेक राज्यों तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों में कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत पंजीकृत एवं कार्यरत कम्पनियों (हिस्सों द्वारा सीमित) की ओर है । इन कम्पनियों की बाबत राज्यवार स्थिति जो इस तिथि तक 30,408 की संख्या में थी, संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ख) यह सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) 1970-71 के मध्य, हिस्सों द्वारा सीमित 1,927 कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी।

विवरण

31 मार्च, 1971 तक अनेक राज्यों तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एंव कार्यरत कम्पनियों की संख्या प्रदर्शित करता हुआ विवरण पत्र

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	कंपनियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	740
आसाम	404
बिहार	422
गुजरात	1,333
हरियाणा	346
केरल	1,046
मध्य प्रदेश	392
तामिल नाडु	2,987
महाराष्ट्र	6,387
मैसूर	967
उड़ीसा	226
पंजाब	764
राजस्थान	441
उत्तर प्रदेश	1,267
पश्चिमी बंगाल	9,229
चन्ड़ीगढ़	80

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या
दिल्ली	3139
गोआ दमन एवं दीव	108
हिमाचल प्रदेश	47
मणिपुर	6
त्रिपुरा	7
पान्डेचेरी	55
जम्मू एवं कश्मीर	108
नागालैण्ड	2
योग	30408

देश में अन्धे व्यक्तियों के लिए संस्थाएं

3726. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अन्धे व्यक्तियों के लिये ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनके लिये धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है; और

(ख) उक्त संस्थाओं को दी जा रही वित्तीय सहायता की वार्षिक राशि राज्य वार क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रारमास्वामी) : (क) और (ख)—केन्द्रीय सरकार इस देश में नेत्रहीनों की संस्थाओं को कोई आवर्ती सहायता नहीं देती है । विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अधीन विकलांग व्यक्तियों की, जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं, संस्थाओं को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए तदर्थ आधार पर अनुदान दिए जाते हैं, प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख रुपय के कुल सहायक अनुदान दिए जाते हैं । केन्द्रीय सरकार, अलबत्ता, देहरादून में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र चला रही है । इस केन्द्र पर प्रति वर्ष 13.00 लाख रुपए की धन राशि खर्च की जाती है ।

दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा अतिरिक्त रियायतों की मांग

3727. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग ने इस वर्ष के बजट में उत्पादन शुल्क और आयात कर में और अधिक छूट के लिए अनुरोध किया है जिससे समाजवादी कार्यक्रम की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के लिए उस उद्योग को अपना कर्त्तव्य गौरवपूर्वक निभाने में सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस साल के बजट में सिनेमा के प्रोजेक्टरों पर प्रस्तावित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को वापस लेने के लिए साउथ इंडियन मोशन पिक्चर स्टुडियो एसोसिएशन, मद्रास से, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

हल्दिया गोदी और पत्तन की योजना से छंटनी शुदा श्रमिक

3729. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हल्दिया गोदी और पत्तन परियोजना में कुल कितने श्रमिकों की छंटनी की गई; और

(ख) उन्हें सेवा में खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पिछले तीन वर्षों में हल्दिया गोदी परियोजना के लिए कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के द्वारा सीधे लगाये गये कर्मचारियों में से किसी की भी छटनी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्भिक्ष-राहत कार्यों के लिए राजस्थान को सहायता

3730. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दुर्भिक्ष पीड़ितों को राहत देने के लिए राजस्थान को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, विभिन्न राज्यों को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें, 1968-69, 1979-70 और 1970-71 में सूखा संबंधी राहत कार्यों के लिए राज्यों को दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

1968-69, 1969-70 और 1970-71 में सूखा संबंधी राहत कार्यों के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	1968-69	1969-70	1970-71
1. आन्ध्र प्रदेश	14.00	2.50	—
2. बिहार	1.00	—	2.35*
3. गुजरात	4.50	16.50	5.04
4. मध्य प्रदेश	5.02	0.50	0.67
5. महाराष्ट्र	—	—	2.50
6 मैसूर	9.88	1.62	2.00
7. उड़ीसा	5.00	—	—
8. राजस्थान	17.26	53.50	25.01
9. तमिलनाडु	1.25	13.00	—
10. उत्तर प्रदेश	—	2.40*	—
11. पश्चिम बंगाल	—	—	0.50

*इसमें सूखा संबंधी राहत कार्यों के लिये दी गयी सहायता शामिल है ।

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े उन रकमों की द्योतक हैं जो वित्तीय वर्ष में मंजूर की गयी थीं और जिनमें पहले के वर्षों की सहायता की बकाया रकमें शामिल हैं ।

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

3731. **श्री डी० के० पंडा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में सहकारी क्षेत्र के चीनी उद्योगों ने कारखानेवार कुल कितना उत्पादन शुल्क अदा किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

'नट और बोल्ट' पर से उत्पादन शुल्क हटाये जाने की मांग

3732. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संघ, लुधियाना की कार्यवाही समिति ने 8 जून, 1971 को सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें चालू वर्ष के बजट में नट बोल्ट और पेचों पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पादन कर को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन पर सरकार विचार कर रही है ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण

3733. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण से संबंधित कानूनी, प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों की परख करने और जुलाई, 1971 के अंत तक एकीकरण का खाका तैयार करने के लिए श्रम और रोजगार विभाग में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

Utilization of Gold for Preparation of Ayurvedic Medicines

3734. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) whether pure gold is utilised in the preparation of Ayurvedic medicines; and

(b) if so, the action contemplated by Government for making pure gold available to manufacturers of Ayurvedic medicines?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir. Gold is used in the preparation of some Ayurvedic medicines.

(b) Gold in the form of standard gold bars (995 fineness) is made available, on a quota basis, to manufacturers of Ayurvedic medicines.

पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से अनुदान तथा ऋण

3735. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी ने अलग-अलग, गत तीन वर्षों में भारत को कितने सरकारी द्विपक्षीय अनुदान तथा ऋण दिये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1968-69 से 1970-71 के तीन वर्षों में जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को सरकारी तौर पर 146.45 करोड़ रुपये के ऋण दिये। जहां तक इस देश द्वारा दिये गये अनुदानों का संबंध है, संबंधित मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

लोकतांत्रिक जर्मन गणराज्य से सरकारी तौर पर कोई अनुदान या ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

जर्मन संघीय गणराज्य तथा जर्मन लोकतंन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा की गई छात्रवृत्तियां

3736. **श्री पी० के० देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार (एक) जर्मन संघीय गणराज्य तथा (दो) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा अलग-अलग कितनी विभिन्न छात्रवृत्तियां दी गई और भारत द्वारा कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में भारत ने कितनी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 590/71]**

(ख) 115 (इनमें से 85 जर्मन संघीय गणराज्य के द्वारा और 30 जर्मन लोकतांत्रिक गण-राज्य के द्वारा दी गई)।

पश्चिम जर्मनी तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में भारतीय छात्र

3737. **श्री पी० के० देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मनी तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में इस समय अध्ययन कर रहे तथा प्रशिक्षण पर रहे छात्रों की क्रमशः संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : 1-1-1970 को उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

(1) पश्चिम जर्मनी में अध्ययन कर रहे तथा प्रशिक्षण पा रहे भारतीय विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 386 थी।

(2) जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 4 थी। जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रशिक्षार्थियों की संख्या के विषय में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से चल रही परियोजनाएं

3738. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन संघीय गणतन्त्र और जर्मन जनवादी गणराज्य की सहायता से भारत में कितनी तकनीकी सहायता परियोजनाएं चल रही हैं ;

(ख) ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं में इस समय दोनों देशों के अलग-अलग, कितने तकनीकी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य की तकनीकी सहायता से, इस समय, 14 प्रायोजनाएं चल रही हैं ।

जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ तकनीकी सहायता के बारे में हमारा कोई करार नहीं है और इस समय जर्मन जनवादी गणराज्य की तकनीकी सहायता से, कोई प्रायोजना नहीं चल रही है ।

किन्तु भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच 2 फरवरी, 1971 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के संलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर हुए हैं । इस करार की विस्तृत शर्तों के बारे में अभी बातचीत चल रही है ।

(ख) और (ग) : जर्मन संघीय गणराज्य की तकनीकी सहायता से चलाई जा रही अथवा कार्यान्वित की जा रही प्रायोजनाओं के स्थान और उन प्रायोजनाओं में काम कर रहे उस देश के विशेषज्ञों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

प्रायोजना का नाम	स्थान	विशेषज्ञों की संख्या
कृषि विकास प्रायोजनाएं	मण्डी, कांगड़ा, अलमोड़ा और नीलगिरि	36
इंजीनियरी सामान के लिए निर्यात प्रोत्साहन प्रायोजना	कलकत्ता	7
पर्यटन और होटल प्रबन्ध प्रायोजना	दिल्ली . . .	8
टेलीविजन प्रायोजना	दिल्ली, बम्बई और पूना .	—
भारतीय तकनीकी संस्थान	मद्रास . .	10
नमूने का (प्रोटोटाइप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र)	ओखला (दिल्ली) . .	—
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान	कलकत्ता . . .	3
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान की हरी वनस्पति प्रायोजना	मैसूर . . .	—
फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान	बंगलौर . .	9
लेबेली लिग्नाइट-निगम	नेवेली . . .	2
स्कूलों की पुस्तकों के लिए मुद्रणालय की प्रायोजना	चन्दीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर .	2

पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी सहायता

3739. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में जर्मन संघीय गणतन्त्र और जर्मन जनवादी गणतंत्र से, अलग-अलग, तकनीकी सहायता के रूप में कुल कितना अनुदान मिला है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संबंध मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जाली जमानतों पर ऋण दिया जाना

3740. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वित्त मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनेक मामलों में जाली जमानतों पर ऋण दिये थे;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस संबंध में सम्पूर्ण ब्यौरे सहित अपने प्रतिवेदन पेश करने होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैंक नियमित रूप से अपने प्रतिबेदन पेश कर रहे थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसी प्रतिभूतियों के एवज् में ऋण नहीं दिये हैं जिन्हें जाली समझा जाता है । ऋण स्वीकृत करते समय बैंक ऋणकर्त्ता द्वारा बैंकों को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की असलियत के संबंध में निश्चित होने के लिए सभी प्रकार से सावधानी बरतते हैं, फिर भी, कुछ मामलों में अग्रिम स्वीकृत करने के बाद यह बात सामने आयी कि दी गयी प्रतिभूतियां, विशेषरूप से, जो दृष्टिबन्धन आधार पर दी गयी हैं, संबंधित बैंक की जानकारी के बिना बेच दी गयीं अथवा बैंकों को उन प्रतिभूतियों की वास्तविक मात्रा या मूल्य के संबंध में गलत जानकारी दी गयी है । ऐसे सभी मामलों में, ज्यों ही अनियमितता बैंक की जानकारी में आती है त्यों ही अतिरिक्त प्रतिभूतियां प्राप्त करके या कानूनी कार्रवाई करके अग्रिम के रूप में दी गयी रकम की सुरक्षा/वसूली के लिए बैंकों द्वारा उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं । फिर भी ऐसे मामलों की संख्या बैंकों के द्वारा स्वीकृत कुल ऋणों की संख्या के मुकाबले में नगण्य है ।

(ख) और (ग) : सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जालसाजी के सभी वास्तविक या संदेहास्पद मामलों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें । भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी बैंक की चूक की सूचना नहीं मिली है ।

Facilities for Tourists in Kesaria, Bihar

3742. **Shri K. M. Mahukar:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether an idol of Lord Mahadeva has been found in Kesaria (Bihar) and people are coming from all parts of the country to have a look at it;

(b) whether tourists have not been provided with any accommodation and conveyance facilities there; and

(c) if so, whether Government propose to develop this ancient historical place and provide transport accommodation and other facilities for the tourists there?

The Minister of State for in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) According to information received from the Government of Bihar a Shivalinga has been found near Kesaria and installed in a temple which is visited by the local people.

(b) No information is available with the State Government about the visit of tourists to the site.

(c) Due to limitations of resources which necessitate a strict order of priorities the Central Government is not in a position to provide the requisite facilities at the site. However the State Government can certainly provide some facilities there.

Construction work of bridge over river Gandak at Dumariaghat in Champaran District of Bihar

3743. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state:

(a) whether the work relating to the preparation of brick-blocks for the bridge and dam being constructed at Dumaria Ghat on National Highway No. 28 over Gandak river in Champaran district of Bihar has been entrusted to a contractor;

(b) if so, the number of blocks for which the contract has been given to him, the time by which he has to complete this work and the number of blocks constructed by him so far;

(c) whether the brick-blocks which have been constructed are below the specifications prescribed by Government; and

(d) if so, the action taken in this regard and the results thereof?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping & Transport (Shri Raj Bahadur) (a) & (b): Presumably the Hon'ble Member is referring to the work of providing brick pitching on the rear slope of the left guide bund of the bridge across the Gandak river at Dumariaghat. If so, it has been ascertained from the State Government who are the executing agency for this work, that this work of brick pitching has been divided into 6 groups. Out of these, work of two groups has been allotted to unemployed engineers and the work of remaining 4 groups has been allotted to different contractors.

The work of all the groups was to be completed by May 31, 1971, but for want of timely supply of bricks and on account of frequent early rains, it could not be completed by the due date. However, out of 256 panels, work on 237 panels has since been completed and the remaining work is expected to be completed soon.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के सामान-कार्यालय में अपर्याप्त सुविधायें

3744. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के सामान-कार्यालय को अपर्याप्त स्थान, सामान लादने-उतारने का अपर्याप्त प्रबन्ध तथा संचार संबंधी समस्याओं जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) उक्त सामान-कार्यालय के लिये और अधिक स्थान उपलब्ध कराने तथा इसके कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स अपने माल कार्यालय (कार्गो-आफिस) के कार्यकरण को सुधारने का प्रयास कर रहा है । अतिरिक्त स्थान तथा टेलीफोन-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की गई है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरी के लेखों में अनियमिततायें

3745. श्री पी० गंगादेव :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरी के मुख्य लेखा अधिकारी तथा रेंज अधिकारी के कर्यालयों के लेखों का टैस्ट लेखा परीक्षण करने के दौरान 50 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने केन्द्रीय सरकार (असैनिक) की वर्ष 1969-70 की राजस्व प्राप्तियों पर अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 में 49.29 लाख रुपये के न्यूनशुल्क निर्धारण/राजस्व की हानि सूचित की है । लेकिन महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सरकारी लेखा समिति के साथ विचार-विमर्श किया जाना बाकी है और तभी सरकार का दृष्टिकोण उस समिति को स्पष्ट किया जाएगा ।

(ख) नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित राजस्व की हानि का एक बड़ा भाग (49.29 लाख रुपयै में से 30 लाख रुपये) उत्पादन-शुल्क लगने योग्य ऐसी वस्तुओं में ग्रस्त केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से संबंधित है, जिनकी निर्यात के लिए निकासी बंध-पत्र के अधीन की गई थी और जिनके निर्यात किए जाने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए थे । समाहर्ता ने यह सूचित किया है कि तब से 14,10,449 रुपये 54 पैसे के राजस्व से संबंधित वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण दर्शाने वाले संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं ।

2,02,576 रुपये की रकम का संबंध ऐसे मामलों से है जिनमें निर्धारितियों द्वारा शुल्क की अदायगी के तौर पर जारी किए गए चैक खो गए थे अथवा बैंक में देर से प्रस्तुत किए गए थे किन्तु ऐसे सभी मामलों में नए चैक प्राप्त कर लिए गए थे और भुनवा लिए गए थे और इस प्रकार इनमें राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है ।

न्यून शुल्क निर्धारण के अन्य सभी मामलों में जिनकी रिपोर्ट की गयी है या तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा आपत्ति सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है अथवा लेखा परीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के बाद अनुवर्ती शुल्क की मांगें जारी कर दी गई थीं लेकिन पार्टियों ने शुल्क-निर्धारणों के संबंध में विवाद उठाया है और उन्होंने अपील अथवा नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की हैं और मामले न्याय के लिये विचाराधीन हैं।

कार्यविधि संबंधी अनियमितताओं, गलत वर्गीकरण आदि के कारण हुए न्यून-शुल्क निर्धारणों के इन सभी मामलों पर अभी अन्तिम तौर पर निर्णय लिया जाना है और बहुत से मामलों में सरकारी लेखा समिति के समक्ष सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाना है । यदि इन मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद यह पाया जाता है कि कोई अधिकारी लापरवाह अथवा गलती पर रहा है, तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना

3746. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्य-वार कितनी नई शाखायें खोलने का है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों की नई शाखायें खोलने सम्बन्धी अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व (राज्यवार मांगों के अनुसार) राज्य सरकारों से इस बारे में विचार-विमर्श किया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में उत्तर बंगाल क्षेत्र के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां नई शाखायें खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अब तक तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार 1971 के अन्त तक 1972 के प्रारंभिक दिनों में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगभग 700 नये बैंक कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऊपर बताये गये शाखा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धित जिलों के नेता बैंकों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान पता लगाये गये वृद्धि केन्द्रों के आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की गई बैंक व्यवसायियों की बैठकों में तैयार किये गये थे। जिन जिलों के सम्बन्ध में इस प्रकार कार्यक्रम नहीं बनाये गये थे उनके लिए कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नेता बैंकों द्वारा जिला अथवा राज्यीय स्तर पर बुलाई गयी बैठकों में दिया गया था। राज्य सरकारों के अधिकारी इन बैठकों में आम तौर पर बुलाये जाते हैं।

(ग) अब तक तैयार किये गये कार्यक्रमों के अनुसार इस वर्ष के दौरान उत्तरी बंगाल के जिलों में 16 नये बैंक कार्यालय खोलने का विचार है। आगे और कार्यक्रम सम्बन्धित जिलों के नेता बैंकों द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर बनाये जायेंगे।

दिल्ली के कालेजों में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्रवेश देने के लिये मापदंड

3747. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कालेजों में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्रवेश देने के लिए वर्तमान शैक्षिक वर्ष में क्या मापदन्ड अपनाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार कालिजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिवासियों के प्रत्याशियों के नामों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों में से 20% सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिवासियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं (15% अनुसूचित जातियों और 5% अनुसूचित आदिवासियों के लिए जिनमें आवश्यकतानुसार अन्तर बदल किया जा सकता है) संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी

पात्रता और योग्यता निर्धारण के मामले में इन प्रत्याशियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक की छूट भी दी गई है।

विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रथम और पखर्तीवरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या का विभिन्न कालिजों में आबंटन किया जाएगा और उनको प्रवेश पर्चियां जारी की जाएंगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार पंजीकृत सभी विद्यार्थियों की सूची के विषय में कालिजों को सूचना दी जाएगी।

3748. **श्री वी० के० दासचौधरी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रवेश-फार्मों तथा विवरण-पत्रों के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य दिल्ली के भिन्न-भिन्न कालेजों में भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा दिल्ली के कालेजों द्वारा बेचे जा रहे प्रवेश-फार्मों तथा पुस्तिकाओं के मूल्यों में समानता लाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) सरकार का विचार उन निर्धन छात्रों के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है जो अपनी पसन्द के कालेज का चयन करने हेतु विभिन्न कालेजों की ये पुस्तिकायें खरीदने में असमर्थ है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सांस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार कालेजों द्वारा प्रकाशित प्रवेश-फार्मों तथा विवरण-पत्रों के मूल्यों में कुछ असमानता है। यह असमानता विवरण-पत्रों के आकार और उनकी छपाई में होने वाली लागत के अनुसार है। भिन्न-भिन्न कालेजों के विवरण-पत्रों में एकरूपता लाने के लिए और उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

लापता भारतीय मालवाहक पोत महाजगमित्र का पता लगाने के लिये किये गये प्रयत्न

3749. **श्री बजराज सिंह** (कोटा) : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का आगे पता लगाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं कि क्या पूर्वी पाकिस्तान में भोला द्वीप समूह के निकट लगभग उसी समय रेत में धंसा पाया गया मालवाहक पोत ही भारतीय मालवाहक पोत महाजगमित्र था जो 11 नवम्बर, 1970 को कलकत्ता पत्तन से रवाना हुआ था; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत सरकार द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कंपनी के निदेशक, श्री आर० ब्राग और ढाका में भारत के उपायुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार भोला द्वीप समूह के निकट धंसे सभी जहाज पाकिस्तानी जहाज थे। जांच अदालत के समक्ष अपने गवाही में भी श्री ब्राग ने कहा कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में बारीसाल जिले में भोला के ऊपर के क्षेत्रों और नौखाली और सन्द्वीप द्वीपसमूह के भागों में हवाई खोज करवाई परन्तु एम० वी० महाजगमित्र का कोई

चिन्ह नहीं मिला। अदालत के समक्ष दी गई गवाही के आधार पर यह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जहाज की हानि एक दैवी कार्य था या ऐसा कहा जाये कि यह समुद्री तूफान के अन्तर्गत भारी मौसम में हुआ।

(ख) समुद्री सीमा के बाहर पाकिस्तान और बर्मा के तटीय और हमारे क्षेत्रों की विस्तृत हवाई खोज की गई परन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

Educational and Economic Uplift of Bhil Adivasis

3750. **Shri Brijraj Singh** (Kotah) : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:–

(a) whether lakhs of Bhil Adivasis, symbolizing gallantry shown by Maharana Pratap, are leading a backward life educationally and economically;

(b) the total number of these Bhil Adivasis in Rajasthan;

(c) whether any surveys have been conducted by the Central Government in regard to their backwardness; and

(d) the steps being taken by Government for their uplift?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy): (a) Generally speaking, the Scheduled Tribes which include Bhil Adivasis are more backward, educationally and economically, than the rest of the society.

(b) 9,06,705 (1961 Census).

(c) No, Sir.

(d) Grants-in-aid are being given to the various State Governments for undertaking schemes for the educational and socio-economic development of Scheduled Tribes, including Bhil Adivasis.

अमरीका से प्राप्त उपहारों का वितरण

3751. **श्री ब्रजराज सिंह** (कोटा) : **क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होने वाले उपहार के वितरण के लिये सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संभवतः माननीय सदस्य का संकेत भारत में गैर-सरकारी स्वयंसेवक अभिकरणों द्वारा प्राप्त और वितरित की गयी वस्तुओं की ओर है। स्वयंसेवक अभिकरणों के लिये यह आवश्यक है कि वे इन वस्तुओं का वितरण अनुमोदित कार्यक्रमों जैसे स्कूली बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये पोषाहार कार्यक्रमों कृषि तथा सामुदायिक निर्माण-कार्य कार्यक्रमों, राहत तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्तिकर्ता की जरूरत के अनुसार और उसकी जाति वंश, पंथ या धर्म पर ध्यान दिये बिना करें।

Arrears of Income-tax and Excise Duty in Bihar

3752. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether huge amount of Income-tax and excise duty are yet to be realised in Bihar;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the action contemplated by Government to realise the outstanding money and when the action is expected to be initiated?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) & (b) The amount of arrears of Central Excise duty to be realised in Bihar and the amount of Income tax outstanding in the charge of Commissioner of Income-tax, Bihar as on 31-3-1971 were Rs. 909.60 lakhs and Rs. 943.19 lakhs respectively.

(c) Such steps as are available in law and depending upon the facts and circumstances of each case are being taken for early realisation of the arrears.

Scheme to Promote Tourism in Bihar

3753. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:–

(a) whether the Government of Bihar have formulated any scheme to promote tourism in the State;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether Government of Bihar have sought any assistance from the Central Government for the purpose; and

(d) if so, the amount asked for and the amount sanctioned by the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation: (Dr. Sarojini Mahishi): (a) & (b) Yes, Sir. A statement of the tourism schemes proposed to be taken up by the Government of Bihar during the Fourth Plan is attached. [Placed in the Library. See No. L.T.591/71]

(c) & (d) Proposals for tourism schemes amounting to Rs. 85.50 lakhs were received from the State Government for inclusion in the Central sector during the Fourth Plan. After discussions with the State Government it has been decided to include tourism schemes amounting to Rs. 28.50 lakhs in the Central Plan. A statement of the schemes is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See. No. L.T.591/71]

मनीपुर में नृत्य तथा संगीत का प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के लिये अनुदान

3754. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की सरकार मनीपुर में नृत्य तथा संगीत का प्रशिक्षण देने वाले योग्य संस्थाओं को आवर्ती अनुदानों का भुगतान करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर की सरकार इन संस्थानों को मिल रहे तदर्थ अनुदानों के वर्तमान ढांचे में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विशिष्ट संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के शासी नियमों के अन्तर्गत मनीपुर प्रशासन द्वारा ऐसी संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष अनुदान दिए जाते हैं। प्रायः सभी संस्थाओं को आवर्ती अनुदान मिलता है। वर्षानुवर्ष उनके कार्यकलापों को देखते हुए ही तुल्यता के आधार पर राशि की मात्रा का वार्षिक निर्धारण किया जाता है।

मनीपुर समाज कल्याण बोर्ड के अधीन महिलाओं के लिये चल रहे संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्कूलों से लाभ

3755. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर समाज कल्याण बोर्ड के अधीन महिलाओं के लिये चल रहे संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्कूलों का अब तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा है;

(ख) अन्तिम परीक्षाओं में उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता कितनी रही तथा मनीपुर में इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां तो कितने समय तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) 340 स्त्रियों को लाभ पहुंच चुका है तथा 55 इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

(ख) 9 पाठ्यक्रमों (पूरे किए जा चुके 13 पाठ्यक्रमों में से) के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर 55 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अन्तिम परीक्षा पास की। मनीपुर में चलाए गए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अब तक 3.19 लाख रुपए की धन राशि खर्च की है।

(ग) इस योजना को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जारी रखे जाने की संभावना है।

(घ) कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

मनीपुर के वार्षिक अन्तर्विद्यालय खेलकूद कार्यक्रमों में रखे गये देशीय खेलकूद

3756. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक अन्तर्विद्यालय खेल कूद कार्यक्रमों में रखे गये मनीपुर के स्थानीय खेल कूदों के नाम क्या हैं, और

(ख) मनीपुर के स्कूलों तथा कालेजों में देशीय खेल कूदों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या वित्तीय और प्रशासनीय व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मनीपुर शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक अन्तर्विद्यालय खेलकूद कार्यक्रमों में ढोगकांग, यूबिलाकपी तथा मुकनया सम्मिलित थे।

(ख) देशी खेलकूदों के लिये बजट में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। तथापि, इस मद पर खर्चा, मनीपुर में स्कूलों और कालेजों में खेलकूद कार्यकलापों के लिये मनीपुर शिक्षा से बजट में प्रदान की गई 1,20,000.00 रु० की एक मुश्त व्यवस्था में से वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त देशीय खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठनों सहित खेलकूद के संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए 70,000.00 रु० की व्यवस्था की गई है।

वैशाली में नवनिर्मित संग्रहालय में प्रदर्शनीय वस्तुओं का ले जाया जाना

3757. **श्री नवल किशोर सिंह:** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैशाली (मुजफ्फरपुर बिहार) में नवनिर्मित संग्रहालय भवन खाली पड़ा है तथा पुराने संग्रहालय भवन से प्रदर्शनीय वस्तुओं को अभी तक वहां नहीं ले जाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री० डी० पी० यादव): (क) और (ख) यद्यपि वैशाली में नेवे संग्रहालय भवन सामान्यता तैयार हो गया है, तथापि लोहे की जाली अभी खिड़कियों और रोशनदानों में लगनी बाकी है, जो प्रदर्शनीय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लोहे की जाली के अभाव में भवन अभी तक पूरा नहीं है तथा संग्रहालय के रूप में उपयोग के लिए ठीक नहीं है और न ही अभी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण द्वारा नियंत्रण में लिया गया है।

भाड़े की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दल की लन्दन यात्रा

3758. **श्री एस० एम० कृष्ण: श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह:** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय दल भारत यू० के० महाद्वीप सम्मेलन द्वारा नौवहन भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत वृद्धि करने के बारे में वार्ता करने हेतु 11 और 12 जून को लन्दन गया था, और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकले हैं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमन्डल में इंडिया/पाकिस्तान/यू० के० कान्टीनेन्ट कांफ्रेंस से 11 तथा 16 जून, 1971 को लन्दन में विचार विमर्श किया।

(ख) विचार विमर्श के दौरान सम्मेलन प्रस्तावित भाड़ा वृद्धि से सम्बन्धित केवल निम्नलिखित कटौती । रियायतों की सहमति देने की इच्छा प्रकट की है।

(1) 15 प्रतिशत वृद्धि को कम करके $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत वृद्धि करना।

(2) संवेदी वस्तुओं पर रियायतें यथावत रखी जायेंगी तथा पहले अधिसूचित किये गये पैकेज के अन्दर, सरकार रियायत की गई वस्तुओं की सूची को बदलने के लिए स्वतंत्र होगी।

(3) लागत तथा मूल्यों के उतार चढ़ाव के अधीन सम्मेलन अगले वर्ष लगभग इस समय नई वृद्धि के लिए विचार विमर्श कर सकती है।

(4) स्वेज अधिभार में कोई बदल नहीं होगा परन्तु लन्दन अधिभार की (लन्दन पत्तन प्राधिकरण) की पी० ल० ए० के साथ विचार विमर्श के दौरान सम्मेलन द्वारा शीघ्र समीक्षा की जायेगी। परन्तु लन्दन पत्तनों में स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समायोजन, यदि कोई हो, तो कम ही होने की संभावना है।

उन्होंने, ऐसी रियायतें जिन पर सहमति हुई हो, को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए पहले ही स्वीकृति देदी है। सरकार अब सम्मेलन द्वारा बतायी गई शर्तों की जांच कर रही है। तथा सम्मेलन द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर उनकी प्रतिक्रिया को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

निरक्षरता के बारे में संयुक्त राष्ट्र क्षैशणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

3759. **श्री एस० एस० कृष्ण :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने अपने अन्तिम सर्वेक्षण प्रतिवेदन में बताया है कि 18 एशियाई विकासशील राष्ट्रों के आधे से अधिक वयस्क व्यक्ति अभी तक अनपढ़ हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत सम्मिलित है, और

(ग) यदि हां तो भारत के सम्बन्ध में क्या आंकड़े दिये गये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और सांस्कृतिक विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) और (ख) जी हां। एशिया में युनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय की मार्च, 1971 की पत्रिका में इस प्रकार बताया गया है :—

"यह अनुमान है कि 1970 के आस पास एशियाई क्षेत्र में लगभग 35.5 करोड़ प्रौढ़ निरक्षर (15 वर्ष और उससे ऊपर के) जिनमें से 25 करोड़ से अधिक 15 से 44 वर्ष की आयु के लोग आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के थे। इसका तात्पर्य यह है कि दस में से पांच प्रौढ़ कार्मिक निरक्षर हैं।"

(ग) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 10 करोड़ प्रौ साक्षर हैं तथा भारत में 26 करोड़ प्रौढ़ निरक्षर हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की शिकायतों पर पुनर्विचार करने के लिये समिति

3760. **श्री कृष्णचन्द पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के प्रबन्धकों ने एयरलाइंस संघों की प्राय: सभी मांगों को पुन-विचार करने हेतु स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेशपद क्या हैं तथा यह समिति संभवत: कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) इण्डियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग ने इण्डियन एयरलाइंस आफिसर्स एसोसिएशन तथा इण्डियन फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन के साथ भी 2 जून 1971 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अन्तर्गत लगभग आठ हजार कर्मचारी आते हैं। इस यूनियन के साथ शेष वर्गों के लिए, जिनका कि यह प्रतिनिधित्व करती है, वार्ता चल रही है। अन्य यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ, इंडियन कामर्शल पायलट्स एसोसिएशन को छोड़कर वार्ता प्रगति पर है। आई० सी० पी० ए० ऐसी वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि इंडियन एयरलाइंस में पहले "सामान्य परिस्थितियां" बहाल करने पर ज़ोर दे रही है अर्थात् कुछ विमान चालकों (जिनमें

एक कार्यकारी भी सम्मिलित है) के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले छोड़ दी जाए। यद्यपि प्रबन्धक वर्ग कार्यकारी विमान चालक के प्रश्न पर एसोसिएशन के साथ बात चीत करने के लिए सहमत नहीं है तथापि अन्य मामलों पर समय समय पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचे तथा प्रबन्धक वर्ग और इसके कर्मचारियों के सम्बन्धों पर विचार करने तथा सरकार को कार्मिक वर्ग सम्बन्धी नीतियों एवं परिपाटियों को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए सिफारिश करने के लिये एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अगस्त 1971 तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कर रही संस्थाओं को अनुदान

3761. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या **शिक्षा और सामाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कर रही समितियों और संस्थाओं को अनुदान देने सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृतिक विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां।

(ख) नियमों की प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०—592/71]

विदेशों को उच्च अध्ययन के लिये जाने वाले विद्यार्थी

3762. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये विदेशों को देशवार गये;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थी राज्य की छात्रवृत्ति पर विदेशों को देश वार गये;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट विद्यार्थियों में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ठेकों का उल्लंघन करके अपनी शिक्षा की समाप्ति के उपरांत स्वदेश नहीं लौटे हैं, और

(घ) उनके मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सांस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) :

अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे प्राप्त किया जाएगा और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

विकास खण्डों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

3763. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार और उत्तर बिहार में बैंकों की प्रत्येक शाखा के अन्तर्गत कुल कितनी आबादी है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम बैंक की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या प्रत्येक विकास खण्ड की देहाती जनता को ऋण देने और उनसे धन संग्रह करने की कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) मार्च 1971 के अन्त में भारत में लगभग 47,000 व्यक्तियों के पीछे वाणिज्यिक बैंकों का एक बैंक कार्यालय था। बिहार में प्रति 1,35,000 लोगों के पीछे एक बैंक कार्यालय था। उत्तरी बिहार के जिलों में जितनी जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय रहा है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	जून, 1969 में (अनुमानित)	मार्च, 1971 (अनुमानित)	दिसम्बर, 1971 (प्रायोजित)
			(हजारों में)
1. चम्पारन	334	130	86
2. दरभंगा . .	315	229	158
3. मुजफ्फरपुर	386	184	132
4. पूर्णियां	266	119	96
5. सहरसा . .	418	134	131
6. सारन . . .	362	262	181

(ख) प्रत्येक विकास खण्ड में एक बैंक कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है। नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रों के चुनाव के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले मापदण्डों की रूप रेखा का वर्णन 18 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में किया गया था।

(ग) 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खासकर देहाती क्षेत्रों में शुरू किये गये शाखा विस्तार के भा ी कार्यक्रम का उद्देश्य देहातों में बचतों को जुटाने में और देहाती जनता को बैंक ऋण की सुविधा देने में सहायता करना था। राष्ट्रीयकरण के बाद (मार्च 1971 के अन्त तक) खोले गये 3256 नये बैंक कार्यालयों में से 2139 कार्यालय अथवा लगभग 66 प्रतिशत कार्यालय देहाती क्षेत्रों में अर्थात् अधिक से अधिक 10,000 तक की जनसंख्या वाली जगहों पर खोले गये थे।

किसानों द्वारा लिया गया दस हजार से अधिक का बैंक ऋण

3764. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **वित्त मन्त्री** 28 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस हजार से अधिक बैंक ऋण लेने वाले किसानों की कुल संख्या क्या है तथा ऋण लेने वाले कुल किसानों और उन सब को दिये गये कुल ऋण की तुलना में उनका अनुपात क्या है; और

(ख) बैंक ऋण लेने वाले खेतिहारों और छोटे किसानों की संख्या क्या है और क्या उनके पक्ष में उनसे अलग-अलग दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) बैंक इस रूप में आंकड़े संकलित नहीं करते। अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के संदर्भ में, जिसका उत्तर इसी सदन में 28 मई, 1971 को दिया गया था राज्यवार ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्नों द्वारा सूचना एकत्रित की जा

रही है, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक के कृषि ऋण लिए हैं। 10,000 रुपये से अधिक के अग्रिमों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। यह मानना पड़ेगा कि इन आंकड़ों को एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा। रिजर्व बैंक से जैसे ही आंकड़े उपलब्ध होंगे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) फरवरी 1971 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्रत्यक्ष रूप में कृषि हेतु वित्त प्राप्त करने वालों के खातों की कुल संख्या 7,96,094 थी। बैंक "छोटे (सीमांतिक) किसानों" के सम्बन्ध में (जिस पद का तात्पर्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वहां की भूमि की दशा और पानी की उपलब्धि आदि के कारण अलग-अलग होगा) आंकड़े नहीं रखते। इस समय बैंक छोटे कृषि ऋणों पर भिन्न भिन्न दरों से ब्याज नहीं ले रहे हैं। यहां यह भी बता दिया जाय कि रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त ब्याज की भिन्न-भिन्न दर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

एकाधिकार गृहों के संस्थागत ऋणों को साम्य अंशों में बदलना

3765. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री एकाधिकार गृहों द्वारा दिये जाने वाले संस्थागत ऋणों के बारे में 4 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋणों को साम्य अंशों में बदलने के मार्ग में क्या कठिनाई है ?

(ख) एकाधिकार तथा बड़े व्यापार गृहों को संस्थागत ऋण देने, बन्द करने तथा अब तक दिये गये समस्त धन को साम्य अंशों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) ऋणों को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय यह है कि उन औद्योगिक प्रायोजनाओं के मामले में, जो सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से, मध्यम अवधि या लम्बी अवधि के आधार पर बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त करती है, उन संस्थाओं के पास ऋणों/ऋणपत्रों के रूप में दी गयी सहायता को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तन करने का अधिकार सामान्यतः सुरक्षित रहेगा। वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में जारी किये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करने में किसी प्रकार की बाधा पड़ने की आशा नहीं है। हमारा इरादा उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए संस्थागत ऋणों को रोकने से नहीं है। जिन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें एकाधिकार-प्राप्त या अन्य बड़े व्यापारिक संस्थान या उस प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक संस्थान को, पहले दिये गये ऋणों को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित करने की परिकल्पना नहीं की गयी है। भविष्य में दीर्घावधिक सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का सामान्य पूंजी में परिवर्तन करना अनुबन्ध में दी गयी नीति के ढांचे के अन्तर्गत ही किया जायगा। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०—593/71]।

पुस्तक उद्योग तथा व्यापार का सर्वेक्षण

3766. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पुस्तक उद्योग तथा व्यापार का एक व्यापक सर्वेक्षण करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति संभवतः कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां। किन्तु समिति ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अभी कुछ समय लगेगा।

हवाई टैक्सी सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

3767. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई टैक्सी सेवा आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जिन मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस का परिचालन नहीं है उन मार्गों पर निजी परिचालकों द्वारा वैमानिक टैक्सी सेवाओं के परिचालन का प्रश्न विशेष रूप से देश के विभिन्न भागों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्राचीन स्मारकों को प्रदर्शित करने तथा उनके परिरक्षण की असंतोषजनक स्थिति

3768. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1971 के समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्राचीन स्मारकों को प्रदर्शित करने तथा उनके परिक्षण की स्थिति असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) जी हां।

(ख) विवरण, लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में तारीख 31-3-1971 के स्टेट्समैन में दी गई रिपोर्ट वस्तुतः ठीक नहीं है।

राष्ट्रीय संग्रहालय के पास कला, पुरातत्व, मानव-विज्ञान, प्राक्-इतिहास, मध्य एशियाई पुरावशेष, प्राक्-कोलम्बियाई कला, मुद्रा-शास्त्र, पुरालेख-शास्त्र आदि का निरूपण करने वाला एक बड़ा और विविधि प्रकार का संकलन है।

राष्ट्रीय संग्रहालय ने परिरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। उसकी केन्द्रीय परिरक्षण प्रयोगशाला, देश के अनेक अन्य संग्रहालयों को अपनी सेवा प्रदान करने के साथ-साथ मुख्यत: संग्रहालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

संग्रहालय में लघु-चित्रों और ड्राइंग का एक बड़ा संकलन है, किन्तु उन सबको एक साथ प्रदर्शित करना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण वीथी में स्थान की कमी है। केवल प्रत्येक शैली प्रतिनिधिक लघु-चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय में साज-सज्जा उच्च कोटि की है जिनकी प्रशंसा दर्शकों ने भी की है।

स्थान की कमी के बावजूद, मध्य एशियाई पुरावशेषों के लिए अलग से दो वीथियां हैं। इसके अतिरिक्त भित्ति चित्रों के लिए बराबर के भवन में एक बड़ा उपभवन भी है।

जहां तक भवन और उसके निर्माण का संबंध है, उसका प्रथम चरण 1960 में पूरा हो गया था। दूसरे चरण का कार्य, नियत समय के अनुसार, कुछ वर्ष पूर्व शुरू करना था, किन्तु धनाभाव के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका। किन्तु, भवन का दूसरा चरण, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूरा होने की आशा है।

लकड़ी, वस्त्रों आदि जैसी खराब होने वाले प्रकार की वस्तुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है विकार ग्रस्त होने वाली वस्तुओं का नियमित रूप से दीमक-निरोधी उपचार किया जाता है और दीमक का पता लगते ही, उसका दीमक-निरोधी घोल से उपचार किया जाता है।

संग्रहालय की वस्तुएं जैसे कि रंगीन वस्त्र, बहुरंगी मूर्तियां, चित्र तथा अन्य वस्तुएं प्राकृतिक रोशनी के उपयोग से कमीबेश विकृत हो जाती हैं। प्राकृतिक रोशनी में, दृश्य स्पैक्ट्रम बैंड होता है और इसके दोनों छोरों पर पराबैंगनी और अवरक्त बैंड संलग्न है, जोकि दोनों ही हानिकारक है। इसलिए, इन्हें अलग करना होता है। विदेशों के संग्रहालयों द्वारा अप्राकृतिक रोशनी के उपयोग करने का यह मुख्य कारण है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आवश्यक वातानुकूलित संयंत्र तथा अन्य उपस्कर लगाने का प्रबन्ध कर रहा है। अभी भी, पांडुलिपियों के सुरक्षित संकलन को कूलरों की विशेष व्यवस्था करके शीतल गोदामों में रखा जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए चोर-अमेघ् घंटी पिद्यति की सिफारिश (डा० एम० एस०) रणधावा समिति ने नहीं की है, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था।

राष्ट्रीय संग्रहालय अपने विद्वतापूर्ण मोनोग्राफों के अतिरिक्त, पहले ही से अनेक लोक प्रिय प्रकाशन जारी कर चुका है।

यद्यपि, पिछले दो वर्षों में, राष्ट्रीय संग्रहालय में दर्शकों की संख्या में कुछ कमी हुई है, किन्तु संग्रहालय में योजना बद्ध स्कूली छात्र दर्शकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संग्रहालय भवन में कोई संरचनात्मक कमियां नहीं है।

जामनगर में एक दूसरे पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव

3769. **श्री डी० वी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में 'विक्टोरिया पुल' के नाम से प्रसिद्ध केवल एक ही पुल है जो जामनगर को देश से मिलाता है,

(ख) यदि हां, तो रक्षा की दृष्टि से और नगर के सामरिक महत्व के कारण क्या सरकार का विचार जामनगर में एक अन्य पुल बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। यह राजकोट-जामनगर सड़क पर जामनगर के पास मौजूदा रेल एवं सड़क पुल है।

(ख) जामनगर में प्रस्तावित दूसरा पुल, बनने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा। गुजरात सरकार जो उक्त पुल से मुख्यतः संबंधित है ने सूचित किया है कि उनका प्रश्नगत पुल को निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी

3770 श्री सुबोध हंसदा: क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरपराइसिस ने अपने 26-6-70 के कार्यालय ज्ञापन संख्या वी० पी०ई० (1) 5/ए०डी०वी० (फाइनेंस) 67 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये थे कि सरकारी उपक्रमों के 1600 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी की जाये;

(ख) इन अनुदेशों का आशय क्या है कि अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गणना करने के लिये वेतन 1600 रुपये प्रतिमास ही समझा जायगा चाहे वास्तविक वेतन कुछ भी हो;

(ग) क्या एक उपक्रम के सभी अधिकारियों को 1965 के बोनस अधिनियम के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से घोषित किये गये बोनस की 1800 रुपये की राशि मिलेगी चाहे वास्तव में उनका वेतन कुछ भी हो; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में 1600 रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को इन सरकारी उपक्रमों द्वारा वास्तव में बोनस में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने वे हिदायतें जारी की हैं, जिनके अनुसार सरकारी उपक्रमों के उन अधिकारियों को, जिनको 1600 रुपये से ज्यादा वेतन मिलता है, भी कृपापूर्ण अदायगी की जा सकेगी, बशर्ते कि:—

(1) उपक्रम को लाभ होता रहा हो;

(2) अदायगी "उपलब्ध 40 प्रतिशत अधिशेष की रकम के नियोजक के हिस्से" से उस रीति से की जाय जैसी बोनस अदायगी अधिनियम में निर्धारित है;

(3) प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की इस प्रकार अदायगी पाने का हक तभी होगा, जबकि वे उपक्रमों के पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन पा रहे होंगे। इस प्रयोजन के लिए, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उन कर्मचारियों को जिन्हें अपने वर्ग का वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल रहा होगा, एक खास अवधि के अन्दर अन्दर कम्पनी के वेतनमान को स्वीकार कर लेने का विकल्प चुनने को कहा जायगा।

(ख) बोनस अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत, उन कर्मचारियों को, जिनको 1600 रुपया प्रतिमास या उस से कम वेतन मिलता है, बोनस पाने का हक होगा और बोनस की रकम, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनको प्रतिमास 750 रुपये से ज्यादा और प्रतिमास 1600 रुपये तक की रकम समेत 1600 रुपये तक का वेतन मिलता हो, 750 रुपया प्रतिमास के वेतन के आधार पर ही तय की जायगी।

इसी प्रकार, कार्यालय के आदेशों के अन्तर्गत, 1600 रुपया मासिक से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को भी कृपापूर्ण अदायगी की जा सकेगी, परन्तु कृपापूर्ण अदायगी की रकम तय करने के प्रयोजन से, मासिक वेतन की रकम 1600 रुपया ही मानी जायगी, चाहे अधिकारी वस्तुतः कुछ भी वेतन क्यों न पा रहा हो। कार्यालय की हिदायतों का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबन्धकों को भी बढ़ावा देने से है।

(ग) यदि, बोनस अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत, 20 प्रतिशत की दर के हिसाब से बोनस की घोषणा कर दी जाय, तो उन अधिकारियों को, जिनको 750 रुपया से लेकर 1600 रुपया तक मासिक वेतन मिलता है, 1800 रुपया बोनस पाने का हक होगा। जिन अधिकारियों को 750 रुपया मासिक से कम वेतन मिलता है, उनके बोनस की रकम उनके वार्षिक वेतन के 20 प्रतिशत भाग के हिसाब से निर्धारित की जायगी। जिन अधिकारियों को 1600 रुपये मासिक से अधिक वेतन मिलता हो, उनको वर्षभर के लिए 3840 रुपये की कृपापूर्ण अदायगी पाने का हक तभी होगा, जबकि निर्धारित सूत्र के अन्तर्गत भी माने गये अपने वार्षिक वेतन के 20 प्रतिशत भाग तक की रकम की कृपापूर्ण अदायगी प्राप्त करने के हकदार हो गये होंगे, बशर्ते की उपर्युक्त पैराग्राफ (क) में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी होती हों।

(घ) चूंकि लेखा वर्ष केवल 31 मार्च, 1971 को ही समाप्त हुआ है, इसलिए अभी इतनी जल्दी यह आशा नहीं की जा सकती कि सभी उपक्रमों के जांचे हुए वे लेखे तैयार मिलेंगे जिनके आधार पर बोनस की रकम की घोषणा की जानी है।

Reclassification of Bombay, Calcutta and Delhi

3771. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:–

(a) whether the population of Bombay, Calcutta and Delhi exceeds 40 lakhs;

(b) if so, whether these cities would be classified as A-1 cities and house rent, city compensatory, travelling and other allowances to the employees working in these cities would be enhanced accordingly; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) According to the provisional population figures of the 1971 Census, the position is as under:–

	Population
1. Greater Bombay . . .	5,931,989
2. Calcutta Urban Agglomeration . .	7,040,345
3. Delhi Urban Agglomeration	3,629,842

(b) & (c) No, Sir. The question of revision of the existing basis for classification of cities as also of revision of various allowances will have to await the recommendations of the Third Pay Commission.

दक्षिण स्थित विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन

3772. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के अभी हाल में आयोजित सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि अल्प अवधियों के लिए विश्वविद्यालयों के मध्य छात्रों का विनियम किया जाय;

(ख) क्या सम्मेलन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह भी अनुरोध किया था कि इस प्रकार योजना के लिए उदारतापूर्वक सहायता दी जाय; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी, हां ।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले से ही एक ऐसी योजना को अमल में ला रहा है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के भ्रमण द्वारा देश को जानने के योग्य बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है ।

(ग) सम्मेलन की कार्यवाही को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगली बैठक के सामने रखा जा रहा है।

शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जारी रखना

3773. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के सर्व समिति से यह कहा है कि डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय भाषा के अलावा अंग्रेजी को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में जारी रखा जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त सम्मेलन ने अंग्रेजी को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में जारी रखने के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट की ।

(ख) सरकार ने यह नोट किया है कि संकल्प सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार है ।

अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देना

3774. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के बच्चों, विशेषकर विकलांग बच्चों को, छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 में कुल कितनी छात्रवृत्तियां देने का विचार है; और

(ग) सरकार को इस संबंध में अब तक कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का शिक्षा विभाग 1961-62 से स्कूल के अध्यापकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष कार्यरत स्कूल अध्यापकों के लिए 500 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है । जो अध्यापक शारीरिक रूप से विकलांग है उनके बच्चे भी इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का समाज कल्याण विभाग पिछले 15 वर्षों से अध्यापकों के बच्चों सहित शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी एक योजना चला रहा है । 1971-72 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1300 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) अध्यापकों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाती है जिन्हें अपने-अपने अध्यापकों की संख्या के अनुपात से छात्रवृत्तियां आवंटित की जाती है । हाल ही में इस योजना को विज्ञापित किया गया था और अभी तक राज्य सरकारों को सभी आवेदन प्राप्त नहीं हुए होंगे । इसी प्रकार "विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां" योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1971 है ।

नरुला फाईनेंस कम्पनी

3775. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कम्पनी कार्यमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरुला फाइनेंस कम्पनी का दिवाला निकले लगभग दो वर्ष हो गये हैं और जमाकर्ताओं को अभी भी किसी रकम का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार उक्त कम्पनी के लेन-देन को नियमित करने के बारे में कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमन् । नरुला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 30 दिसम्बर, 1968 को परिसमापन के आदेश दिये गये थे । दिल्ली उच्च न्यायालय से संलग्न सरकारी समापक, कम्पनी की परिसम्पतियों को वसूल करने के लिए, आवश्यक पग उठा रहा है । कम्पनी के जमाकर्ताओं तथा आकलनकर्ताओं द्वारा मिसिल किये गये दावों की कथित सरकारी समापक द्वारा संवीक्षा की जा रही है । चूंकि अभी परिसम्पतियों की वसूली तथा दावों की सवीक्षा पूरी नहीं हुई है अतः जमाकर्ताओं को देनदारी का अभी समय नहीं आया है ।

(ख) चूंकि उच्च न्यायालय के निर्देशनों के अन्तर्गत कम्पनी परिसमापित हो गई है, अतः सरकार द्वारा कम्पनी के संव्यवहारों को विनियमित करने का पग उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

ओवर ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिये राज्यों को विशेष ऋण

3777. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से विशेष ऋण के लिये अनुरोध किया है ताकि वे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अपने ओवर ड्राफ्टों का भुगतान कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओवर ड्राफ्ट की जो रकमें 30 जून, 1971 को बकाया थीं उन्हें ऐसे अथोपाय अग्रिमों की व्यवस्था करके चुका दिया गया है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान वसूल किया जा सकेगा ।

Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan

3778. **Shri Panna Lal Barupal:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Head Offices and Branches of the State Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan separately;

(b) the number of such Offices housed in Government buildings and of those housed in rented buildings;

(c) the monthly rent paid in the case of each of the rented buildings ;

(d) whether keeping in view the requirements of the time and the work-load there, the existing buildings are not suitable causing inconvenience to the officers and employees of the banks in their work; and

(e) if so, the steps being taken to remedy the situation?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) The State Bank of Bikaner and Jaipur has only one Head Office *viz.*, at Jaipur. It has 252 branches/offices in Rajasthan.

(b) Only one of the offices of the bank in Raiasthan is housed in Government buildings, while 6 are in buildings owned by the bank and 245 are in rented buildings.

(c) A statement is attached. [Placed in the Library See No. L.T-594/71]

(d) & (e) Barring 94 rented buildings all other existing buildings where the offices of the bank are located are considered adequate for present requirements. Suitable steps are being taken to arrange for additional or alternative accommodation at these places in due course.

राष्ट्रीय कृत बैंकों से ग्राम ग्रादमी को लाभ

3779. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम ग्रादमी के लाभ के लिए योजनायें प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ने सरकार की ग्रनुमति प्राप्त की थी; ग्रौर

(ख) योजनाएं किस प्रकार की थीं ग्रौर उनसे ग्राम ग्रादमी को क्या लाभ होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) ग्रौर (ख) क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य समाज के ग्रब तक उपेक्षित रहे वर्गों के लिये ऋण संबंधी सुविधाग्रों की व्यवस्था करना था, ग्रतः जन-साधारण के लाभ के लिये योजनाग्रों को ग्रारम्भ करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये सरकार की कोई विशेष ग्रनुमति प्राप्त करना ग्रावश्यक नहीं था । योजनाग्रों के स्वरूप के संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा के 28, मई 1971 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 638 के उत्तर की ग्रोर ग्राकर्षित किया जाता है ।

Arrears of Income-tax Outstanding Against Firms in Madhya Pradesh

3781. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax assessed by Government on M/s. Kaluaram Bhagwati Prasad, M/s. Brij Mohan Asok Kumar, M/s. Kedar Nath Brij Mohan and M/s. Ganesh of Sahalgarh Tehsil in Morena District of Madhya Pradesh during the last two years;

(b) the amount of Income-tax paid by these firms during the last two years; and

(c) the total amount of Income-tax arrears outstanding against these firms at present?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

House Rent Allowance Granted to Central Government Employees Living in Delhi

3782. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the percentage of House Rent Allowance granted to the Central Government employees living in Delhi; and

(b) the annual expenditure incurred by Government on this account due to shortage of Government accommodation?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) House Rent Allowance is admissible to Central Government employees at Delhi at the following rates subject to the fulfilment of the prescribed conditions:—

Pay per month (including Dearness Pay)	Rate of allowance
Rs.	Rs.
Below 100	15/-
100—3000	15% of pay (subject to a minimum of 20 and a maximum of 300).
Above 3000	10% of pay.

(b) The information for the financial year 1970-71 is being obtained from all Ministries and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Loan Outstanding Against Madhya Pradesh

3783. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of Central loan outstanding against the Government of Madhya Pradesh at present;

(b) the total amount paid as interest to the Central Government by the State Government during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71; and

(c) the amount to be paid as interest during the year 1971-72?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Rs. 397.73 crores as on 31st March, 1971.

(b) Rs. 18.12 crores during the financial year 1968-69, Rs. 19.46 crores during 1969-70 and Rs.19.45 crores during 1970-71.

(c) Rs. 19.52 crores approximately.

Loan Outstanding Against Bihar, Rajasthan and Kerala

3784. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of Central loan outstanding against Bihar, Rajasthan and Kerala at present;

(b) the amount of loan to be advanced to these States during the financial year 1971-72, separately; and

(c) the rate of interest on the loans advanced and the total amount of interest outstanding against the States at present, separately?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Central loans outstanding against the Governments of Bihar, Rajasthan and Kerala as on 31st March, 1971 amounted to Rs. 580.72 crores, Rs. 567.55 crores and Rs. 251.25 crores respectively.

(b) The Central assistance allocated to Bihar, Rajasthan and Kerala includes block loans amounting to Rs. 47.32 crores, Rs. 30.80 crores and Rs. 24.50 crores respectively. In addition, the State Governments would receive loans in lieu of Small Savings collections and for financing Centrally Sponsored Schemes, etc. The State Governments have, in their Budgets for 1971-72 assumed the following credits on account of Central loans:—

Bihar	Rs. 61.49 crores
Rajasthan	Rs. 35.94 crores
Kerala	Rs. 48.65 crores.

(c) Central loans to State Governments generally carry interest at 5% per annum with a rebate of $\frac{1}{4}$% for punctual repayments and interest payments. There are no arrears of interest on Central loans outstanding against the Governments of Bihar, Rajasthan and Kerala at present.

हरियाणा में पिंजौर के निकट हवाई अड्डे का निर्माण

3785. **श्री एम० सत्यानारायण राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में पिंजौर के निकट पर्यटकों के लिए एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में वित्तीय सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की गई है;

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) हवाई अड्डे के कब तक बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) चंडीगढ़ तथा मोरनी हिल्स क्षेत्र की, जिसे हरियाणा सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकसित कर रही है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के व्यय पर एक असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, हरियाणा सरकार के नागर विमानन के सलाहकार ने मई, 1971 में नागर विमानन के महानिदेशक को पिंजोर-नालागढ़ रोड़ पर माजरी गांव के समीप एक स्थान का निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी को भेजने की प्रार्थना की । नागर विमानन के महानिदेशक ने हरियाणा नागर विमानन सलाहकार से उस स्थान का नक्शा तथा अन्य कागजात मांगे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) (घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस की विरासत को सुरक्षित रखना

3786. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की विरासत को सुरक्षित रखने तथा उनके द्वारा देश के लिए की गई सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) ऐसी कार्यवाहियों के क्रियान्वयन में कितना व्यय किया गया है; और

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रति सम्मान में उसी उद्देश्य के लिए कितना व्यय किया गया तथा उसका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शकर रे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन

3787. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से फिल्म कलाकार अपने ठेकों में दिखाये गये धन से बहुत अधिक धन लेते हैं तथा इस प्रकार ऐसी धनराशि पर आयकर का भुगतान नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो काले धन को स्वीकार करने की इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) फिल्मों सितारों द्वारा काले धन की प्राप्ति के अनेक उदाहरण सरकार के नोटिस में आये हैं। जहां कहीं परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित होता है वहां फिल्मी सितारों द्वारा काला धन लिये जाने का पता लगाने के लिये तलासियां ली जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने काले धन में प्रचलन के व्यापक प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रत्यक्ष-कर जांच समिति नियुक्त की है। समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में अफीम की खेती

3788. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर अफीम उत्पादक क्षेत्र था ;

(ख) यदि हां, तो उस जिले में अफीम की खेती पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने और इसे अफीम की खेती योग्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) किसी विशिष्ट क्षेत्र को अफीम की खेती योग्य घोषित करने की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर 30 सितम्बर, 1969 तक अफीम उगाने वाला क्षेत्र था।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके मुख्यतः नीचे दिये गये कारणों से शाहजहांपुर जिले में अफीम पोस्त की खेती अक्तूबर, 1969 से रोक दी गयी थी :—

(i) दूसरे क्षेत्रों की तुलना में किसानों द्वारा की गई अफीम की औसत उपज कम थी; और

(ii) अफीम की पोस्त की खेती बिखरी थी और अफीम के उत्पादन तथा तस्कर व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखने में प्रशासनिक कठिनाई थी।

(ग) सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत पोस्त उगाने वाले उन परम्परागत क्षेत्रों का सामान्य सर्वेक्षण किया जायेगा जहां-जहां पहले पोस्त की खेती की गयी थी और अगली फसल के मौसम (1971–72) के दौरान पोस्त की खेती के लिये अधिक रकबा प्राप्त करने के लिये पोस्त उगाने वाले वर्तमान क्षेत्रों के निकट के क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण करने की योजना है।

(घ) अफीम की खेती के निमित्त किसी खास क्षेत्र को घोषित करने के लिये जो कुछेक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखे जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) वे क्षेत्र पोस्त उगाने वाले परम्परागत क्षेत्र हैं;

(ii) वे क्षेत्र सुसम्बद्ध तथा एक दूसरे से सटे हुए हैं;

(iii) पोस्त की खेती के लिए भूमि उपजाऊ तथा अनुकूल है; और

(iv) उचित सिचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा सामान्य मौसम की स्थिति अनुकूल है।

प्रचलन वाली मुद्रा

3789. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70 तक प्रचलन वाली भारतीय मुद्रा 363.7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपये कर दी गई है;

(ख) क्या यह वृद्धि उससे पिछले वर्ष में 325 करोड़ रु० की वृद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक है;

(ग) क्या नोटों के परिचालन में पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई थी जबकि रुपये के सिक्के के परिचालन में वृद्धि थोड़ी हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जनता के पास जो करेंसी है उसमें 1969–70 में केवल 328 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी और मार्च, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को यह रकम 4010 करोड़ रुपये थी। इससे पहले के वर्ष 306 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

(ग) 1969–70 में नोटों के चलन में 345 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि इससे पहले के वर्ष में 303 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

परन्तु महात्मा गांधी जन्म-शताब्दी स्मारक सिक्कों सहित रुपयों के सिक्कों के चलन में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 11 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई जबकि इससे पहले के वर्ष में 23 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

(घ) करेंसी का विस्तार राष्ट्रीय उत्पादन के विकास, औद्योगिक ढांचे के विविधीकरण और अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी नीति का एक मुख्य उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि मुद्रा के विस्तार को, करेंसी का प्रसार जिसका प्रधान अंग है, उन सीमाओं के अन्दर रखा जाय जो राष्ट्रीय उत्पादन के विकास और अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बढ़ती हुई आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित की गई हों।

जामेर एयरलाइन्स

3790. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज जामेर एयरलाइन्स के स्वामियों के नाम तथा पत्ते क्या हैं;

(ख) उक्त कम्पनी को विमान सेवा जारी करने के लिये लाइसेन्स किस तारीख को दिया गया था; और

(ग) यह कम्पनी कितने और किन-किन मार्गों पर अपनी विमान सेवा चला रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जामेर एयरलाइन्स एक निजी लिमिटेड कम्पनी है। इसके निदेशकों के नाम तथा पत्ते इस प्रकार हैं :—

1. श्री सी० एल० चंडक	2, कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता
2. श्री जे० बी० मफ	2, कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता
3. श्री पी० आर० चंडक	2, कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता
4. श्री जी० एन० चंडक	2, कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता
5. श्री बी० आर० चोपड़ा	402, आकाश दीप, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(ख) जामेर को 31 दिसम्बर, 1958 को 1-1-1959 से प्रभावी होने वाला एक अनुसूचित सेवा परमिट जारी किया गया था। तब से इसका समय-समय पर नवीकरण किया जा रहा है तथा इस समय यह 31-3-1972 तक मान्य है।

(ग) इस समय कम्पनी निम्न तीन मार्गों पर विमान परिचालन कर रही है :—

1. कलकत्ता—अगरतला
2. कलकत्ता—जलपाईगुड़ी (पुर्निया के मार्ग से)
3. कलकत्ता—जलपाईगुड़ी—तेलिपाड़ा—ग्रासमोर—भाटपारा—न्यूलैंड्स।

जाम एयरलाइन्स के पास विमान

3791. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जाम एयरलाइन्स के पास कितने विमान हैं;

(ख) विमानों का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) इस कम्पनी के कितने विमान अब तक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जामेयर के विमान बेड़े में तीन स्काईमास्टर तथा तीन डकोटा विमान हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 27.5 लाख रुपये है, (इसमें हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए दो डकोटा विमान, जिनका मूल्य लगभग 6 लाख रुपये है, सम्मिलित नहीं हैं)।

(ग) दोनों डकोटा विमान गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे--एक 5 दिसम्बर, 1970 को सफदरजंग हवाई अड्डे के पास तथा दूसरा 26 मार्च, 1971 को हाशिमारा के पास।

5 दिसम्बर, 1970 को हुई दुर्घटना की जांच रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसकी जांच की जा रही है। 26 मार्च, 1971 को हाशिमारा के समीप हुई दुर्घटना की जांच एक जांच-अदालत द्वारा की जा रही है।

विश्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की मांग

3792. **श्री इन्द्र जीत गुप्त**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय रुपये के और अधिक अवमूल्यन की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

ट्रैक्टर खरीदने के लिये विश्व बैंक से ऋण

3793. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले 10,000 ट्रैक्टरों के मूल्य का भुगतान करने के लिये ऋण लेने हेतु विश्व बैंक के साथ करार किया था;

(ख) इस करार के अनुसार आयात किये जाने वाले एक ट्रेक्टर का मूल्य लगभग कितना है; और

(ग) सामाजिक देशों से आयात किये गये लगभग उसी प्रकार के ट्रेक्टर का मूल्य लगभग कितना है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) गत एक वर्ष की अवधि में, भारत सरकार ने गुजरात, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में, कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, विकास-ऋण के 5 करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रत्येक मामले में ऋण की रकम से दो से तीन वर्ष की अवधि में ट्रैक्टर आयात करने की व्यवस्था है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:--गुजरात (2200), पंजाब (8000), आन्ध्र प्रदेश (1500), हरियाणा (6000) और तमिलनाडु (1500)। ट्रैक्टर विश्व बैंक के सदस्य-देशों और स्विट्जरलैण्ड के उन पूर्तिकर्ताओं से मंगवाए जायंगे जिन्होंने भारत में ट्रैक्टर निर्माण करने की सुविधाएं स्थापित की हैं अथवा भारत में ट्रैक्टर बनाने के लिए भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित करारों के अन्तर्गत ट्रैक्टर मंगवाने के लिए अभी तक आर्डर नहीं दिये गये हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका से भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये चाणक्य-पुरी स्थित होटल के भवन की आन्तरिक साज-सज्जा के लिये ठेका

3794. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने नई दिल्ली नगर पालिका के नई दिल्ली में चाणक्य-पुरी स्थित होटल के भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया था;

(ख) क्या उक्त होटल की आन्तरिक साज-सज्जा का ठेका एक विदेशी फर्म को दे दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में नई दिल्ली नगर निगम के नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित होटल भवन को अकबर होटल के नाम से एक लग्जरी होटल के रूप में चलाने के लिये ले लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इसमें भीतरी सजावट का बहुत ही सूक्ष्म कार्य किया जाना है जिसके लिये अत्यधिक उच्च कोटि की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। क्योंकि स्थानीय तौर पर ऐसी दक्षता प्राप्त फर्म उपलब्ध नहीं थी, अतः एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी परामर्शदात्री फर्म की सेवायें प्राप्त कर ली गई हैं जिन्हें होटल विषयक भीतरी सजावट का यथेष्ट अनुभव है।

केरल में पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों का विकास करने के लिये कार्यवाही

3795. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थलों का विकास करने की बड़ी सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विशेष उपाय करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिये कोवालम पर 2.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक समुद्रतटीय विहार स्थल (सी-रिज़ार्ट) का विकास किया जा रहा है।

(ii) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पेरियार आखेट शरण-स्थान का, पांच मुख्य आखेट शरण-स्थानों में से एक के रूप में विकास के लिये विशेष तौर से चयन किया गया है। वर्तमान आवास में वृद्धि करने तथा पर्यटकों के परिवहन के लिये मोटर लांचों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(iii) त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल में सुन्देर बन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये कार्यवाही

3796. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या वहां के पर्यटक होटलों के सामान्य शुल्कों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों और युवकों के लिए न्यूनतम करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र में कोई मान्यता-प्राप्त पर्यटक होटल नहीं है।

(ग) "सुन्दरबन" के विकास के ब्यौरों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

रिहायशी स्कूलों में विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृति दिया जाना

3797. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रिहायशी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिये योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इन स्कूलों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां नियत की जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, हां।

(ख) अगले शिक्षा वर्ष से छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। अगस्त, 1971 में होने वाले पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के सम्मेलन के बाद ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है। चालू वर्ष के दौरान पुरानी योजना के अन्तर्गत आबंटित छात्रवृत्तियों की संख्या 200 है।

विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन

3798. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों के पिछड़े वर्गों के कल्याण और समाज कल्याण मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) हां। पिछड़े वर्ग कल्याण और समाज कल्याण के कार्यभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 20 और 21 मई, 1971 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में जो बातें उठाई गई, वे अनुबन्ध में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-595/71]

मूल्य से अधिक के बीजक बनाने और मूल्य से कम के बीजक बनाने के मामले

3799. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य से अधिक के बीजक बनाने और मूल्य से कम के बीजक बनाने सम्बन्धी मामलों को रोकने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) वर्ष 1970 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये थे; और

(ग) उन फर्मों या व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० आर० गणेश) : (क) न्यून बीजकांकन तथा अधिबीजकांकन के मामलों को रोकने के लिए हाल ही में निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :

छोटे पत्तनों पर न्यून बीजकांकन और अधिबीजकांकन सम्बन्धी प्रवचनों को रोकने के लिए, यह निर्धारित किया गया है कि उन पत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों को, छोटे पत्तनों पर जिन वस्तुओं का सामान्यतः आयात और निर्यात किया जाता है, उन वस्तुओं के सम्बन्ध में बड़े सीमाशुल्क गृह में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा छिटपुट आयातों और निर्यातों के अन्य मामलों में, बड़े सीमाशुल्क गृह के कर्मचारियों के साथ परामर्श करके दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। बड़े सीमाशुल्क गृहों में, कुछ प्रकार की वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी दस्तावेजों की छानबीन का कार्य, जो अभी तक कार्यालयी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकारी कर्मचारी वर्ग को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में तैनात अधिकारियों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विदेशी केन्द्रों में वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। मूल्य सम्बन्धी गलत घोषणा के मामलों में दाण्डिक कार्यवाही की व्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 12(1) में संशोधन किया गया है।

बीजकांकन सम्बन्धी चालाकी के जरिये विदेशी मुद्रा का ह्रास की समस्या की जांच करने वाले अध्ययन दल ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

(ख) वर्ष 1970 में न्यून बीजकांकन तथा अधिबीजकांकन के 72 मामले पकड़े गए थे।

(ग) कुछ मामलों में घोषित मूल्य को संशोधित करने के बाद चेतावनी देकर माल को छोड़ दिया गया था। कुछ अन्य मामलों में माल छुड़ाने के विकल्प में जुर्माने की अदायगी की व्यवस्था के अधीन माल जब्त कर लिया गया और कुछ मामलों में दण्ड लागाया गया। कुछ मामलों में अभी तक भी न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जा रही है।

नये सेंट्रल स्कूलों का खोला जाना

3800. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और सेंट्रल स्कूल खोले जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) ये स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित स्थानों पर 14 केन्दीय विद्यालयों को स्थापित करने की सम्भावना है :—

1. धरंगधारा	(गुजरात)
2. तेजपुर	(असम)
3. डुन्डीगल	(हैदराबाद)
4. हाशीमारा	(पश्चिम बंगाल)
5. चंडी मन्दिर	(चंडीगढ़)
6. नारंगी	(गोहाटी असम)
7. सिहारसी	(बिहार)
8. पिथोरागढ़	(उत्तर प्रदेश)
9. नसीराबाद	(राजस्थान)
10. डिगारु	(असम)
11. बी० एस० एफ०, जोधपुर	(राजस्थान)
12. दिल्ली	(दो स्कूल)
13. बम्बई	

दल्ली से कानपुर तक विमानों की दैनिक उड़ाने

3801. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कानपुर जाने वाली विमान उड़ानें समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कानपुर तक दैनिक विमान उड़ानें पुनः आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) विमानों की कमी के कारण दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली उड़ानों की आवृत्ति कम करके सप्ताह में तीन बार कर दी गई है।

(ग) जी, हां। 10 जुलाई, 1971 तक।

बाल कल्याण योजनायें

3802. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाल कल्याण योजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो केरल में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और चौथी योजना की अवधि में इन योजनाओं का विस्तार करने के लिये क्या नये उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम चल रहा है। 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के

लिए इसका और विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से केरल में बालवाडियों के माध्यम से 3 से 5 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर और संगठनों को अनुदान मंजूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्म में वृद्धि

3803. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बैंक दर में वृद्धि के कारण औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति का निराकरण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जनवरी, 1971 में बैंक दर को 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत बढ़ाते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि सके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में ब्याज की दर में औसतन लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हो। चूंकि ब्याज की रकम कुल उत्पादन लागत का केवल एक छोटा अंश होती है इसलिए ब्याज की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि से उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर अनुचित रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी।

2 जनवरी, 1971 से 12 जून, 1971 तक की अवधि में उत्पादित वस्तुओं के थोक के मूल्य सूचकांक में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 2.4 प्रतिशत थी।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कन्नानूर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स द्वारा प्राप्त विदेशी ऋणों पर देय ब्याज पर आयकर से छूट

3804. **श्री एम० के० कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानूर स्थित कन्नानूर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स द्वारा प्राप्त विदेशी ऋणों और वर्गों पर देय ब्याज पर आयकर की अदायगी से छूट देने पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस मामले की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उद्योग निदेशक, त्रिवेन्द्रम् ने मैसर्स कन्नानूर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० की ओर से, मैसर्स मितसुई एण्ड कं० लि०, ओसाका, जापान से लिए गए दीर्घकालीन ऋण के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (iv) (ग) के अधीन ब्याज पर आय-कर से छूट के लिए आवेदन किया । भारत सरकार ने छूट की मंजूरी दे दी है।

(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (iv) (ग) के अधीन छूट की मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों की डिग्रीपूर्व परीक्षा को इन्टरमीडियेट परीक्षा के बराबर मान्यता देना

3805. **श्री एम० के० कृष्णन :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कालीकट विश्वविद्यालय की डिग्रीपूर्व परीक्षा को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में दाखिला के लिये पुरानी इन्टरमीडिएट परीक्षा के बराबर नहीं माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जी, हां। तथापि, मामला संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों का डिग्रीपूर्व पाठ्यक्रम नये 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के बाद संचालित किया जाता है जब कि पुराना इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रम दक्षिणी राज्यों में 11 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के अंत में संचालित किया जाता था। पुराने इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रम का एक वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम को स्थानान्तरित किया गया, जो कि पहले 2 वर्षों की अवधि का था और अब 3 वर्ष की अवधि का है। अतः समतुल्यता का निर्धारण करना कठिन हो गया है।

सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण

3806. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या है जो लाभ की स्थिति में है अथवा "न लाभ और न हानि" की स्थिति में है, कौन-कौन सी कम्पनियां अपने भावी कार्यक्रमों के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से ही साधन जुटाने की स्थिति में हैं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो अपनी पूंजी का उपयोग कर रही हैं;

(ख) क्या विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुरूप उक्त कम्पनियों के कार्यकरण के लाभप्रद बनाने के लिए नये उपाय सोचे गये हैं अथवा कोई नवीन विचार-धारा बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के जिन उपक्रमों ने 1969-70 में लाभ कमाया है, (और जिनमें प्रोत्साहक और विकासात्मक उपक्रम वित्तीय संस्थाएं और निर्माणाधीन उपक्रम शामिल नहीं हैं) उनके नाम अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं। अनुबन्ध 11 में उन उपक्रमों के नाम दिये गये हैं जिन्हें वर्ष के दौरान हानि हुई है। अनुबन्ध III और IV में क्रमशः उन उपक्रमों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान अपने आन्तरिक साधन जुटाए हैं और जिन्हें वर्ष में नकद हानि हुई है। **(ग्रन्थालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**–596/71)

(ख) और (ग) : सरकारी उद्यमों के निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाये हैं उन्हें मोटे तौर पर इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :—

(i) उत्पादन में विविधता लाकर तथा निर्यात को बढ़ावा देकर और अन्य उपायों द्वारा उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार करना; और

(ii) प्रबन्ध और संचालन कुशलता में सुधार करना।

उत्पादन क्षमता के उपयोग तथा प्रबन्ध और संचालन कुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

जहां-कहीं भी यह मालूम पड़ता है कि क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग काफी समय तक नहीं किया गया, उन मामलों में कारणों का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जाता है। अगर उस अध्ययन से यह पता लगे कि क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग बाजार की स्थिति के कारण नहीं किया जा रहा है तो उन उद्यमों को उत्पादन में विविधता लाने और निर्यात बाजार में हिस्सा लेने के लिए भी कहा जाता है। वास्तव में, पिछले कुछ समय से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने नये-नये उत्पादन शुरू कर दिये हैं। सरकारी उद्यमों द्वारा किये जाने वाले निर्यात की मात्रा में भी पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

अगर उस अध्ययन से यह मालूम हो कि क्षमता के कम उपयोग कि कारणों का सम्बन्ध बाजार की कठिनाईयों से नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध, मुख्य रूप से रखरखाव की प्रणाली तथा प्रभावी उत्पादन-आयोजन और नियंत्रण प्रणाली की त्रुटियों, ठीक प्रकार के निष्पादन बजट के तैयार न किये जाने, तालिकागत सामान के अधिक मात्रा में जमा हो जाने आदि से है तो उद्यमों को, इनमें से अधिकांश कठिनाईयों को दूर करने में, जिनके कारण वे अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग नहीं कर सके हैं, सहायता दी जाती है।

कुल मिलाकर प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए, सरकारी उपक्रमों को अधिकार प्राप्त करने और उद्यमों के आन्तरिक मामलों में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का अधिक से अधिक विकेन्द्रीयकरण करने, निष्पादन का समय-समय पर निरीक्षण तथा उनकी जांच करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और प्रबन्ध विकास तथा वृत्ति नियोजन का काम करने, और बाहर से उपयुक्त प्रतिभा के, विशेषकर सर्वोच्च पदों के लिए योग्य कर्मचारियों की भरती करने के विषयों में, परामर्श दिया गया है।

सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन पर बराबर नजर रखी जाती है और सरकारी उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने के लिए जो विभिन्न समितियां नियुक्त की जाती हैं उनकी सिफारिशों पर भी इस प्रकार ध्यान रखा जाता है। इनमें से किसी भी उपाय के नतीजों का यहां पर उल्लेख करना सम्भव नहीं होगा। फिर भी, देखने में आया है कि 81 उपक्रमों ने भारतीय जीवन बीमा निगम और 8 अन्य उपक्रमों, जो निर्माणाधीन थे और एक उद्यम जो अभी-अभी चालू हुआ है को छोड़कर, परन्तु 11 प्रोत्साहक और विकासात्मक तथा 2 वित्तीय उपक्रमों समेत अपनी शुद्ध हानि की रकम को, जो 1968–69 में 28.11 करोड़ रुपया थी, घटाकर 1969–70 में 3.40 करोड़ रुपया कर दिया है।

सरकारी उद्यम ब्यूरो

3807. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम ब्यूरो क्या कार्य करता है;

(ख) क्या इसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो उपक्रमों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्ति वास्तव में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या वे नीति-निर्धारण के कार्य से सम्बद्ध हैं और यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री के० आर० गणेश : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय, सरकारी उद्यमों के लिए सेवा, समन्वय तथा मूल्यांकन अभिकरण के रूप में काम करता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) सम्बद्ध मंत्रालयों तथा वित्त मंत्रालयों को, व्यवहार्यता अध्ययनों/विस्तृत प्रायोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा उनकी अधिक विशेषज्ञ के रूप में समीक्षा करने के काम में सहायता देना;

(ii) मंत्रालयों को, रिहायशी और प्रशासनिक इमारतों के व्यय, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के रिहायशी मकानों, बस्तियों तथा सहायक सुविधाओं के व्यय को नियंत्रित रखने में मदद देना, ताकि श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के मामले में काफी हद तक समानता लायी जा सके;

(iii) सामान्य रुचि के मामलों में, जिनमें संगठनात्मक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी, तथा संसार के अन्य देशों के सरकारी उपक्रमों की मूल्य निर्धारण नीतियों जैसी बातें भी शामिल हैं, तथ्यों तथा आंकड़ों के आदान-प्रदान केन्द्र तथा संग्रह कार्यालय के रूप में कार्य करना;

(iv) योग्य व्यक्तियों को ढूंढने वाले अभिकरण के रूप में काम करना, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की नाम-सूचियां बना कर रखना, जिनमें से सरकारी उपक्रमों के सर्वोच्च पदों तथा मध्यम स्तर के पदों पर नियुक्तियां की जा सकें;

(v) सरकारी उपक्रमों में मध्यम तथा वरिष्ठ स्तर के कार्मिकों के लिए प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करना;

(vi) वित्तीय प्रबन्ध, तालिकागत माल के नियंत्रण; मूल्य निर्धारण नीतियों, निर्माण सम्बन्धी तकनीकों आदि के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करना;

(vii) सरकारी उपक्रमों के संचालन का समय-समय पर मूल्यांकन करना ताकि जहां आवश्यक हो वहां उनकी त्रुटियों को दूर किया जा सके और उनमें सुधारों का सुझाव दिया जा सके ;

(viii) सरकारी उपक्रमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में संसद और सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ix) संसदीय समितियों द्वारा सरकारी उपक्रमों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध कार्य को समन्वित करना;

(x) कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी करना तथा सरकारी उपक्रमों को सलाह देना जिससे कि वे इन मामलों में वांछनीय एकरूपता लाने की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके; और

(xi) कार्य सम्बन्धी अध्ययन, संचालन संबंधी अनुसंधान तथा रिपोर्टिंग के सुधरे तरीकों जैसे मामलों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्पर्क बनाए रखना और प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारियों को उत्पादन बोनस दिये जाने के प्रयोजन से भारत में तथा विदेशों में प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं का अध्ययन करना।

(ख) कार्यालय में, सामान्य रूप से अधिक आवश्यक विषयों में पारंगत कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं और यह कार्यालय आवश्यकता पड़ने पर, बाहरी विशेषज्ञों से भी सहायता प्राप्त करता है।

इस कार्यालय का अध्यक्ष एक पूर्णकालिक महानिदेशक है, जिसका पद भारत सरकार के अतिरिक्त-सचिव के पद के बराबर है। इसे सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध का पूरा-पूरा अनुभव होता है। कार्यालय में 45 अन्य तकनीकी अधिकारी भी हैं और उनके पास भी आवश्यक व्यावसायिक योग्यता तथा अनुभव है। इनमें से ग्यारह वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी हैसियत, 1,800–2,000/2,250 रु० और उसे ज्यादा रकम के वेतनमान में काम करने वाले निदेशक सलाहकार के बराबर की है।

(ग) कार्यालय के विशेक्षषों को, उनकी जिम्मेदारी के अपने-अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय करने के मामले में सम्यक् रूप से सहयोजित किया जाता है।

Setting up of a University in Garhwal

3808. **Shri Pratap Singh Negi:** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the people of Garhwal have demanded setting up of a University in Garhwal; and

(b) whether Government have considered this demand and if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government of Uttar Pradesh.

मध्य प्रदेश में पक्की और कच्ची सड़कें

3809. **श्री राणा बहादुर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में प्रति हैक्टर पक्की कच्ची सड़कों की लम्बाई कितनी है,

(ख) उक्त लम्बाई पूरे भारत की प्रति हैक्टर औसत लम्बाई की तुलना में कैसी है, और

(ग) उक्त राज्य के विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों सम्बन्धी सड़क विकास में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : स्थिति निम्न प्रकार है :—

	प्रति 1000 हैक्टर क्षेत्र में	
	पक्की	कच्ची
मध्य प्रदेश . .	0.6	0.9
अखिल भारत . . .	1.0	2.0

(ग) संवैधानिक रूप से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों तत्वतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक केन्द्रीय सैक्टर सड़क योजनाओं का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश में चौथी योजना काल में हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित सड़क योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग

मध्य प्रदेश राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 38 करोड़ रुपये की कुल लागत के कार्य शामिल किये गये हैं।

(2) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित राज्य सड़कें

भारत सरकार ने 74 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 3 योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 100 प्रतिशत ऋण देना स्वीकार किया है।

(3) सामाजिक कल्याण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

मध्य प्रदेश राज्य में कुल 126 जनजाति विकास ब्लाक हैं। जनजाति विकास ब्लाक कार्यक्रम के अन्तर्गत संचार अर्थात् सम्पर्क सड़कों, आदिवासी क्षेत्रों में पैदल पथों के विकास की योजनाओं के लिए सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकार को चरण 1 में 2 लाख रुपये तथा चरण 2 में एक लाख रुपये की राशि दी जाती है। इन आदिवासी विकास ब्लाकों को सामुदायिक विकास विभाग से संचार योजनाओं के लिए पहले चरण में 0.85 लाख रुपये तथा 0.50 लाख रुपये दूसरे चरण में प्राप्त होने की संभावना है। तीसरे चरण में कोई ठोस योजनात्मक ढांचा विहित नहीं किया गया तथा क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त इन योजनाओं को बनाने तथा चुनने की स्थानीय प्राधिकरण की अपनी इच्छा है। तीसरे चरण में प्रत्येक आदिवासी विकास ब्लाक को विभिन्न योजनाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि में 10 लाख रुपये आवंटित किये जाने हैं।

(4) केन्द्रीय सड़क निधि :

चुनी हुई योजनाओं के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को समानता के आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण से 30 लाख रुपये की अनुदान पेशकश की है। इसके अतिरिक्त चौथी योजना काल में केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेखे से मध्य प्रदेश सरकार को 100.35 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकार ने अनुमोदित कार्यों की अनुमानित लागत की अधिकता की पूर्ति के लिए इस राशि का प्रयोग करने का निर्णय किया है।

Nationalised Banks in Garhwal District, U.P.

3810. **Shri Pratap Singh Negi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:-

(a) the number of persons who were advanced loans by the nationalised banks functioning in Garhwal District in Uttar Pradesh for various purposes during the year 1970-71; and

(b) whether people have to face great difficulties in getting loans from these banks?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan): (a) Information is not maintained by the banks in the form asked for by the Hon'ble member. However, data in respect of Uttar Pradesh regarding number of persons, under the categories of agriculture (direct finance)

small scale industries and road transport operators, who have been advanced loans upto December 1970 by nationalised banks are furnished below:–

	No. of Accounts
1. Agriculture (Direct Finance) .	13146
2. Small Scale Industries . .	2685
3. Road Transport Operators. .	1000

Note:—Figures are provisional.

(b) Loans are granted for all productive purposes if they are considered viable. Despite the liberalised credit policy adopted by the nationalised banks in respect of small borrowers, complaints do come up regarding difficulties in obtaining loans. When specific complaints are received the concerned banks are requested to look into the matter and take remedial measures.

सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

3811. **श्री श्याम नन्दन मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं,

(ख) यदि हां, तो किस सरकारी उपक्रम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और उनकी संख्या कितनी हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख): सभी उपक्रमों के संबंध में सामान्य रूप से ऐसी बात नहीं कही जा सकती। कुछ उद्यमों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या को, कई कारणों से, उद्यमों के कार्यकलापों की दृष्टि से अधिक समझा जा सकता है। अभी हाल के सर्वेक्षण में अधिकतर उद्यमों ने यह बताया था कि उनके पास फालतू कर्मचारी नहीं हैं। जिन बड़े-बड़े मामलों में फालतू कर्मचारियों के बारे में सूचना मिली थी उनमें से कुछ ये हैं:

	फालतू कर्मचारियों की संख्या
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड .	2,733
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड .	1,229
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	119
हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	166
हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड .	22
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड .	522
नेशनल न्यूजप्रिंट ऐण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	23
राष्ट्रीय प्रायोजना निर्माण निगम लिमिटेड	13
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड . .	166
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड . .	181

(ग) फालतू कर्मचारियों की समस्या से निपटने के लिए जिन उपायों का सुझाव दिया गया है, उनका संबंध इन बातों से है:—

(1) शुरू में ही काम के मानकों और नियंत्रण तकनीकों को अपनाया जाये ताकि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी न हों।

(2) जिन उद्यमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की समस्या चिरकालिक बन गयी हो वहां पर समस्या की व्यापकता की जांच के लिए कार्य संबंधी अध्ययन किया जाय,

(3) फालतू कर्मचारियों को विस्तारशील विभागों और अन्य उद्योगों में लगाया जाय ;

(4) निर्माण के दौर में प्रायोजना संबंधी जिम्मेदारी को कम करने के लिए निर्माण का काम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहरी निर्माण निगमों को सौंपा जाय ;

(5) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की योजना ;

(6) जनशक्ति नियोजन तकनीक को प्रयोग में लाना।

विदेशों में बुद्ध-स्मारकों की मरम्मत

3812. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में बेमियन में स्थित बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा की मरम्मत करने के लिये कुछ विशेषज्ञ काबुल गये हैं; और

(ख) क्या बुद्ध प्रतिमाओं की मरम्मत करने के ऐसे ही करार अन्य देशों से भी किये गये हैं; और यदि हां, तो वे किन-किन देशों से और किन-किन नियमों और शर्तों पर किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति बिभाग में ऊपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

बिहार के दरभंगा जिले में प्रायोगिक शिक्षा-परियोजना का चलाया जाना

3813. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में भारत सरकार के अधीन कोई प्रायोगिक शिक्षा---परियीजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और उपर्युक्त परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त परियोजना की प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जून 1970 से दरभंगा में गहन शिक्षा ज़िला विकास परियोजना जारी है। व्यावसायिक और शैक्षिक सर्वेक्षण पूरे किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। परियोजना की रिपोर्ट के आधार पर जिले में शुरू होने वाले कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। पिछले वर्ष कुछ अग्रिम रूप से किये जाने वाले काम के कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया था।

(ग) कोई भी कठिनाई अब तक सूचित नहीं की गई है।

लोक कला में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने की योजना

3814. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कलाओं में सीधे या विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित करने की कोई योजनाएं सरकार ने बनाई हैं; और

(ख) यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और ससंस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) संगीत नाटक अकादमी की जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक स्वायत्ता संस्था है नृत्य नाटक तथा संगीत के क्षेत्रों में सीधे और सांस्कृतिक संस्थाओं के जरिए अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने के हेतु एक योजना है। तथापि सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए कोई अलग योजना नहीं है ।

(ख) संगीत नाटक अकादमी द्वारा कार्यान्वित की गई योजना की मुख्य बातें इस प्रकार है :--

(1) सर्वेक्षण तथा अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय सहायता;

(2) अनुसंधान प्रकाशनों के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता;

(3) अनुसंधान को उन्नत करने के लिए अनुसंधान सामग्री का एकत्र करना।

लोक नृत्यों और लोक गीतों का विकास

3815. **श्री एस० ए० भुरुगनन्तम :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विभिन्न जातियों के लोक नत्यों और लोक संगीतों का विकास करने के लिय कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) (क) संगीत नाटक अकादमी ने, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्तशासी संगठन है, भारत की विभिन्न जातियों के लोक नृत्यों और लोकगीतों के विकास और उनके परिरक्षण के लिए, एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार के विचाराधीन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) संगीत नाटक अकादमी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम की निम्नलिखित मुख्य बातें हैं: —

(i) लोकनृत्यों और नाटकों के प्रदर्शनों और समारोहों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता;

(ii) आधुनिक मंच के लिए लोकनृत्यों के अनुकूलन की विषय-धुन के बारे में कार्यशाला का आयोजन;

(iii) लोकसंगीत नृत्य और नाटक का व्यवस्थित सर्वेक्षण और प्रलेख-पोषण तथा उनके परिरक्षण के रिए कार्यक्रम;

(iv) अकादमी लोक और परम्परागत नृत्यों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सहायता भी करती है।

कलाकारों को वित्तीए सहायता

3816. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्धन कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर रे) : (क) प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय ख्याति के लेखकों और कलाकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना का प्रारूप बना लिया गया है तथा शीघ्र ही उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 1971-72 के दौरान 25 पुरस्कार देने का विचार है।

(ख) प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें यह हैं :—

(i) व्यक्ति ने 60 वर्ष पूरे कर लिए हों तथा लेखक या कलाकार के रूप में राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक ख्याति प्राप्त हो और कला या साहित्य के प्रति उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(ii) आवेदनकर्ता के निजी साधन 250 रु० प्रति मास से अधिक न हों।

(iii) सरकार की ओर से सहायता मासिक भत्ते के रूप में होगी जोकि 250 रु० प्रति मास से अधिक नहीं होगी।

Purchase of Hindi Books by Central Hindi Directorate for distribution in Non-Hindi Speaking Areas

3817. **Shri Jaganath Rao Joshi:** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state: —

(a) whether Central Hindi Directorate have purchased a large number of Hindi books for distribution in non-Hindi speaking areas;

(b) the amount spent on purchase of books by the Central Hindi Directorate under its Book Purchase Scheme during the last three years, year-wise and the criteria adopted for making such purchases;

(c) whether this year, books have been purchased arbitrarily resulting in the purchase of more and substandard books than in the previous years; and

(d) whether Government propose to enquire into this matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department & Culture (Shri D.P. Yadav): (a) Yes Sir.

(b) The amount spent is as under:—

1968-69	1969-70	1970-71
		(Rs. in lakhs)
1.35	2.29	1.71

Suggestions for the purchase of Hindi books are invited from publishers/book sellers and writers for distribution as free gift to educational Institutions and voluntary Hindi organisations of non-Hindi speaking areas. Generally, books written in easy language, interesting and educative for neo-literates are considered for purchase. These cover a wide range of popular subjects.

The books for purchase in bulk are selected on the recommendation of a selection committee consisting of eminent Hindi scholars and persons holding responsible position in Government and in public life.

(c) The established procedure for purchase of books has been followed this year also.

(d) Question does not arise.

Development of Ramsheela Hill in Gaya City of Bihar As a Tourist Centre

3818. **Shri Ishwar Chaudhury:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:—

(a) whether Ramsheela hill in Gaya City of Bihar is a famous religious and historical place which finds a mention in various Gazetteers since the year 1919; and

(b) whether Government propose to develop this place as a tourist centre?

The Minister of State in the Ministry of Toruism and civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) Yes, Sir. Ramsheela hill in Gaya is a religious spot which finds a mention in L.S.S.O. Malley's Gaya Gazetteer 1919 and in its revised edition of 1957.

(b) No, Sir. But the State Government may include this in the plan.

दिल्ली में सेंट्रल के लिये इमारतों का निर्माण

3819. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूलों के बारे में 11 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में तम्बुओं में लगने वाले केन्द्रीय विद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या तम्बुओं में लगने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये उचित इमारत की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अत्यावश्यक शिक्षा सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष देने से इन्कार किया जाता है; और

(ग) उक्त स्कूलों के लिये इमारतें बनाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं विशेषकर जैसे कि रामाकृष्णपुरम (सेक्टर VIII) स्कूल के मामले में जबकि उसकी इमारत के लिये स्थान एलाट कर दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी०यादव) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली के 6 केन्द्रीय विद्यालयों में से टैगोर गार्डन स्थित केन्द्रीय विद्यालय तंबुओं में है, और इसका छात्र नामांकन 961 है। रामाकृष्णपुरम के केन्द्रीय विद्यालय का कुछ भाग तंबुओं में है और कुछ इमारत के अन्दर है। तंबुओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या 1323 है।

(ख) जी नहीं, यद्यपि छतदार स्थान के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है कि प्रयोगशाला और पुस्तकालय संबंधी समस्त सुविधाएं तंबुओं वाले दोनों स्कूलों में प्रदान कराई जाए किन्तु वहां अनिवार्य साधन इत्यादि उपलब्ध है।

(ग) 3.25 एकड़ भूमि का आवंटन अस्थाई आधार पर किये जाने तथा कुछ और अतिरिक्त भूमि के आवंटन के मामले पर अभी भी पत्र व्यवहार होने के कारण टैगोर गार्डन स्कूल के संबंध में

इमारत के निर्माण की कार्यवाई शुरू नहीं की जा सकी। जहां तक रामाकृष्णपुरम (सेक्टर 8) स्कूल का संबंध है मूलतः दो मंजली इमारत बनाने का विचार था, किन्तु जब नक्शों और प्राक्कलनों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया गया, तो यह निर्णय लिया गया कि आस पास के क्षेत्रों में अनेक रिहाइशी बस्तियों के विकसित हो जाने के कारण और छात्रों के नामांकन में संभावित बढ़ोतरी की दृष्टि से कक्षा के कमरों की जगह और बढ़ाई जाए। इसलिए पहले तैयार किए गए नक्शो को संशोधित कराना था जिससे कुछ देरी हुई। अब नक्शे अनुमोदित हो चुके हैं।

रुपये उधार देने के बारे में ठक्कर समिति का प्रतिवेदन

3820. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठक्कर समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि महाजन चुपचाप लघु उद्योग और व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं और अन्त में वे अनेक लघु उद्योगों को अपने अधिकार में ले लेंगे;

(ख) क्या समिति के अनुसार, ऋण के क्षेत्र में महाजन का प्रवेश संगठित निगमित क्षेत्र में कार्य कर रही फर्मों जैसा ही है, जो धीरे-धीरे लघु उद्योग और व्यापार को अपने हाथ में समेट लेते हैं और इस प्रकार महाजन का इस क्षेत्र में प्रवेश आर्थिक सत्ता का प्रसार करने सम्बन्धी सामाजिक उद्देश्य के विरुद्ध है;

(ग) क्या समिति ने उक्त प्रवृत्ति का जोरदार विरोध किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों का यह विशेष दायित्व है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। समिति ने कहा है :—"समिति को बताया गया है कि कुछ मामलों में, ऐसे महाजनों ने, जिन्हें आत्म-नियोजित छोटे उद्यम-कर्ताओं की श्रेणी में आने का कोई भी अधिकार नहीं है, तकनीकी रूप से सुयोग्य आत्मनियोजित उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता देकर अथवा उनके उद्यमों में साझेदार बनकर इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं।"

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) बैंकों को सलाह दी गयी है कि जहां तक वित्त पोषकों के भाग लेने से उनके असली प्रोत्साहक प्रयत्नों का पता चलता हो, वहां तक तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए किन्तु जहां उनका इस प्रकार से भाग लेना, उनके अपने लाभ के लिये उद्यमों के खरीदने का एक तरीका मात्र हो, वहां उनका कार्य उपेक्षित क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के सामाजिक उद्देश्यों के विरुद्ध है और उनको रोका जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, उनके द्वारा सहायता प्राप्त छोटे उद्यमों के स्वामित्व अथवा गठन में परिवर्तनों अथवा संशोधनों पर दृष्टि रखने को कहा है।

नेशनल रेयर कारपोरेशन के अंशधारी

3821. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नेशनल रेयर कारपोरेशन के मुख्य अंशधारियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मुख्य शेयरहोल्डर के पास कितने-कितने मूल्य के और कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं;

(ग) निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी के निदेशक बोर्ड में सरकार का कोई नाम निर्देशिक व्यक्ति है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस कम्पनी के मामलों पर किस प्रकार नियंत्रण करती है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 597/71] ।

(घ) तथा (ङ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड के दिनांक 30-6-1971 के आदेश द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल ने दो वर्ष के लिए, दो निदेशकों को नियुक्त किया है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप तथा साथ ही धारा 409 के अन्तर्गत पारित पहले के आदेश से निदेशक मंडल में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर का लगाया जाना

3822. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का है जिसके अन्तर्गत नगरपालिका को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार होगा, और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक कब प्रस्तुत किया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार की कुछ वर्गों की सम्पत्ति पर स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार देने के लिए कानून बनाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

देश में सीमेंट वाली तथा अन्य किस्म की पक्की सड़कों का अनुपात

3823. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर, श्रेणीवार, सीमेंट वाली, तारकोल वाली तथा अन्य किस्म की पक्की सड़कों का नवीनतम अनुपात क्या है,

(ख) रोड कांग्रेस बम्बई द्वारा नर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यह अनुपात अधिक है अथवा कम है, और

(ग) अखिल भारतीय अनुपात की तुलना में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुपात क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 598/71]

(ख) संभवतः माननीय सदस्य महोदय के मन में भारत के लिए सड़क विकास योजना पर मुख्य इंजीनियर की रिपोर्ट में सुझाया गया तथा अगस्त, 1958 में बंबई में इंडिया रोड्स कांग्रेस की पारिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया 20 वर्षीय (1961-81) योजना है । योजना में सारे देश के के लिए 1981 तक बीस वर्ष के लिए सड़क की कुल मील लंबाई का एक लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु वर्षवार कोई भौतिक लक्ष्य तथा सड़कों के फर्स सतह वर्ग के अनुसार समानुपाती ब्यौरा निर्धारित नहीं किया गया । परन्तु 1981 को समाप्त होने वाले 20 वर्षों के लिए सारे देश के लिए उस योजना में दी गयी कुल लंबाई के लक्ष्य के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई अखिल भारत की कुल सड़क लंबाई कम है ।

लखनऊ और बाबतपुर (वाराणसी) के बीच विमान-सेवा

3824. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ और बाबतपुर (वाराणसी) के बीच कोई विमान सेवा नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार वाराणसी शहर और इसके आसपास के क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए लखनऊ और वाराणसी के बीच विमान-सेवा आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) : जी, हां।

(ख) : इण्डियन एयरलाइन्स को 10 जुलाई 1971 से दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी-पटना-कलकत्ता मार्ग पर एक बोइंग 737 सेवा प्रारंभ करने की आशा है ।

बोन्डिड वेयरहाउस लाइसेंसिंग सिस्टम में विदेशी मुद्रा की चोरी

3825. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी फर्म 'बोन्डिड शिप्स स्टोर ट्रेड' इस प्रकार काम करती है जिससे विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा में चोरी होती है ;

(ख) क्या 'बोन्डिड वेयरहाउस लाइसेंसिंग सिस्टम' नामक कम्पनी द्वारा अनियमितताएं और कदाचार करने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसका कार्य राज्य व्यापार निगम जैसी राज्य एजेंसी द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी नहीं, बांडेड शिप्स स्टोर ट्रेड' पर सीमाशुल्क विभाग तथा भारत के रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि इस प्रणाली में अनेक अनियमितताएं तथा अनैतिक चलन हैं । इसके विपरीत, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययनों से वास्तव पता चला है कि बांडेड स्टोर्स ट्रेड से होने वाला विदेशी मुद्रा का शुद्ध लाभ पर्याप्त है ।

(ग) : ऊपर (क) तथा (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उटता ।

Loans Given by Nationalised Banks to Farmers in Bihar

3826. **Shri Sukhdeo Prasad Verma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:-

(a) whether farmers are given loans by the nationalised banks in Bihar for purchasing fertilizers, seeds and tractors but they are not given loans for purchasing bullocks for cultivation purposes;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to make some arrangements under which farmers may get loans from the nationalised banks for purchasing bullocks?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वियाना में हुई अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन की महासभा की 18वीं बैठक में लिये गये निर्णय

3827. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में वियाना में हुई असैनिक उड्डयन संगठन की महासभा की 18वीं बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिये गये; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) : जी, हां । पर्यटन और नागर विमानन मंत्री, डा० कर्ण सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की महासभा की 18वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व किया जो कि वियाना में 15 जून, 1971 से प्रारम्भ हुई और जिसके कि 8 जलाई, 1971 तक चलने की आशा है ।

(ख) और (ग) महासभा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पिछले तीन वर्षों के कार्य की समीक्षा करने के पश्चात्, संगठन की भविष्य की नीतियों तथा त्रियाकलापों पर निर्णय लेगी । अधिवेशन की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा औपचारिक रूप से विभिन्न मदों पर सभा का निर्णय सदस्य-राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

सभा ने उन सदस्य-राज्यों का भी निर्वाचन किया जोकि अगले तीन वर्षों की अवधि तक के लिये मौंट्रियाल में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मुख्यालय में संगठन की अधिशासी परिषद् के रूप में कार्य करेंगे । भारत परिषद् में पुनः निर्वाचित हो गया है ।

Irregularities Made by Former Principal, Government (Boys) Higher Secondary School, Malviya Nagar, New Delhi.

3828. Shri Ramji Ram: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3632 on the 21st August, 1970 regarding irregularities made by former Principal, Government (Boys) Higher Secondary School, Malviya Nagar, New Delhi and state:

(a) whether the requisite information has since been collected by Government; and

(b) if so, when the same will be laid on the Table of the House?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information has since been furnished to the Department of Parliamentary Affairs on 26.6.1971 for laying on the table of the Sabha, as per statement attached.

[Placed in the Library. *See* No L.T.-599/71].

Reported Misappropriation of Money in the State Bank of Ujjain, Madhya Pradesh.

3829. **Shri R.V. Bade:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:–

(a) whether an amount to the tune of rupees 92 lakhs was reported to have been misappropriated in the State Bank of Indore in Ujjain (Madhya Pradesh)

(b) whether any departmental enquiry has been held in the matter;

(c) whether high officials have been found involved in the said case of misappropriation: and

(d) if so, the action taken against them?

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chavan): (a) No sir. However in July 1970, irregularities and malpractices in the conduct of advances to agriculturists at Ujjain branch of the State Bank of Indore came to the notice of the authorities of the bank. The total amount of advances granted was Rs. 29.39 lakhs. Out of this the overdues as on 4th June, 1971 amounted to Rs.3.29 lakhs.

(b) (c) & (d): The Bank has placed the Manager and the Development Officer at Ujjain Branch under suspension. The Bank has referred the matter to the Central Bureau of Investigation and the bank would take further action after the investigations are completed.

कोचीन पत्तन की बिगड़ती हुई दशा

3830. **श्री बयालार रवि:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन पत्तन की वर्तमान दशा का और विस्फोटक-पदार्थों के लादने और उतारने के घाट के बनाये जाने के कारण उस पत्तन की बिगड़ती दशा का पता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार विस्फोटक पदार्थ के लादने उतारने के घाट के किसी छोटे पत्तन पर स्थानान्तरण करने का है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) : कोचीन पत्तन में विस्फोटक पदार्थ के लादने और उतारने जैसा कोई घाट नहीं है परन्तु विस्फोटक पदार्थों को ले जाने वाले पोतों की धरा-उठाई घाटों में से एक घाट में की जाती है और सुरक्षा की दृष्टि से आसन्न घाट खाली रखे जाते हैं । पश्चिमी तट पर विस्फोटक पदार्थों की धरा-उठाई के लिये अन्यत्र किसी स्थायी प्रबन्ध करने का प्रश्न रक्षा मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है ।

दिल्ली में तस्करी सोने की बिक्री

3831. **श्री बयालार रवि:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौहरी अपनी बिक्री का कोई बिल नहीं दे रहे हैं और कर अपवंचन कर रहे हैं और तस्कर सोने की बाजार में बिक्री कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

केरल में जौहरियों द्वारा आय-कर विनियमों का उल्लंघन

3832. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में माल की बिक्री पर बिल न देने और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के बारे में जौहरियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(ख) एलेप्पी (केरल) में जौहरियों की दुकानों पर कितने छापे मारे गये और उसके परिणाम-स्वरूप वहां कितने मामले दर्ज किये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केरल जो जौहरी अपने माल की बिक्री के बाबत कोई बिल जारी नहीं करते हैं उनके लिखाफ आयकर विनियमों के उल्लंघन के कारण दर्ज किये गये मामलों की संख्या शून्य है । 1970-71 में स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण केरल में जौहरियों के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों की संख्या 147 है ।

(ख) 1970-71 में एलेप्पी (केरल) में जौहरियों के खिलाफ मारे गये छापों की संख्या 3 है और तदनन्तर दर्ज किये गये मामलों की संख्या भी 3 ही है ।

सीमाशुल्क विभाग कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

3833. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विलिंगडन टापू पर 1965 में एक भूखण्ड कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से 2700 रुपए वार्षिक कराए पर सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए लिया था; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने क्वार्टर तैयार किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) 90 क्वार्टरों के निर्माण के लिए स्वीकृति जुलाई 1970 में पहले ही जारी की जा चुकी है और संशोधित योजनाओं के अनुमोदित हो जाने के शीघ्र पश्चात् निर्माण-कार्य के शुरू किये जाने की आशा है ।

ओबराय होटल समूह द्वारा मद्रास नगर में होटल की स्थापना

3834. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओबराय होटल समूह ने मद्रास में निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय होटल खोलने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा है; और

(घ) होटल परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ऐसा समझा जाता है कि मैसर्ज़ ओबराय होटल्स प्रा० लि० का मैसर्ज़ इंडिया टोबाको कं० लि० के साथ, जिनका कि मद्रास में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है, समझौता हुआ है।

(ख) ऋण के रूप में सहायता, सहायता की मांग करने वाले अनुमोदित होटलों के लिए उपलब्ध की जाती है। ऐसी सहायता के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दो करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया जाता है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

3835. **श्री बी० आर० शुक्ल**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1964 से 1967 तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की पुनर्वित व्यवस्था समेत कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं;

(ख) देश की समस्त जनसंख्या की तुलना में उक्त राज्यों की जनसंख्या की क्या प्रतिशतता है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम होने पर भी उत्तर प्रदेश की 6.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी जिसमें वास्तव में केवल 1.17 करोड़ रुपये का वितरण किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करके असमानता दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० आर० गणेश): (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें, प्रश्न में उल्लिखित राज्यों का उनकी आयोजनागत योजनाओं के लिये 1964-65 से 1966-67 तक के तीन वर्षों में दी गई केन्द्रीय सहायता का तथा इस देश की जनसंख्या के अनुपात में इन राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत अंश का ब्यौरा दिया गया है। राज्यों की, उनकी आयोजनागत योजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, केवल उनकी जनसंख्या के आधार पर ही नहीं निर्धारित की जाती। चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में, राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये निर्धारित 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, जनसंख्या के आधार पर वितरित की जा रही है।

विवरण

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

राज्य	1964-65	1965-66	1966-67	देश की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत अंश (जैसा कि 1966-67 के लिये अनुपान लगाया गया)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रुपये में)		प्रतिशत
1. गुजरात	18.93	24.42	19.63	4.9
2. महाराष्ट्र	35.59	48.55	23.56	9.3
3. तमिलनाडु	44.07	45.89	40.35	7.5
4. उत्तर प्रदेश	82.36	93.87	92.21	17.0
5. पश्चिम बंगाल	37.00	41.48	28.17	8.2

Amendments in Gold Control Act to Check Smuggling

3836. **Shri M.C. Daga:** Will the **Minister of Finance** be please to state :—

(a) whether gold is still being smuggled into India;

(b) whether the Gold Control Act, 1968 has not been effective to check smuggling of gold;

(c) whether Government propose to make some amendments in the Gold Control Act with a view to check the smuggling of gold; and

(d) when a Bill to this effect is likely to be brought before Parliament?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) and (b) Government is aware that gold is still being smuggled into India. The provisions of the Gold (Control) Act, 1968, however, essentially serve as a second line of defence against gold smuggling; the main weapon for checking the smuggling is the Customs Act. By a

detailed system of control over internal transactions in gold, the Gold (Control) Act makes the circulation of smuggled gold with in the country more difficult. The quantity of gold seized under Gold Control Law only since the introduction of Gold Control on 10-1-1963 and upto 30-6-1970 is about 4868 Kg. This quantity would presumably not have been seized but for the existence of Gold Control.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कोचीन-मदुराई सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विस्तार

3837 **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने कोचीन-मदुराई सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विस्तार करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) क्या केरल राज्य ने इस उद्देश्य के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने भी कोचीन-मदुराई सड़क के मन्नार-कुमिली खंड की सतह को उन्नत करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) साधनों की कमी के कारण कोचीन-मदुराई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने या कोचीन मदुराई सड़क के मुन्नार-कुमिली खंड को उन्नत करने के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का केरल सरकार का अनुरोध स्वीकार करना अभी तक संभव नहीं हुआ है।

स्टैट बैंक आफ इंडिया द्वारा मै० आलकाक आशडाउन एण्ड कम्पनी लि० बम्बई को दिया गया ऋण

3838. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मै० आलकाक आशडाउन एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई को 1,04,00,000 रु० का ऋण दिया है;

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने इस कम्पनी को बिना नोटिस के ही ऋण सुविधायें देनीं बन्द कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्य इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को दिसबर, 1970 के माह के लिये वेतन अदा नहीं किया गया है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : यह सूचना स्टेट बैंक आफ इण्डिया के असामियों से सम्बन्धित है और बैंक व्यवसायियों में प्रचलित प्रथाओं तथा परिपाटियों के मुताबिक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 44(1) के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाती।

(घ) : यद्यपि इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी पता लगा है कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता रहा है।

सामान्य बीमा कंपनियों में काम करने वाले फर्जी कर्मचारी

3839. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमा कंपनियों में, जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, काम करने वाले कई हज़ार फर्जी कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 12 जून, 1971 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : इस प्रश्न में उल्लिखित खबर को सरकार ने 12 जून, 1971 के 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार-पत्र में देखा है : ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे भ्रष्टाचार का यह आकार जाहिर हो । इस भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों की ओर पहले से ही ध्यान दिया जा रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विरुद्ध शिकायतें

3840. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बतेाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरत सरकार का ध्यान ब्यूरिच की मिसिज लिली एल्थस द्वारा, हाल ही में उनके भारत के दौरे के अनुभव के आधार पर इण्डियन एयरलाइन्स के बारे में की गई कुछ शिकायतों की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) क्या उन्होंने अपने शिकायत पत्र में इण्डियन एयरलाइन्स के थल कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने, उनके सामान को बुरी तरह उतारने और उनके सामान को हुई क्षति का इण्यिडन एयरलाइन्स द्वारा मुआवजा न देने का ब्यौरा दिया है ; और

(ग) क्या उक्त शिकायतों के बारे में जांच की गई है और यदि हां, तो लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जी, हां। शिकायत का सम्बन्ध उस अवधि से है जबकि इण्डियन एयरलाइन्स में जोरदार अधिक आन्दोलन चल रहा था। अतः इसके लिये उत्तरदायित्व का निर्णय करना संभव नहीं है। इण्डियन एयरलाइन्स श्रीमती लिली एल्थस के नुकसान की पूर्ति तथा कष्ट के लिये उनके क्षमा-याचना करने जा रही है।

अखिल भारतीय पेंशन प्राप्तकर्ता सम्मेलन में की गई मांग

3841. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पेंशन प्राप्तकर्ताओं का हाल ही में दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में पेंशन नियमों को, जिन्हें 1871 में बनाया गया था, पुनरीक्षित करने की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन प्राप्तकर्ताओं की विभिन्न मांगों और सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) तथा (ख) : सरकार ने इस आशय की एक खबर समाचारपत्रों में देखी है।

(ग) सम्मेलन ने 1871 के जिन पेन्शन नियमों का उल्लेख किया है वह दरअसल 1871 का पैन्शन अधिनियम है। इस अधिनियम से पैन्शन के एवं पैन्शन रूपान्तरण के अधिकारों से सम्बन्धित मामले विनियमित होते हैं, तथा पैन्शन अभिग्रहण के विरुद्ध संरक्षित है। यह अधिनियम, पैन्शन की दरें, पेन्शनरों को राहत देने तथा पेंशन मंजूर करने की कार्यविधि जैसे मामलों का विनियमन नहीं करता है। ये विषय सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित पेन्शन नियमों तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न कार्यपालिका आदेशों द्वारा विनियमित होते हैं। इस स्थिति के कारण, पेंशन अधिनियम, 1871 को रद करने अथवा उसमें संशोधन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

गोआ के नाविकों द्वारा डाक्टरी परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

3842. **श्री इराज्मुद सेकेरा**: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के नाविकों ने अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें मरमागोआ पत्तन के किसी भी डाक्टर से डाक्टरी परीक्षा कराने की सुविधा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय व्यापार पोत (स्वास्थ्य परीक्षा) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये मारमागावों में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को विहित अधिकारी घोषित करने के लिये की जानी वाली कार्यवाही परीक्षाधीन है।

बोरिम ब्रिज (मारमागोवा) राज्यीय तथा अन्तर्राज्यीय यातायात का अस्त व्यस्त होना

3843. **श्री इराज्मुद सेकेरा**: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोरिम ब्रिज (मारमागोवा) का ट्रकों तथा बसों आदि के लिये उपलब्ध न होने के कारण राजकीय तथा अन्तर्राज्यीय यातायात अस्त-व्यस्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना गोवा दमन और दीव की सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय के पैरा मनोवैज्ञानिक विभाग के डा० एच० एन० बनर्जी के कागजात वापिस करना

3844. **श्री ओंकार लाल बेरवा**: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पैरा-मनोविज्ञानिक विभाग के सम्बन्धित अनुसन्धान सामग्री, अप्रकाशित आंकड़े

तथा पांडुलिपियां जब्त किये जाने के बारे में 1 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8263 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान विश्वविद्यालय अधिकारियों ने डा० एच० एन० बनर्जी के कागजात वापिस कर दिये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): जी, नहीं। श्री बनर्जी द्वारा दावा की गई सामग्री की छंटाई का प्रश्न अभी तक विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। जुलाई, 1970 में विश्वविद्यालय ने श्री बनर्जी को सात अलमारियों, जिनमें पैरा-मनोवैज्ञानिक के अनुसन्धान एकक की सामग्री है, की चाबियां वापिस करने के लिये अनुरोध किया था। उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

भारत-ब्रिटिश व्यापार करार समाप्त करने के लिये नोटिस

श्री बक्शी नायक (फूलबन): श्रीमान्, मैं विदेश व्यापार मन्त्री का ध्यान अविम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबन्ध में एक वक्तव्य दें:

"ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा 1939 का भारत-ब्रिटिश व्यापार करार समाप्त करने के लिये भारत को औपचारिक रूप से छः महीने का नोटिस दिये जाने का समाचार।"

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र): अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 1972 से राष्ट्रमण्डल अधिमान क्षेत्र से, जिसमें भारत भी शामिल है, सूती वस्त्र के आयात पर नया टैरिफ लगाने के संबंध में ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बारे में मैंने पिछले महीने की आठ तारीख को सदन में एक वक्तव्य दिया था। मैंने, मई में लन्दन में हुई वार्ताओं से, जिसमें ब्रिटिश प्रस्ताव पर भारत के विरोध को पुनः प्रकट किया गया, सदन को अवगत कराया। इन वार्ताओं के दौरान मैंने ध्यान दिलाया कि यह प्रस्ताव, विभेदपूर्ण, अन्यायपूर्ण तथा भारत जैसे विकासशील देशों के प्रति ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से भी असंगत हैं। चूंकि उनकी वर्तमान सूती वस्त्रों सम्बन्धी वर्तमान आयात प्रणाली व्यापक रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अनुरूप है अतः हमने उन्हें स्पष्ट रूप में यह बता दिया था कि वे अपने प्रस्तावों को कार्यान्वित करके अनावश्यक रूप में अपनी प्रणाली के यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रणाली के साथ सामंजस्य स्थापित करने की समस्यायें पैदा करेंगे। अन्य यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के अन्य सदस्यों की प्रणाली में कोई परिवर्तन किये बिना राष्ट्रमण्डलीय अधिमान क्षेत्र पर टैरिफ लगाने की उनकी प्रस्थापना से उस समझौते का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार भारत सरकार ने ब्रिटेन को यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल होने के समय छूट दी थी।

2. ब्रिटिश सरकार ने हमें सूचित किया है कि वे अपनी घोषित नीति में किसी भी प्रकार का स्थगत अथवा संशोधन करने का विचार नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया: कि उनकी आयात प्रणाली में परिवर्तन से भारत के निर्यातों को हानि पहुंचेगी। उन्होंने ब्याज मुक्त शर्तों पर एक करोड़ पौण्ड ऋण देने की पेशकश की लेकिन वह ब्रिटेन के माल अथवा सेवाओं की खरीद के लिये ही होगा और उन्होंने भारत-ब्रिटेन व्यापार करार के अधीन सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उन्हें छूट देने के लिये हम से अनुरोध किया, ताकि वे उन पर सीमा-शुल्क लगा सकें।

3. जैसा कि सदन को विदित ही है कि हमारा सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि सहायता व्यापार का स्थान नहीं ले सकती। तद्नुसार हमने उन्हें सूचित कर दिया कि छूट सम्बन्धी उनके अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिये संभव नहीं है।

4. 30 जून को भारत सरकार को ब्रिटेन की सरकार से वर्ष 1939 के भारत-ब्रिटेन व्यापार करार को समाप्त करने के सम्बन्ध में छः मास का नोटिस प्राप्त हुआ है। हम ब्रिटिश व्यापार मन्त्री द्वारा 30 जून को हाउस आफ कामन्स में समाप्ति के नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये भाषण के सरकारी वृतान्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

5. यह अत्यन्त खेद का विषय है कि ब्रिटेन की सरकार ने हमारे द्वारा उन्हें प्रस्तुत की गई बातों को स्वीकार करना संभव नहीं समझा जिनसे मामले पर परस्पर मान्य समझौता हो सकता था। मैं अब भी आशा करना चाहता हूं कि ब्रिटेन की सरकार अब भी हमारे दृष्टिकोण के औचित्य को समझेगी और हमारे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार सम्बन्धों को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने पर लेना उसे अभीष्ट नहीं होगा।

श्री बक्शी नायक : ब्रिटेन को भारत से कुल 150 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया जाता है जिसमें 21 करोड़ रुपये का कपड़े का निर्यात है। क्या ब्रिटेन के निर्णय से भारत के केवल 21 करोड़ रुपये के निर्यात पर ही प्रभाव पड़ेगा ? क्या भारत ने ब्रिटेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, यदि हां, तो क्या इससे ब्रिटेन को भारत के पूरे निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ? भारत के सामने अब दो विकल्प हैं, या तो वह ब्रिटेन के साथ अपने 150 करोड़ रुपये के व्यापार से हाथ धो बैठे या ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले जिससे केवल 21 करोड़ रुपये के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा । भारत सरकार पहले विकल्प को क्यों स्वीकार करती है ? यदि भारत का निर्यात बिलकुल बन्द हो जाता है तो यह विदेश व्यापार मन्त्रालय की पूर्ण विफलता होगी।

श्री एल० एन० मिश्र : इसमें विदेश व्यापार मन्त्रालय की विफलता का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने तो ब्रिटिश सरकार को यह समझाना चाहा था कि उनकी यह मांग गलत है। यह तो एक सिद्धान्त का प्रश्न है। एक ओर तो ब्रिटेन यह कहता रहा है कि वह विकासशील देशों की सहायता करना चाहता है। दूसरी ओर उसने यह मांग भी ऐसे समय की है जबकि हम अपना निर्यात ब्रिटेन को बढ़ाना चाहते थे। यह आत्म-सम्मान और राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। इसी कारण से हमने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना है। अब ब्रिटेन सरकार अपनी ओर से उक्त करार को समाप्त कर रही है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से हमें इससे हानि होगी।

श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप) : ब्रिटेन सरकार का यह निर्णय एकपक्षीय है। किन्तु इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये । क्योंकि ब्रिटेन की सर्वदा यह नीति रही है कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा पहले करता है। जब उसने यह समझौता भारत के साथ किया था तभी उसे भारत में उपलब्ध कच्चे माल की जरूरत थी। अब उसे हमारे माल की आवश्यकता नहीं रही है । अब उसे पश्चिम यूरोपीय देशों से व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने में लाभ है। अतः अब ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में भाग लेने के लिये प्रयत्नशील है। अब वह समय दूर नहीं है जबकि ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल को छोड़कर यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित हो जायेगा।

मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि विदेश व्यापार से सम्बद्ध भारतीय अधिकारियों ने, यह समझते हुये भी कि ब्रिटेन एक न एक दिन ऐसा करेगा, पहले से ही इस सम्बन्ध में कदम नहीं उठाए

[श्रीमती विमा घोष]

हैं। भारत को धीरे धीरे अपना व्यापार ब्रिटेन से कम करना चाहिये था और एशिया, अफ्रीका और पूर्व यूरोपीय देशों से अपना व्यापार बढ़ाना चाहिये था। इस दृष्टि से भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति विफल रही है।

मैं इस बात की निन्दा करता हूं कि भारत का विदेश व्यापार ब्रिटेन की मण्डी पर आधारित है। यदि ब्रिटेन की सरकार हमारे देश के हितों को नहीं देखती तो हमें भी ऐसी ही नीतियां अपनानी चाहियें जो हमारे राष्ट्र हित में हों। भारत में जो ब्रिटिश पूंजी और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनका भारतीय सरकार को राष्ट्रीयकरण तक कर लेना चाहिये। अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि अब भारत सरकार को ब्रिटेन के साथ अपने आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और भारत को अब राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाना चाहिये ताकि भारत एक स्वतन्त्र और सर्व-प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र बना रह सके।

श्री एल० एन मिश्र : भारत एक प्रभुत्व सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्र है, इस बारे में तो संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नही है। माननीय सदस्या ने कई प्रश्न पूछे और कई बातें कही हैं। जहां तक ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार का सम्बन्ध है उनसे हमारा व्यापार संतुलन बिगड़ा नहीं है। उदाहरण के लिये, 1968-69 में ब्रिटेन के साथ निर्यात व्यापार 202 करोड़ रुपये और आयात व्यापार 128 करोड़ रुपये का किया गया था। इस वर्ष अर्थात् 1969-70 में ये आंकड़े क्रमशः 165 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये थे। जहां तक विदेश व्यापार अधिकारियों पर लगाये गये इस आरोप का सम्बन्ध है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई ऐतियाती कार्यवाही नहीं की, मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1968-69 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम यह घोषणा की थी कि 1972 से वे ऐसा करेंगे। तभी से ही भारत ब्रिटेन पर ऐसा न करने के लिये दवाव डालता रहा है। किन्तु उन्होंने हमारी वात नहीं मानी है और उनका यह निर्णय न्यायोचित नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। एक था बदले में ब्रिटिश पूंजी वाली कम्पनियों का राष्ट्रीकरण और दूसरा राष्ट्रमण्डल छोड़ने के बारे में। इनके उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिये। इस सम्बन्ध में वे 'हां' या 'नां' में उत्तर दे सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ब्रिटिश कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण अथवा राष्ट्रमण्डल के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इन बातों को आप इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा के दौरान पूछ सकते हैं। शेष प्रश्नों का उत्तर माननीय मन्त्री दे चुके हैं। उपर्युक्त प्रश्नों का सम्बन्ध पूरे मन्त्रिमण्डल से होता है और यदि वे चाहें तो उनका उत्तर प्रधान मन्त्री देंगी। किन्तु इसका अर्थ आप लोगों को यह नहीं लगाना चाहिये कि मैं इन प्रश्नों को कम महत्वपूर्ण समझता हूं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I would like to know the steps taken by Government of India to safeguard the interests of the country during the last 3 or 4 years, since when the Britain is trying to enter into the European Common market, the reasons for which Indian Government does not want to quit commonwealth; the retaliatory steps the Government is going to take against Britain if she imposes 15% duty on Indian textiles and terminates the Indo-British Trade Agreement of 1939; and the names of the countries which are going to be benefitted by Britain's this decision.

Shri L. N. Mishra: Sir, Since the British government made announeement to terminate the Trade Agreement, we had been trying to increase our trade with the West European countries. As regards the retaliatory measures, we will also impose 15% tariff on the im-

port of British goods in India. We will also stop giving them preferencial treatment in future As regards the quitting of commonwealth is concerned with such a matter on which decision cannot be taken immediately. Lastly, I would like to tell the hon. Members that countries like Portugal, Taiwan and South Korea will be benefitted by this decision of the British Government. Hong-Kong also will be affected like us. I do not know what will be the fate of Japan.

Shri K. M. Madhukar(Kesaria): Mr. Speaker, Sir, I would like the Minister to give a categorical answer about quitting the commonwealth; though he may answer this question after consulting the Cabinet on this issue. Secondly, may I know the reasons why the government hesitates to nationalise the British owned companies in India? Lastly, it is reported in the Press that the British government has asked the Indian Government to reconsider the question of waiver. May I know the reaction of Indian Government to these press reports?

Shri L. N. Mishra: I have already replied the questions asked by hon. Member. About his last question I would like to say that we are firm on our stand and we will grant no waiver to Britain in the coming 6 months, the period of notice for termination of the said Agreement.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने। मेरा मत उनसे कुछ भिन्न है। मैं तो व्यापार को एक सौदे का मामला मानता हूं। व्यापार में तो प्रतिष्ठा और सिद्धांत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि व्यापार किसी के लिये हानिप्रद बन जाता है तो वह, आवश्यक है, ऐसे कदम उठायेगा जिससे उसे लाभ हो। ब्रिटेन ने जो कार्य किया है वह उक्त करार के अनुसार ही किया है। यदि करार की शर्तों के अनुसार वे 15 प्रतिशत प्रशुल्क लगाते हैं तो उन्हें लगाने दो। इस प्रशुल्क के लगने से कपड़े के निर्यात से प्राप्त होने वाली लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि में कुछ कमी हो जायेगी। किन्तु इस आधार पर हम ब्रिटेन से अपने व्यापार सम्बन्ध क्यों बिगाड़ें। गत वर्ष ही हमने ब्रिटेन को कुल 160 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का यह सुझाव राष्ट्रमंडल के लगभग सभी देशों ने मान लिया है, फिर भारत किन विशिष्ट कारणों से इसका विरोध कर रहा है? दूसरे ब्रिटेन ने जो एक करोड़ पौंड की पेशकश भारत को दी थी, उसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया। यह बात भी स्पष्ट की जाये।

श्री एल० एन० मिश्र: जहां एक करोड़ पौंड की राशि की बात है, यह भारत को इस शर्त पर दी जा रही थी कि उससे हमें ब्रिटेन से ही सामान और अन्य माल खरीदना होगा। इसी कारण से हमने इस ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

यह तो सच है कि उक्त करार को समाप्त करने का नोटिस अवैध नहीं है। किन्तु ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वचन दे रखा है कि वह विकासशील देशों की सहायता करेगा। किन्तु इस कार्यवाही से ब्रिटेन अब अपने इस वचन को तोड़ रहा है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने ब्रिटेन को चार विकल्प सुझाये थे:–

(एक) कुछ समय के लिये प्रस्ताव को स्थगित करना;

(दो) 15 प्रतिशत प्रशुल्क के स्थान पर पहले, 4,5 या 3 प्रतिशत प्रशुल्क लगाया जाना जिससे भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ न पड़े।

(तीन) सूती कपड़े को जी० एस० पी के अन्तर्गत ब्रिटिश प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया जाये, और

(चार) ऐसे क्षेत्र खोजे जाये जहां ब्रिटेन और भारत के सूती कपड़े में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा न हो।

ब्रिटेन ने इनमें से हमारा एक भी सुझाव नहीं माना है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि उनका यह निर्णय न्यायोचित नहीं है। हमने इस मामले पर काफी विचार विमर्श किया है और हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जो कार्यवाही भारत ने इस मामले में की है, वह ठीक ही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के विवरण

संसदीय कार्य नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

निम्नलिखित विवरण जिसमें लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है :--

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या 33	चौथा	सत्र,	1968
2. विवरण संख्या 27	पांचवां	सत्र,	1968
3. विवरण संख्या 20 .	छठा	सत्र,	1968
4. विवरण संख्या 25	सातवां	सत्र,	1969
5. विवरण संख्या 15	आठवां	सत्र,	1969
6. विवरण संख्या 13	नवां	सत्र,	1969
7. विवरण संख्या 15 .	दसवां	सत्र,	1970
8. ववरण संख्या 6	ग्यारहवां	सत्र,	1970
9. विवरण संख्या 5	बारहवां	सत्र,	1970

पांचवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 2	पहला	सत्र,	1971
11. विवरण संख्या 1 . . .	दूसरा	सत्र,	1971

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 577/71]

खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, अधिनियम तथा भारतीय संग्रहालय अधिनियम के अधीन अधि-सूचना

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं श्री सिद्धार्थ शंकर रे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) (एक) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लायब्रेरी अधिनियम 1969 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लायब्रेरी नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1695 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 578/71]**

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 579/71]

(2) (एक) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय भर्ती नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर, 1970 में असूचना संख्या जी० एस० आर० 1681 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 580/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। दखिये संख्या एल टी०** 581/71]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा मैसूर उत्पादन शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 918 में प्रकाशित हुये थे।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 582/71]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 962 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 583/71]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 774, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मई, 1970 में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 941 से 943, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जून, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 584/71]

(4) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 71 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसूर उत्पादन शुल्क (विकृतीकृत स्पिरिट तथा विकृतीकृत मद्यसारमय निमितियां) (संशोधन) नियम, 1971 जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 36 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) मैसूर उत्पादन शुल्क (मद्यशाला तथा भाण्डागार) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 53 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) मैसूर उत्पादन शुल्क (विकृतीकृत स्पिरिट तथा विक्रीकृत मद्यसारमय निमितियां) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 585/71]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयक सभा-पटल पर रखे :—

(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1971

(2) बंगाल वित्त (विक्रय कर) (दिल्ली नियुक्ति तथा कार्यवाही (विधिमान्यकरण) विधेयक 1971

(3) संसद अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक, 1971

(4) मैसूर राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971

(5) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971

(6) पंजाब विनियोग विधेयक, 1971

अफीम की खेती के बारे में 25 जून 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 736 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING REPLY TO S. Q. No. 736 RE. CULTIVATION OF OPIUM

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० आर० गणेश): माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुये यह सूचना मांगने पर कि क्या सरकार अफीम पोस्त की कास्त का रकबा बढ़ाने पर विचार कर रही है, तथा यदि हां, तो कितना, यह बताया गया था कि पोस्त की कास्त का रकबा बढ़ाने का कोई प्रस्तव नहीं है।

2. इस स्थिति की पुनः जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि निर्यात के लिये अफीम की हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये 1971-72 की फसल के मौसम के लिये पोस्त की कास्त के रकबे को बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही थी। अस्थाई रूप से यह प्रस्ताव किया गया है कि अफीम के रकबे को, जो 1970-71 में 40-825 हेक्टेयर था, 1971-72 के मौसम में बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर किया जाए। यह निश्चित नहीं है कि इस रकबे में पोस्त की खेती कर सकना वास्तव में संभव हो पायेगा अथवा नहीं क्योंकि यह उन किसानों पर निर्भर करेगा जो अपने खेतों की पोस्त की कास्त करेंगे।

3. इसलिये सही उत्तर इस प्रकार होना चाहिये।

"जी, हां। पोस्त की खेती के रकबे को जो 1970-71 में 40,825 हेक्टेयर था 1971-72 के मौसम में बढ़ाकर लगभग 50,000 हेक्टेयर करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में

RE. BANGLA DESH REFUGEES

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मुझे श्री अरुण भट्टाचार्य से इस आशय का तार मिला है कि हातीबन्द और बाराखाट से पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई गोला-बारी एवं लगातार वर्षा में हजारों शरणार्थियों के बचाव के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि शरणार्थियों को इस कष्ट से बचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तुरन्त कुछ करे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : याहया खां ने कई बार कहा है और झूठा प्रचार भी किया जा रहा है कि ये लोग सीमा पार करके भारत आ रहे हैं और हमने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल रखा है। इस झूठे प्रचार का भंडाफोड़ करने के लिये मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका अनुरोध मन्त्री महोदय तक पहुंचा दिया है।

अनुदानों की मांगें (1971-72)

DEMANDS FOR GRANTS 1971-72

इस्पात और खान मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय: अब मन्त्री महोदय कार्य का उत्तर देंगे।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम): अध्यक्ष महोदय, निस्संदेह इस्पात किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिये अत्यन्त आवश्यक सामग्री है। छोटे से छोटे कृषि-उद्योग में काम आने वाले पुर्जों से लेकर बड़े-बड़े उद्योग समूहों के लिये इस्पात का बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था का भविष्य इस्पात उद्योग पर बहुत हद तक निर्भर करता है। माननीय सदस्यों ने इस्पात उद्योग के बारे में चिन्ता व्यक्त की है मैं उनकी इस चिन्ता में सम्मिलित हूं।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस्पात के मामले में सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा तथा हमारे देश में इस्पात उद्योग के विकास को नई दिशा प्रदान की जायेगी।

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि भारत के इस्पात का भविष्य किस प्रकार का है! हम आशा करते हैं कि वर्ष 1979-80 के अन्त तक इस्पात का उत्पादन देश में लगभग 1 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हो जायेगा। हमारा विचार है कि बोकारो संयंत्र में 50 लाख 50 हजार मीट्रिक टन तक यह बढ़ जायेगा और भिलाई में भी 40 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जायेगा तथा दुर्गापुर और रूरकेला में भी उत्पादन बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें इनमें अधिक धन लगाना पड़ेगा। आज सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये लगे हुये हैं उन्हें बढ़ा कर हमारा विचार 5 हजार रुपये करना है।

माननीय सदस्यों द्वारा उड़ीसा के बारे में बताया गया है इस बारे में हम जांच कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ष 1979-80 तक 1 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन से 2 करोड़ मीट्रिक टन तक का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा वर्ष 1980 के बाद प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करना है। यदि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है तो स्पष्ट है कि हमें प्रति वर्ष एक नया इस्पात संयंत्र खोलना पड़ेगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि एक इस्पात संयंत्र 6, 7, या 8 वर्ष में पूरी तरह बन पाता है। यदि हम 1980 के बाद उचित गति से विस्तार करना चाहते हैं तो हमें इस संबंध में अभी से योजना आरंभ करनी होगी। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम एक योजना बना रहे हैं और 6 महीने से एक वर्ष की अवधि में हम नये इस्पात संयंत्र को लगाने के स्थानों के बारे में निश्चित रूप से निर्णय कर सकेंगे।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड की वास्तविक स्थिति यह है कि वर्ष 1969–70 की अपेक्षा वर्ष 1970-71 में वहां पर उत्पादन कम होगा। भिलाई में उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा पूरी क्षमता का उपयोग 77 से 78 प्रतिशत तक किया गया है परन्तु दुर्भाग्यवश रूरकेला में उत्पादन कम हुआ है।

हमारी असफलता के कारणों का पता लगाना बहुत कठिन काम है तथा स्थिति सुधारने के लिये क्या ठोस उपाय किये जायें इस बारे में विचार करना है। कठिनाइयां दूर करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने में सभी सदस्यगण सहायक होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

इस्पात के उत्पादन में हमारी असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हम गत कई वर्षों से पर्याप्त निवारक उपाय नहीं कर पाये हैं और ऐसे सुव्यवस्थित दल भी नहीं बना पाये हैं जो कि किसी

घटना के होने पर शीघ्र कार्यवाही कर सके। यदि भिलाई में कार्य ठीक हो रहा है तो इसका यही मतलब है कि वहां अन्य संयंत्रों की अपेक्षा रख-रखाव श्रेष्ठतर था । एक कारण यह भी है कि हमारे संयंत्र पुराने पड़ते जा रहे हैं और जितना पुराना संयंत्र होगा उतना ही रख-रखाव का खर्च अधिक होगा और उत्पादन कम होता जायेगा।

यद्यपि 'टिस्को' और 'इस्को' में तकनीकी इन्जीनीयर रखे हुये हैं फिर भी पिछले वर्षों में वहां पर रख-रखाव ठीक नहीं रहा है। अब हम ने इस ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ कर दिया है और आशा है कि भविष्य में स्थिति में सुधार हो जायेगा।

हमने लक्ष्य की वास्तविक प्राप्ति के लिये ऊष्म सह संयंत्र को चालू करने का सिद्धान्ततः निर्णय कर लिया है।

श्रमिकों के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न भी इतना ही गंभीर है। पिछले विश्लेषण से पता चला है कि श्रमिकों के साथ बातचीत के लिये अच्छे प्रबन्धक होने चाहियें। हम इस्पात उद्योग को ठीक करने के लिये ही नहीं अपितु हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के बारे में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। गत वर्ष संयुक्त मजूरी वार्ता समिति का गठन किया गया है जिसमें श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

हमने निर्णय किया है कि यह समिति भविष्य के लिये विस्तृत उत्तरदायित्व संभाल लेगी । यह समिति न केवल मजूरी और सेवावृत्ति लाभ से सम्बन्धित करार को लागू करने के लिये ही जिम्मेदार होगी अपितु हमें आशा है कि हमारी उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं में भी वह सरकार और उद्योग की सहायता करेगी। हम इस तथ्य के प्रति भी जागरूक हैं कि प्रत्येक संयंत्र में वातावरण बदला जाये।

यह भी आवश्यक है कि श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच जो खाई है उसे समाप्त किया जाये। इसका एक ही उपाय है कि संयंत्र के अन्दर प्रत्येक स्तर पर उत्पादन समितियां अथवा सलाहकार समितियां जिनमें दोनों श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि शामिल हों, स्थापित की जानी चाहियें । ये समितियां केवल नाम के वास्ते ही नहीं अपितु श्रमिकों के सम्बन्ध में निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया में भी भागीदार बनें।

इसका यह मतलब नहीं है कि श्रमिकों पर ही जिम्मेदारी डाल दी जाये परन्तु हमारे राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भी इस्पात संयंत्र में एक मत से कार्य होने देने का है।

यह भूलना हमारे लिये गलत होगा कि प्रबन्धकों की कमजोरी जहाँ रही है वहां दूसरी ओर श्रमिकों के नेताओं द्वारा भी देश में इस्पात उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के महत्व के प्रति कुछ गैर-जिम्मेदारी दिखाई गई है।

इसमें कोई मज़ाक की बात नहीं है कि दुर्गापुर में पिछले वर्ष 20 करोड़ रुपये की संभाव्य हानि में से 11 करोड़ रुपये की हानि श्रमिक विवादों के कारण हुई है। यदि एक बार भी दुर्गापुर में बंध हो जाता है तो भविष्य के लिये भी संयंत्र को हानि होनी निश्चित है। यदि काम बन्द हो जाता है तो 950 से 1200 डिग्री सेन्टीग्रेड का ताप कम पड़ जाता है और इस प्रकार बहुत हानि होती है।

इन श्रमिक विवादों का कारण कार्मिक संघों की संख्या का अधिक होना है जिनके नेता संयंत्र अथवा इस्पात के उत्पादन में कोई रुचि नहीं रखते हैं वरन् स्वयं की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं

और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। इस मामले में देश में जो भेदभाव का कठोर रवैया व्याप्त है उसे भी दूर करना है और यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझें।

जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक मजदूर संघों को आपस में लड़ा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल हो जाती हैं, मैं बताना चाहता हूं कि यह बात गलत है।

यह बात सही है कि इस्पात उद्योग की हालत अच्छी नहीं है। इस्पात संयंत्रों को 172 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है जो कम राशि नहीं है। हम अब इसमें लाभ की आशा करते हैं। वर्ष 1967-68 के 40 करोड़ रुपये के घाटे में से वर्ष 1969-70 में कमी हुई है और वह 10 करोड़ रुपये की कमी हुई है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस्पात संयंत्रों में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगाई गई है, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कहना गलत है। वैसे इस क्षेत्र में थोड़ा सुधार हुआ है और वस्तु-सूचियों में भी सुधार हो रहा है। पिछले दो वर्षों से इस वर्ष इस्पात संयंत्रों की स्थिति अच्छी है।

अतिरिक्त श्रमिकों के बारे में कुछ पूछा गया है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा अनुमान है कि 60,000 श्रमिकों में से 2,500 श्रमिकों से अधिक श्रमिक फालतू नहीं है। वास्तव में श्रमिक नियोजन के बारे में हमारी स्थिति श्रेष्ठतर है क्योंकि इस्पात के प्रति मीट्रिक टन क्षमता के लिये हमारे यहां श्रमिकों की संख्या गैर-सरकारी क्षेत्र से भी कम है।

जहां तक 2,500 अतिरिक्त श्रमिकों का सम्बन्ध है, हम इस्पात संयंत्रों, विशेषकर भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार में इन 2,500 अतिरिक्त श्रमिकों को बिना किसी कठिनाई के नियुक्त कर लेंगे।

अब मैं कुछ छोटी-छोटी परन्तु महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहता हूं। भिलाई इस्पात संयंत्र का संकट कोई छोटी बात नहीं है। हमारे इंजीनियर स्थिति सुधारने में लगे हुये हैं और मैं समझता हूं कि थोड़े समय में ही स्थिति सामान्य हो जायेगी।

अगला प्रश्न इस्पात वितरण के बारे में है। मैं जानता हूं कि सभा के प्रत्येक सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिमेड में वास्तविक सुधार हो। हमारे देश में प्रबन्धक और सरकार दोनों अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक है तथा हम स्थिति में सुधार करने के लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रख-रखाव के लिये ऊष्म सह ईंटों की सप्लाई के बारे में और कुछ अत्यावश्यक उपकरणों के आयात के बारे में महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। जिनके आधार पर हमें आशा है कि निकट भविष्य में हम प्रगति कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने खुले बाजार मूल्यों की आलोचना की है। उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई इस बात की समीक्षा की है कि मूल्यों में गिरावट आई है। जब यह प्रतिवेदन लिखा गया था उस समय मूल्यों में गिरावट आई थी। हम जानते हैं कि इस्पात को उससे कहीं अधिक मूल्यों पर, जिन मूल्यों पर वह सीधा इस्पात संयंत्रों अथवा स्टाकयार्डों के माध्यम से मिल सकता है, बेचा जा रहा है। पहली बात यह है कि हम हर किसी को इस्पात का आवंटन नहीं करते हैं जब तक कि वह प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, जो कि सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी निकाय हो, आवेदन न करे। इस्पात का आवंटन संयुक्त संयंत्र समिति और इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस्पात प्राप्त करने के बाद लोगों को उसका अनुचित प्रयोग करने से रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है यद्यपि हम इस बारे में भरसक कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष मई में हमने मद्राम,

बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में सहायता क्षेत्रीय लौह और इस्पात नियन्त्रकों के कार्यालय स्थापित किये हैं। यह उनका दायित्व है कि वे इस बारे में सतर्क रहें तथा हम आशा करते कि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

जैसा कि आपको ज्ञात ही है, हमने बिलेट रि-सेलरों से वह हक छीन लिया है जिससे वे अपने पुनर्वेलित सामान को बाजार में बेचने के लिये स्वतन्त्र थे। अतः मई, 1971 से बिलेट रि-सेलर्स समिति के माध्यम से 4 से 5 लाख मीट्रिक टन इस्पात की सप्लाई, खुले बाजार में न बेची जाकर, नियमित मूल्यों पर की जा रही है। परन्तु अन्ततोगत्वा इसका एक ही हल है कि उत्पादन को बढ़ाकर मांग और सप्लाई में संतुलन स्थापित किया जाये। वितरण को सुव्यवस्थित करने का यही एक उपाय है।

जहां तक बोकारो इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है, हमें विश्वास है कि वहां पर धमन भट्टी दिसम्बर, 1971 तक स्थापित की जा सकेगी। 17 लाख मीट्रिक टन का पहला चरण मार्च, 1973 तक पूरा किया जाना है, 25 लाख मीट्रिक टन का दूसरा चरण मार्च, 1974 तक और 40 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन वर्ष 1975 के अन्त तक पूरा किया जाना है। मैं बताना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में बोकारो इस्पात संयंत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

जहां तक लागत का सम्बन्ध है, यह वर्ष 1966 में 670 करोड़ रुपये से बढ़ कर 758 करोड़ रुपये हो गई है। जिसमें से 60 करोड़ रुपये की वृद्धि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। हम नहीं चाहते कि लागत में वृद्धि हो।

बोकारो इस्पात संयंत्र ने मद्रास की एक फर्म मैसर्स के० सी० पी० का निस्तापन संयंत्र का निर्माण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसके संबंध में सलाहकारों ने मैसर्स के०सी०पी० के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश की थी क्योंकि यह तकनीकी रूप से स्वीकार्य थी और इसकी लागत लगभग 10 प्रतिशत कम थी। इसके बाद ए० सी०सी० ने दो ज्ञापन प्रस्तुत किये थे। उक्त ज्ञापनों पर बोर्ड ने विचार किया था लेकिन पूर्व निर्णय के अनुसार निविदा पत्र पहले ही जारी कर दिया गया था।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। यह स्पष्ट है कि उत्पादन की स्थिति में सुधार करने के लिये स्पष्ट कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सुनिश्चित कदम उठाये जाने हैं जिससे उत्पादन की प्रगति पर नियंत्रण रखा जा मके। यह सच है कि इस सम्बन्ध में हम किसी भी उचित स्तर पर नहीं पहुंच पाये हैं। आशा है कि 6 मास के अन्दर-अन्दर स्थिति में सुधार हो जायेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में लागत लेखा रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रत्येक उत्पाद का सही सही और भिन्न भिन्न रूप से हिसाब लगाना पड़ता है । इस बारे में भी हम पिछड़े हुए हैं और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार होगा। इसके लिये संगणकों का लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके लगाये जाने से किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी परन्तु यह अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि कम्प्यूटरों का प्रयोग शीघ्र आरम्भ कर दिया गया तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कार्य में प्रगति होगी। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाने पर विचार किया जा रहा है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में एक तकनीकी निदेशक की, जो एक नया पद है, पहले ही नियुक्ति की जा चुकी हैं। इसी प्रकार एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक का किसी भी समय नियुक्ति की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रन्बन्ध में सुधार होगा और उसके उत्पादन में वृद्धि होगी ऐसा मेरा विचार है।

जहां तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में स्थानीय लोगों को नियुक्त करने का प्रश्न है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में काम करने वाले 19,372 कर्मचारियों में 3,268 कर्मचारी विस्थापित परिवारों के हैं। यह क्षेत्र स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देने में पीछे नहीं है। हम सरकार की इस नीति का पालन करते हैं कि उत्तर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को नौकरी के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

यदि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लाभ में जायेगा तो इससे उसके कर्मचारियों को भी लाभ होगा।

तुंगभद्रा योजना के स्थान को बदलने के लिये सरकार ने चौथी योजना में 100 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

उक्त तीनों इस्पात संयंत्रों का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। आशा है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संयंत्र क्षेत्र का सीमांकन किया जा चुका है और जहां तक सेलम का सम्बन्ध है उसके लिये भूमि के अधिग्रहण कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

सेलम में इस्पात के उत्पादन का 2 लाख 50 हजार टन से 5 लाख टन तक बढ़ाने का उल्लेख किया गया है जिससे सेलम जिले में स्थित लघु उद्योग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अभी इसका उत्पादन 5 लाख टन करना बहुत कठिन है क्योंकि इस कारखाने में ऑलय इस्पात और विशेष इस्पात का उत्पादन होता है।

अनुसंधान और विकास बोर्ड की स्थापना एक महत्वपूर्ण मामला है। हम इस बारे में गत वर्ष से विचार करते आ रहे हैं कि क्या हमें देश के इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल के प्रतिवेदन के आधार पर हमने निर्णय किया है कि उक्त बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। इस योजना पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के मामले में सी० ई० डी० बी० एक कारगार डिजाइन संगठन साबित हुआ है।

युनाइटिड इंजीनियरिंग कारपोरेशन से 1968 और रूस से 1969 में इस बारे में करार करने के परिणामस्वरूप सी० ई० डी० बी० के कार्य में वास्तव में सुधार हुआ है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सरकारी क्षेत्र में प्रभावकारी कार्य कर रहा है। आशा है कि उक्त संस्था भविष्य में इस्पात संयंत्रों का निर्माण करेगी। हमारा विचार है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में विशिष्ट प्रभागों को प्रोत्साहन दिया जाये।

स्वायत्त शासन का अभिप्राय यह नहीं है कि हम प्रबन्धकों के निर्णयों के बारे में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अन्याय होता है तो कानून में इसके उपचार की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मामला किसी अधिकारी से सम्बन्धित है तो हम अधिकारी को न्याय देने के मामले में चेयरमैन और बोर्ड पर निर्भर रह सकते हैं।

छोटे संयंत्रों की स्थापना से इस्पात की कमी पूरी नहीं होगी। इस्पात की कमी लगभग 10 लाख टन की है। (अन्तर्बाधाएं) इन सब लघु संयंत्रों में कुल मिलाकर 3 लाख टन का उत्पादन होगा।

छोटे संयंत्रों की स्थापना से इस्पात की कमी पूरी नहीं होगी। इस्पात की कमी लगभग 10 लाख टन की है। (अन्तर्बाधाएं) इन सब लघु सयंत्रों में कुल मिला कर 3 लाख टन का उत्पादन होगा। हमारे इस्पात उद्योग में सरकारी क्षेत्र का जो वास्तविक स्थान है वह किसी तरह से महत्वहीन नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र का स्थान भविष्य में और महत्वपूर्ण होगा।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण का मामला बहुत गम्भीर है। हमारे देश के समक्ष धातुकर्मीय कोयले के संरक्षण का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें इस तथ्य की जानकारी है और हमें इस बारे में आवश्यक कार्यवाही भी करनी है। हम इस मामले में जांच कर रहे हैं कि हमें इस मामले में कभी उचित कदम उठाने चाहिये। मैं इस बात का आवश्वासन देता हूं कि इस बारे में निर्णय किया जायेगा कि धातुकर्मीय कोयले के भंडार को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में धातुकर्मीय कोयले की बहुतायत है और 23740 लाख टन कोयला 6 बड़ी कम्पनियों के हाथ में हैं। मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि इस मामले में शीघ्रता की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इस ओर सरकार ध्यान देगी और सरकार इसका संतोषजनक हल खोज निकालेगी।

यह सच है कि 156 कोयला खानों में कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को क्रियान्वित नही किया गया है। कुछ कोयला खानों में इस पंचाट को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया है। हम इस बारे में कार्यवाही करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि कोयला खानों को न्याय मिल सके।

हमारे देश मे खनिज संसाधनों की बहुतायत है। भूवैज्ञानिक मानचित्रण के कार्य की धीमी गति से प्रगति हुई है लेकिन हम उसमें सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिये चौथी योजना में 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अग्निकुंडला क्षेत्र में तांबे के काफी भंडार हैं और इसके लिये हमने दो योजनाओं को मंजूर किया है। हमें आशा है कि जांच के परिणामों के आधार पर हिन्दुस्तान फायर लिमिटेड इन परियोजनाओं में खानों की खुदाई बड़े पैमाने पर और तीव्र गति से कर सकेगा।

उड़ीसा में लौह-अयस्क, कोयला, मेंगनीज़ तथा क्रोम के लिये खोज जारी है। उड़ीसा राज्य खनिज की दृष्टि से बहुत अमीर है। सुखिंदा परियोजना के सम्बन्ध में हमने पहले ही भारतीय परामर्शदाता संगठन से 4800 टन निकल के उत्पादन के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त किया है। इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश भी खनिज निक्षेपों की दृष्टि से बहुत धनवान है।

तमिलनाडु में खनिज स्रोत इतने अधिक नहीं हैं जितने उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हैं।

यह सच है कि अलोह-धातुओं की अभी भी हमारे देश में भारी कमी है। हमारे पास जस्त, अल्युमिनियम, तांवा आदि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। हमें आशा है कि आगामी दो वर्षों में हम इस कमी को पूरा कर सकेंगे। खेतड़ी लेबा परियोजना के चालू हो जाने के बाद हम इसकी कमी को पूरा कर सकेंगे। हिन्दुस्तान जिंक ने देश के लिये बहुत लाभकारी कार्य किया है।

खान वित्त निगम की स्थापना के बारे में भी अध्ययन किया गया है। हम इस बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसकी स्थापना लाभदायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने हमको यह सुझाव दिया है कि इसे शीघ्र स्थापित किरने की बजाये आई० डी० बी० आई० में खान सम्बन्धी विशेष कक्ष द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये और अब ऐसा किया जा रहा है। यदि ऐसा सम्भव नहीं हुआ तो एक पृथक् निगम की स्थापना के बारे में विचार किया जायेगा।

लौह-अयस्क के निर्यात के बारे में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब तक 2 करोड़ टन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। 1973–74 में इसका लक्ष्य 310 लाख टन होगा और 1978–79 में इसका लक्ष्य 560 लाख टन होगा।

अमजोर खान का विकास करने और गंधक के आयात को बन्द करने का भी उल्लेख किया गया है। गंधक के आयात का पर्याप्त औचित्य है। इसके परिणामस्वरूप ही हम अपने तेजाब संयंत्रों की क्षमता पूरी कर सकेंगे और अच्छी किस्म के गंधक का उत्पादन करने के लिये उन्हें चला सकेंगे।

मसूरी रॉक फौस्फेट्स के बारे में पेरिटेज कारपोरेशन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और उससे रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेग ।

अलोह खान के क्षेत्र में वास्तव में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में हम अपनी इंजीनियरिंग क्षमता में भी बहुत पिछड़ें हुए हैं। इस क्षेत्र में हमें उन्नत औद्योगिकी के स्तर पर पहुंचने में काफी समय लगेगा ऐसा मेरा विचार हैं। अतः सरकार इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि हम इस प्रकार से प्रभावकारी डिजाइन संस्था का विकास करें जिससे हम अलोह धातु उद्योग का यथा सम्भव शीघ्र विकास कर सकें।

हमें विश्वास है कि यदि हमारे इंजीनियरों को उपयुक्त अवसर और प्रशिक्षण दिया जायेगा तो वे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आगामी वर्षों में हम प्रशंसनीय कार्य करेंगे जिससे हमें इस मंत्रालय पर गर्व होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministy of Steel and Mines were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
78	इस्पात और खान मंत्रालय	56,16,000
79	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,32,99,000
80	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	17,07,61,000
137	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,50,00,52,000

विदेश व्यापार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब विदेश व्यापार मंत्रालय की मांग संख्या 33, 34, 35 और 124 पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

वर्ष 1971–72 के लिये विदेश व्यापार मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
33	विदेश व्यापार मंत्रालय .	37,74,000
34	विदेश व्यापार .	73,44,94,000
35	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,19,45,000
124	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,25,87,000

***श्री एल० के० कृष्णन** (पोन्नानी) : विदेश व्यापार मंत्रालय ने अपनी 1970–71 की रिपोर्ट में यह दावा किया है कि व्यापार सन्तुलन कम हो गया है और विदेश व्यापार में अच्छी प्रगति हुई है। पर आगे चल कर स्वयं ही लौह-अयस्क, मैंगनीज़, रुई, मछली, जूट, खालों आदि में व्यापार की प्रतिकूल स्थिति बना कर अपने इस कथन का खण्डन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुये

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

हमारा अधिकतर व्यापार साझा बाजार देशों से होता है, और इस कारण हमारा निर्यात दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1963 में विश्व व्यापार में भारत का भाग 1.2 प्रतिशत था जबकि 1970 में वह घट कर 0.77 प्रतिशत हो गया है। यह हमारी पूंजीपति देशों से व्यापार करने के लिये अपनाई जा रही नीति के कारण है।

पिछले तीन वर्षों में विदेश व्यापार में कुछ प्रगति अवश्य हुई है पर हमें अपना व्यापार पूर्वी यूरोपीय देशों में बढ़ाना चाहिए, पर पूंजीपति देशों से व्यापार करने के कारण हम उनके हित के विरुद्ध तथा उनके दबाव में रह कर उन देशों से व्यापार नहीं करते हैं। अपनी इसी नीति के कारण हम इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं।

*मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Malayalam.

जूट हमारे देश के विदेश व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। पर सरकार उसके विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। जूट आयोग की सिफारिशों को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही दशा नारियल जटा उद्योग की है। उसके विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था। परन्तु अभी तक किया कुछ भी नहीं गया है। काजू उद्योग के सम्बन्ध में केरल के विधायकों का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मंत्री से मिला था और वे 10 कारखाने खोलने के लिए आवश्यक धन स्वीकृत करने को राजी हो गई थी, परन्तु वह भी अभी तक नहीं दिया गया है।

भारत से निर्यात होने वाली 95 प्रतिशत मछली का निर्यात केवल केरल से ही होता है परन्तु सरकार समुद्री उत्पाद का मुख्यालय केरल में खोलने को राजी नहीं है।

सरकार को इन उद्योगों के विकास के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

*श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970–71 में निर्यात में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा उसकी 8.3 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। इस अनुमान के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जुलाई 1970 में इस सभा में निर्यात नीति के सम्बन्ध में एक संकल्प स्वीकृत किया गया था जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार करना था। सरकार का अब यह विचार है कि इस संकल्प के स्वीकृत किए जाने से देश में ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा की जा सके जिससे निर्यात बढ़े।

यह सही है कि इससे बहुत-सी अन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु सरकार एक बात को भूल रही है कि 25 प्रतिशत में अधिक आयात तथा 75 प्रतिशत निर्यात निजी लोगों के हाथ में है। सरकार को चाहिए कि वह समस्त निर्यात को अपने हाथ में ले ले। यदि सरकार अपने वचनों के अनुसार वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है तो निर्यात के सम्बन्ध में उसे अपनी नीति शीघ्र बदल देनी चाहिए। उसे सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहिए। निर्यात और आयात का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए तथा इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अन्कटाड में पारित किए गये संकल्प के अनुरूप विकसित देश विकासशील देशों के सामान को सीमा-शुल्क न लगाए जाने का पूरा-पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। वे कर को कम करने को तो राजी हो गये हैं पर पूरी तरह समाप्त करने को नहीं। और भारत सरकार के अनुमान इसी पर आधारित थे।

आज सवेरे ही इस सभा में यह चर्चा हुई है कि ब्रिटेन द्वारा किए गये निर्णय से भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब सरकार को, यदि उसे अपना और राष्ट्र का आत्मसम्मान प्यारा है तो, बदले की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः इन वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी।

सरकार को राष्ट्रीयकरण करने के मामले में किसी दल विशेष अथवा दलों की बात को कान नहीं देना चाहिए, और उसे अपना कार्य करते आगे बढ़ते चले जाना चाहिए।

---

*मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Malayalam.

यदि निर्यात व्यापार का उतार-चढ़ाव सामाजिक न्याय है तो सरकार को इसके सम्बन्ध में अपनी नीति निश्चित रूप से बदलनी पड़ेगी। केरल राज्य के नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में इस सभा में कई बार चर्चा उठाई गई है। इस उद्योग में राज्य के कई लाख लोग लगे हैं। 1968 में इस उद्योग के सम्बन्ध में 15.5 करोड़ रुपये की एक योजना केरल के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री टी० वी० टामस ने केन्द्रीय सरकार को भेजी थी। परन्तु योजना आयोग के दल के अध्ययन के बाद केरल को 6.5 करोड़ रुपये देना तय हुआ है। सरकार ने अब तक उस दिशा में कुछ नहीं किया।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया हैं अथवा कुछ नहीं कर रही है। मेरा कहना तो केवल यह है कि सरकार को इस अनन्त चर्चा को समाप्त कर कोई निर्णय शीघ्र लेना चाहिये।

सरकार काजू और मछली उद्योग के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। केरल में मछली उद्योग का विकास करने के बहुत अवसर हैं अतः उनको अनुदान देकर उसकी सहायता की जानी चाहिए।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रु०
33	1.	श्री मनोरंजन हाजरा	पश्चिम बंगाल में बन्द हुई तथा संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों को, विशेष कर शेननगर, हुगली स्थित बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स और श्री दुर्गा काटन मिल्स को पुनः चालू करने में असफलता।	100
	2.	,,	पश्चिम बंगाल में बन्द हुई पटसन मिलों को पुनः चालू करने में असफलता।	100
	7.	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे :**	विदेश व्यापार नीति की असफलता के कारण देश को विदेशी मुद्रा की हानि।	100
	8.	,,	विदेश व्यापार को बढ़ावा देने ले लिये अपनाये जाने वाले प्रचार-साधनों, जैसे रेडियो प्रसारण, वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन, समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों की असफलता।	100
	9.	,,	विदेश व्यापार का विस्तार करने के सम्बन्ध में वाणिज्यिक शिष्टमण्डलों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की असफलता।	100
	10.	,,	पटसन, चाय, चीनी, कहवा और कपड़े का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	11.	,,	लघु तथा मध्यम उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अधिक उदार एवं सरल करने में विलम्ब।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रु०
	12.	**श्री लक्ष्मी नारायण पांडे :**	रेयन ग्रेड पल्प (रेयन की लुग्दी) का उत्पादन करने के लिये ठोस कदम उठाकर विदेशी मुद्रा की बचत करने की आवश्यकता।	100
34	14.	**श्री सी० जनार्दनन :**	निर्यात और आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	राशी घटाकर एक रुपया कर दी जाये
	15.	,,	नारियल जटा उत्पादों को निर्यात-शुल्क से छूट देने की आवश्यकता।	100
35	16.	,,	पुनररोपण करने से इंकार करने वाले बागान मालिकों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने में असफलता।	100
	17.	,,	विदेशियों के चाय और रबड़ बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	100
	18.	,,	नारियल-जटा उद्योग का विकास करने में असफलता।	100
	19.	,,	सम्बन्धित उद्योगों को समुचित सहायता देने में नारियल जटा बोर्ड, कहवा बोर्ड और रबड़ बोर्ड की असफलता।	100
	20.	,,	रबड़ का निर्यात करने की आवश्यकता ।	100
124	21.	,,	केरल के काजू के कारखानों के प्रबन्ध ग्रहण के लिये धन की व्यवस्था करने में असफलता।	100
	22.	,,	संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता।	100
	23.		हथकरघा उद्योग के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था करने की आवश्यकता	
33	24.	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना :**	देश के समूचे विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	100
	25.	,,	अखिल भारतीय तथा राज्य खादी बोर्डों के अध्यक्षों को, जिनके संरक्षण में खादी के उत्पादन के लिये मिल के धागे का प्रयोग किया जाता है और जिसे वे शुद्ध खादी प्रमाणित करते हैं, बदलने में असफलता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रु०
33	26.	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना**	मंत्रालय के कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान करने में असफलता।	100
	27.	,,	प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों के ऊंचे दामों को घटाने में असफलता।	100
	28.	**श्री एम० कतामुतु :**	सामान्यतया सभी बन्द कपड़ा मिलों को और विशेष कर तमिलनाडु की बन्द कपड़ा मिलों को फिर से चालू करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने में असफलता।	100
	29.	,,	उन कपड़ा मिलों के मालिकों के विरुद्ध जो सामान्य प्रक्रिया अपनाये बिना जबरी छुट्टी घोषित कर देते हैं, कड़ी कार्यवाही करने में असफलता।	100
	30.	,,	मिर्च का निर्यात व्यापार पुनः चालू करने में असफलता।	100
	31.	,,	श्रीलंका के साथ प्याज का व्यापार पुनः चालू करने की आवश्यकता।	100
	32.	,,	प्याज निर्यातकों को कर समंजन जैसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जैसे कि 1966 से पहले किया जाता था।	100
	33.	,,	हथकरघा उद्योग के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
34	34.	**श्री राम अवतार शास्त्री :**	काजू का निर्यात करने की आवश्यकता।	100
	35.	,,	विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	100
	36.	,,	आमों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	37.	,,	नारियल जटा से बने सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100
	38.	,,	बम्बई और अहमदाबाद स्थित जुपिटर मिल्स के कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लेने और उन्हें चालू करने की आवश्यकता।	100

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रु०
	39.	**श्री राम अवतार शास्त्री :**	बिहार काटन मिल्स लिमिटड, फुलवाड़ी शरीफ की तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिये लाइसेंस देने में असफलता।	100
	40.	,,	विदेशों में हमारे वाणिज्य दूतावासों के कार्य-संचालन में सुधार लाने की आवश्यकता।	100
	41.	,,	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने और उन्हें चालू करने की आवश्यकता।	100
	42.	,,	उत्तर वियतनाम की सरकार के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने और बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	43.	,,	मंगोलिया के साथ व्यापार सयबन्ध बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	44.	,,	समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	45.	,	क्यूबा के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता।	100
	46.	,	विदेश व्यापार मंत्रालय का असन्तोषजनक कार्य।	100
	47.	,,	विदेश व्यापार मंत्रालय के खर्च को कम करने की आवश्यकता।	100
33	50.	,,	देश में फोटो-फिल्मों की कमी।	100
	51.	,,	देश में एक्सरे फिल्मों का अभाव।	100
	52.	,,	फोटो-फिल्मों और एक्सरे फिल्मों के वितरण में धांधलेबाजी।	100
	53.	,,	चाय और कहवा व्यापार में मन्दी।	100
	54.	,,	इलायची की खेती को बढ़ाने की आवश्यकता	100
	55.	,,	इलायची की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोगों की रोकथाम करने में असफलता।	100
	56.	,,	रुई का उचित मूल्य निर्धारित करने में असफलता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रू०
	57.	**श्री राम अवतार शास्त्री :**	रूई के व्यापार में सट्टेबाजी को रोकने में असफलता।	100
	58.	,,	अमरीका से अश्लील फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	100
	59.	,,	भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100
	60.		पटसन का उचित मूल्य निर्धारित करने में असफलता।	100
	61.	,	विदेश व्यापार की धीमी प्रगति । .	100
	62.	,,	कपड़ा मिल मालिकों की श्रमिक-विरोधी नीति को बदलने में असफलता।	100
	63.	,,	अधिक मूल्य के बीजक और कम मूल्य के बीजक रोकने में असफलता।	100
	64.	,,	भारतीय रेशम का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।	100
	65.	,,	रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : विदेश व्यापार मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह देश के आयात निर्यात व्यापार का नियन्त्रण करता है, जो कि वार्षिक लगभग 5000 करोड़ रुपये का होता है। कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, चाय उद्योग तथा बहुत से बागान उद्योग भी इस मंत्रालय के नियन्त्रण में हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रालय का कार्य बहुत ही सन्तोषनजनक रहा है। इस वर्ष देश का आयात व्यापार जहां कम हुआ है वहां उसके विपरीत निर्यात व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

तीसरा प्रतिवेदन

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 30 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 30 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बंगला देश को मान्यता देने के बारे में संकल्प

Resolution Regarding Recoginition to Bangla Desh

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक औपचारिक संशोधन है। यह मेरे संशोधन पर संशोधन है कि 30 जून, 1971 के स्थान पर 15 जुलाई, 1971 कर दिया जाये। इसके साथ मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० पटेल (ढंढुका) : जब तक पाकिस्तान और मुजिबुर्रहमान और उनके अनुयायियों के बीच समझौता नहीं हो जाता तब तक पूर्व बंगाल से भारत आये शरणार्थियों के वापस लौट कर बंगला देश जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम उनको तब ही वापिस भेज सकते हैं जब हमें यह सन्तोष हो जाये कि वे वहां सुरक्षित रह सकेंगे। या तो इस प्रकार का कोई समझौता किया जाये जिसका उल्लेख किया गया है जिससे शरणार्थियों के दिमाग में कुछ विश्वास पैदा हो या हमें इस बारे में एक पक्षीय कार्यवाही करनी चाहिये।

शरणार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 63 लाख शरणार्थी पहले ही भारत पहुंच चुके हैं और उनका आना निरन्तर जारी है। आगामी दो महीनों में उनकी संख्या 80 लाख तक पहुंच जाने की सम्भावना है। इसके कारण हमारे देश के लिये समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इससे न केवल धन, भोजन अथवा उन्हें ठहराने की समस्या उत्पन्न हो गई है बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हमारे देश में पहले ही 300 लाख बेरोजगार व्यक्ति हैं। क्या हम उनकी संख्या में और वृद्धि करें? अतः यह बात स्पष्ट है कि हम यह स्थिति बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि अन्ततः इसका परिणाम युद्ध ही होगा।

यदि बंगला देश को मान्यता देने का सुझाव दिया जाता है तो यह इस दिशा में केवल पहला कदम ही हो सकता है। मान्यता देने से हमें यह कहने की सुविधा हो सकती है कि हम इस मामले में कार्यवाही करेंगे। जब तक सरकार के दिमाग में कोई निश्चित कार्यवाही करने का इरादा न हो तब तक मान्यता देने का कोई लाभ नहीं है।

बंगला देश से शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने के बाद अब यह मामला पाकिस्तान का अन्तरिक मामला नहीं रह गया है। अब यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है और भारत पर इसका असर पड़ चुका है और भारत को इस बारे में कार्यवाही करनी होगी। यह सुझाव भी दिया गया है कि हमें अपनी सीमा को सील कर देना चाहिये। हम पाकिस्तान जैसा क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं?

हमने ऐसा नहीं किया है इसलिये हमारे देश में शरणार्थियों ने प्रवेश किया है। उनको यहां आने की अनुमति देकर हमने और बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और वह यह है कि या तो उन्हें स्थायी तौर पर यहां रखा जाये अथवा उन्हें स्थिति सामान्य होने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होने पर वहां भेजा जाये। शरणार्थियों की उनके देश में सुरक्षा केवल मुजिबुर्रहमान तथा उनके अनुयायियों की सरकार की स्थापना के बाद या फिर सैनिक कार्यवाही करने पर ही की जा सकती है। बंगला देश को सर्वप्रथम मान्यता देकर यथासम्भव सैनिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं और माननीय सदस्य को इस बारे में उत्तर भी देना है। अतः इस मामले में मैं सभा की राय जानना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना।

श्री ए० के० गोपालन (राजघाट) : सभा की राय जानने से पूर्व मेरे अनुरोध की ओर ध्यान दें मेरा संकल्प बैलट में आ गया है और उसको पुरःस्थापित करने के लिये मुझे 1 मिनट की आवश्यकता है।

श्री एस० एल० सक्सैना (महाराजगंज) : मैंने एक संशोधन का नोटिस दिया है। क्या मैं उसे प्रस्तुत कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा पहले करना चाहिये था।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे नाम में आधे घंटे की चर्चा है। यदि आप चाहें तो उसे किसी और दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता।

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : It is an important matter and some more time should be given for discussion on this issue. Kindly extend the time upto 6.00 P.M.

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय को सवा पांच बजे तक बढ़ाने का पहले ही निर्णय कर लिया है।

संसद कार्य और नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : हमने प्रस्तावक और मंत्री महोदय से पूछा है कि उन्हें उत्तर देने में कितना समय लगेगा।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं पन्द्रह मिनट लूंगा।

श्री समर गुह : मैं 25 मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी आधार पर सदस्यों में समय का वितरण किया जायेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : देश का प्रत्येक नागरिक आज बंगला समस्या के बारे में ही विचार कर रहा है। इसके साथ ही साथ बंगला देश के बारे में विश्व की समस्त शक्तियों की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई है जैसी हमें आशा थी।

वहां पर वर्ष 1953 से ही समग्रवादी शासन और लोकतान्त्रिक शासन में संघर्ष होता आ रहा है। पश्चिमी देशों की सहायता से समग्रवादी शासन लोकतान्त्रिक शासन को कुचलता रहा है। वर्ष

1954 से पूर्व पाकिस्तान ने गुट निरपेक्ष की नीति का समर्थन किया। परन्तु पश्चिमी शक्तियों ने यह महसूस किया कि यदि मुक्तिवाहिनी को उनके रास्ते जाने दिया गया तो देश के उक्त भाग में पश्चिमी देशों तथा राष्ट्रों का प्रभाव कम हो जायेगा।

याहियां खां पर विश्व के बड़े देशों का प्रभाव डाला जा रहा है और अमरीका की सीनेट में भी दो सीनेटरों ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है। इस बारे में कुछ गलत नीतियां भी अपनाई गई हैं। जो इस प्रकार हैं। पहली गलत नीति यह है कि इस समस्या में निहित आर्थिक पहलू के समाधान से बंगला देश की राजनीतिक समस्या हल हो जायेगी। दूसरे, एक धारणा यह भी रही है कि हमें बंगला देश के बारे में कठोर कदम उठाने चाहिये चाहे वे मुजिबुर्रहमान को मान्य हों अथवा नहीं। यह भी धारणा रही है कि बंगला देश को मान्यता देना ही समस्या का एकमात्र हल है।

शरणार्थियों की समस्या का हल स्वयं बंगला देश की समस्या का हल नहीं है। इसी कारण से हमारे विदेश मंत्री हर बार यही कहते रहे हैं कि हमें बंगला देश की समस्या का राजनीतिक हल निकालना चाहिये। राजनीतिक हल से अभिप्राय यह है कि हल ऐसा होना चाहिये जो मुजिबुर्रहमान और उनके अनुयायियों को सर्वसम्मति से स्वीकार हो।

मान्यता का कानून से कोई सम्बन्ध नहीं है यह तो नीति सम्बन्धी मामला है। मान्यता देने से पूर्व सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि मूलभूत तथ्य जो मान्यता देने के लिये आवश्यक हैं, वह विद्यमान हैं अथवा नहीं। जब तक ऐसी स्थिति उपस्थित नहीं होगी तब तक मान्यता देना एक अमैत्रीपूर्ण ही कार्य होगा।

बंगला देश को मान्यता देने से मुजिबुर्रहमान के शासन पर वैधता की मोहर लग जायगी। दूसरे, मान्यता देने से मुक्तिवाहिनी का मनोबहल भी ऊंचा होगा। अतः मान्यता देने से पूर्व हमें यह विचार कर लेना आवश्यक है कि मान्यता देने के लिये वास्तविक स्थिति विद्यमान है अथवा नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : बंगला देश की स्थिति के बारे में विस्तार से पहले ही चर्चा की जा चुकी है। आज हमें बंगला देश को मान्यता देने के विशिष्ट मामले पर बहस करनी है। वास्तव में विश्व के देशों में इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूर्ण बहुमत से एक छोटे से देश इसराइल के उस क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया था जिसने सैनिक कार्यवाही द्वारा उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसराइल ने उक्त आदेश का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। क्या विश्व इस बारे में कोई कार्यवाही करने में समर्थ हैं? हाल ही में विश्व न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दक्षिण अफ्रीका सरकार को दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के किसी क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय के तुरन्त बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री श्री वोस्टर ने भी कहा था कि "मैं विश्व न्यायालय के निर्णय को पूर्णतः अस्वीकार करता हूं।"

संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक बार यह सिफारिश भी कर चुका है कि किसी भी देश को दक्षिण अफ्रीका को हथियार नहीं बेचने चाहिये। लेकिन ब्रिटेन सरकार अभी भी आंख मूंद कर दक्षिण अफ्रीका को हथियार भेज रही है। हमें विश्व मत को ध्यान में न रख कर राष्ट्रीय-हित को दृष्टि में रख कर

कोई कार्यवाही करनी चाहिये। जब कहते हैं कि सरकार दबाव में आकर कार्यवाही करती है तो कहा जाता है "कि इस सभी भी दबाव में आकर कार्यवाही नहीं करते हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करते हैं।" हम यह चाहते हैं कि सरकार अब भी ऐसा ही करे।

याहिया खां के पाकिस्तान रेडियो से प्रसारण को देखते हुए सरकार को बंगला देश का राजनीतिक हल निकालने, उसके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विचार जागृत करने और विश्व की अन्य सरकारों पर जोर डालने का प्रयास करना चाहिये जिससे याहिया खां को मजबूर कर समस्या का राजनीतिक हल निकाला जा सके।

याहिया खां के रेडियो प्रसारण से स्पष्ट हो गया है कि वहां अनिश्चित काल तक सैनिक प्रशासन लागू रहेगा। वहां पर सामान्य चुनाव को गैर-कानूनी घोषित किया जा रहा है। चुने गये अवामी लीग के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा रहा है और उप-चुनाव कराये जा रहे हैं। अवामी लीग पर प्रतिबन्ध लगा रहेगा। यह दुःख की बात है। श्री स्वर्ण सिंह ने अपने वक्तव्य में श्री मुजिबुर्रहमान को रिहा करने का जरा भी उल्लेख नहीं किया है। विदेश मंत्री के भारत आने से कुछ ही समय पूर्व, अमरीका ने अपना यह विचार खुले रूप में दोहराया था कि उसका पाकिस्तान को आर्थिक, सैनिक अथवा अन्य सहायता बन्द करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रतिदिन हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। शरणार्थियों का भारत में प्रवेश भी एक प्रकार का आक्रमण ही माना जाना चाहिये क्योंकि पाकिस्तानी सेना अपनी बन्दूक के बल पर ही लाखों लोगों को हमारे क्षेत्र में धकेल रही है। हम किस प्रकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। मंत्री महोदय विदेशों में जाकर कहते हैं कि यदि अन्य देश बंगला देश के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होकर कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं यह स्पष्टतया जानना चाहता हूं कि वह कार्यवाही क्या है? जब अन्य देश यह कहते हैं कि भारत ने इस मामले में बहुत सब्र से काम लिया तो हमें प्रसन्नता होती है परन्तु इसके साथ ही साथ दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम बंगला देश को मान्यता नहीं देंगे। इसका क्या अर्थ है।

याहिया खां द्वारा हाल ही में दिये गये संदेश के बाद भी बंगला देश को मान्यता न देने का अर्थ पूर्वी पाकिस्तान में याहिया खां के शासन को मान्यता देना होगा। सरकार बंगला देश को मान्यता न देने की नीति जारी रख सकती है लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हमने बंगला देश पर इस्लामाबाद की प्रभुसत्ता को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है।

बंगला देश के लोगों ने 98% सीटें चुनाव में जीती हैं। बंगला देश अपने चुने गये सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सरकार सैनिक प्रशासन को ही मान्यता दे रही है। याहिया खां के वक्तव्य के बाद अब आशा है कि अन्य देशों के बंगला देश के प्रति रुख में भी परिवर्तन होगा। सरकार अब ऐसी स्थिति में है कि वह अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। शरणार्थियों के प्रवेश को नहीं रोक सकती, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता को भी बन्द नहीं करा सकती और अपने क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में भी असमर्थ प्रतीत होती हैं। अतः मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में पुनः विचार करेगी। मैं समझता हूं कि अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। अतः माननीय मंत्री को सभा में घोषणा कर देनी चाहिये कि हम बंगला देश की सरकार को, जो जनता द्वारा निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, मान्यता देते हैं। भारत को यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिये कि पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक शासन को भारत ने मान्यता क्यों नहीं दी है और वह क्यों मान्यता नहीं देगा।

श्री निम्बालकर : (कोल्हापुर) : बंगला देश को मान्यता का प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे शीघ्रता से हल किया जा सके । केवल सरकार के पास ही ऐसी जानकारी है जिसके आधार पर वह इस मामले में उचित समय पर निर्णय ले सकती है । इस बारे में निर्णय करना सरकार का काम है ।

हमारे मंत्रियों द्वारा विदेशों को किये गये दौ ों के परिणामस्वरूप इस मामले में कुछ सफलता मिलती जा रही है ।

यदि भारत 25 मार्च को इस बारे में कार्यवाही करता, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, तो पाकिस्तान और बंगला देश के लोगों के बीच युद्ध छिड़ने के बजाय पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष छिड़ जाता । हम ऐसा नहीं चाहते हैं । ऐसा करने पर पाकिस्तान को भी सुरक्षा परिषद में भारत को आक्रमणकारी घोषित करने में सफलता मिल जाती और यह बात भारत के हित में नहीं होती । श्री कृष्ण मेनन द्वारा बंगला देश को तुरन्त मान्यता देने की बात समझ में नहीं आती । वह जल्दबाज़ी में काम करते हैं । उन्होंने चीन के बारे में जल्दी की थी और उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह तो पंडित नेहरू की गलती थी ।

श्री निम्बालकर : माननीय सदस्य का कहना है कि पंडित नेहरू ने गलत कार्य किया था । यदि ऐसा है तो उन्हें पंडित नेहरू को ठीक कार्य के लिए परामर्श देना चाहिए था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सब पण्डित नेहरू के ही कारण हुआ था ।

श्री समरगुह (कन्टाई) : हम राष्ट्रीय महत्व के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं । यदि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने विरोधी दलों के सदस्यों के विचारों पर आक्षेप करना आरम्भ कर दिया तो यह सरकार एवं देश के लिए बुरा ही बुरा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए ।

श्री निम्बालकर : हमारे मंत्रियों ने जो विदेशों का दौरा किया है उसके परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं । कनाडा ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है । सोफिया से भी अच्छे समाचार प्राप्त हुए हैं । माननीय मंत्री को चीन से भी बातचीत आरम्भ करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए ।

[श्री क० एन० तिवारी पीठासीन हुये]
Mr. K. N. Tiwary in the Chair

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जबकि प्रभुसत्ता प्राप्त संसद को दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है और समूचे राष्ट्र की भावना को प्रकट करना होता है । हमने चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमणों के समय ऐसा ही किया था । अब बंगला देश की समस्या को भी एक ऐसी ही समस्या माना जाना चाहिए और हमें दलगत नीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए । मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को महसूस करें कि एशिया में शक्ति संतुलन को बनाए रखने की नीति बड़ी शक्तियों की नीति है । इस नीति के कारण अमरीका यह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध न हो परन्तु तनाव का वातावरण बना रहे । यही कारण है कि अमरीका नहीं चाहता कि बंगला देश का स्वतन्त्र राज्य बने । बंगला देश के बनते ही इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा क्योंकि तब बंगला देश भारत का साथ देगा ।

यह केवल अमरीका की ही नीति नहीं है। रूस ने भी काश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच न पड़ने की नीति अपनाई थी और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता भी दी थी। 1969 में रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की भी सप्लाई की थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हम विश्व शक्तियों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे बंगला देश को मान्यता दिए जाने के बारे में कोई सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका के सम्बन्ध तो आरम्भ से ही स्पष्ट हैं। बांडुंग सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बताया था कि हम 'सीएटो' तथा 'नेटो' के सदस्य इस कारण बने हैं कि हम भारत के विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ा सकें। परन्तु ऐसा चीन के विरुद्ध नहीं किया गया है। इस बात की पुष्टि श्री सुहरावर्दी ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में की थी। दुर्भाग्य से यह सच है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को बंगला देश के पक्ष में नहीं बना पाये। परन्तु इस बारे में श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रशंसनीय कार्य किया है। हमें ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि जब तक विश्व की कोई शक्ति बंगला देश को मान्यता नहीं देती हम इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मैं सरकार की स्थिति को समझता हूं। ऐसा लगता है कि सरकार के मन में डर छाया हुआ है। उन्हें डर है कि यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया तो चीन बीच में न कूद पड़े, परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इसी चीन ने 1965 में हमें अल्टीमेटम दिया था। इस चेतावनी के बावजूद भी हम पाकिस्तान से युद्ध जीत गये थे। हमारे जवानों ने जो कुछ जीता था हमारे नेताओं ने बातचीत में उस सब को खो दिया था।

अब जब याहिया खां पूर्वी बंगाल में कठ-पुतली सरकार थोपने की धमकी दे रहा है हमें बंगला देश को अवश्य मान्यता देनी चाहिए। यह ठीक है कि इसमें कुछ जोखिम है परन्तु हमें यह जोखिम उठानी चाहिए। इससे एशिया में शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में हो जायेगा और विश्व की शक्तियां अपनी नीति नहीं चला सकेंगी। मुझे आशा है कि अन्ततः बंगला देश को मान्यता दे दी जायेगी। मुझे यह भी आशा है कि सभा के नेता संकल्प को वापस लेने की अपील न करके बंगला देश को मान्यता देने की बात कहेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : भारत की परम्परा को देखते हुए बंगला देश को मान्यता देने की जनता द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मांग किये जाने का अपना ही आधार है।

यह तर्क दिया गया है कि किसी राज्य को मान्यता देने के लिए कुछ मूल आधार हैं। सभा के इस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ पूर्व-स्थिति के आधार पर ही किसी राष्ट्र को मान्यता दी जा सकती है। बंगला देश का एक प्रभुसत्ता प्राप्त स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उभरना एक हक है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास के भी सिद्धांतों में निश्चय ही परिवर्तन आया है। इससे पाकिस्तान की दो राष्ट्र नीति को गम्भीर धक्का लगा है। बंगला देश में सरकार है और बंगला देश के 90 प्रतिशत लोग इसका आदेश मानते हैं। यह भी सर्वविदित है कि बंगला देश स्वतंत्र आन्दोलन के नियंत्रण में पूर्वी बंगाल के कुछ भाग हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मान्यता देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मान्यता दी जानी चाहिए अथवा नहीं, यदि बंगला देश को मान्यता दे दी जाये तो भारत और बंगला देश के बीच ऐसे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे जिससे विश्व शक्ति राजनीति में एक दिन निश्चय ही संतुलन आ जायेगा। इन सभी बातों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ऐसे तर्क क्यों दिये जा रहे हैं।

एक अन्य माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मान्यता देने अथवा न देने का निर्णय करना सरकार का काम है। लोकतंत्र में जनता तथा संसद सदस्यों के विचारों को ध्यान में रख कर

[श्री बी० के० दास चौधरी]

ही सरकार को कोई निर्णय करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधियों को भी कुछ घटनाओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। वे कभी स्थिर नहीं होतीं। अतः इन सभी बातों को देखते हुए बंगला देश को तुरन्त मान्यता देने में कोई अड़चन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।

1903 में अमरीका ने पानामा को उस समय मान्यता दे दी थी जबकि पानामा की मुक्ति सेनाओं के नियंत्रण में एक इंच भूमि भी नहीं थी। प्रथम युद्ध के बाद भी अनेक देशों को ऐसी ही परिस्थितियों में मान्यता दी गई थी। इस बात को देखते हुए कि पश्चिम पाकिस्तान बंगला देश को आगामी अनेक वर्षों के लिए कालोनी के रूप में रखना चाहता है, हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम बंगला देश को तुरन्त मान्यता दें। तुरन्त मान्यता देने से उनको न केवल राहत ही मिलेगी बल्कि मुक्ति वाहिनी को प्रोत्साहन भी मिलेगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि बंगला देश को मान्यता देने का यह एक उचित समय है। यदि सरकार इस समय कोई बड़ी कार्यवाही नहीं करना चाहती, जोकि उसे भविष्य में करनी पड़ेगी, तो भी सरकार को बंगला देश को मान्यता देकर एक कदम आगे रखना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बी० के० दासचौधरी :

सभापति महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा। श्री कृष्ण मेनन।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेद्रम) : बंगला देश का प्रश्न किसी दल से सम्बन्धित नहीं है। बंगला देश में मुक्तिवाहिनी तथा पाकिस्तान सेना में संघर्ष आरम्भ हुए 80 अथवा 90 दिन गुजर चुके हैं और यदि सरकार अभी भी यह समझती है कि मान्यता देने का समय नहीं आया है तो यह उसकी गलती है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति के आकाशवाणी पर अन्तिम भाषण को देखते हुए बंगला देश को मान्यता देना और भी आवश्यक हो गया है। मान्यता देने का अर्थ वहां पर राजदूत भेजने से ही नहीं है। यह तो एक राष्ट्र को जिसका अभी हाल में ही अभ्युदय हुआ है, मान्यता देने का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बंगला देश में चोरी-छिपे हथियार भेजे जायें अथवा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर दिया जाय। परन्तु बंगला देश के शरणार्थियों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वो पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला दृढ़ता से कर सकें। हमें इस मामले में किसी अन्य देश के कहने पर नहीं चलना है। हमें इस मामले में और अधिक समय भी नष्ट नहीं करना चाहिए। साम्राज्यवादी शक्तियां बंगला देश को दूसरे वियतनाम में बदलना चाहती हैं और हमारी सरकार इसके लिए आधार तैयार कर रही है। इसीलिए अमरीकी सरकार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रही है। हमारी सरकार की विदेश नीति ऐसी अच्छी नहीं रही है जिसका वर्णन यहां पर किया जाय। हम न तो बंगला देश को मान्यता दे रहे हैं और न ही इससे पीछे हट हेर हैं, हमारी इस स्थिति से आक्रामक को लाभ हो रहा है। सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि बंगला देश को मान्यता देने का अभी समय नहीं आया है। मैं नहीं समझता कि जब अभी समय नहीं आया है तो यह समय कब आयेगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

पाकिस्तान की कुल जनसंख्या के 1/10वें भाग को पाकिस्तान से बाहर धकेल दिया गया है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारे पर आक्रमण है। बंगला देश की आन्तरिक स्थिति को देखते हुए हम उन लोगों को न तो वापस भेज सकते हैं और न ही उनको जेल में डाल सकते हैं। हमें उन लोगों को इस योग्य बनाना चाहिए जिससे वे अपना राजनैतिक रुतबा प्राप्त कर सकें तथा आक्रमण का सामना कर सकें। हम निरन्तर यह सुनते आ रहे हैं कि उनकी वापसी के लिए अभी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिएं। प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितियां कौन उत्पन्न करेगा। क्या पाकिस्तान सरकार अथवा विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियां ऐसा करेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहयोग नहीं लेना चाहिए। परन्तु हमें शरणार्थियों को राजनैतिक रूप से तथा शक्ति से इतना मजबूत बना देना चाहिए : जिससे वे अपने घरों को वापस लौट सकें। इस प्रकार हम मुक्ति फौज को विजय प्राप्त करने में भी कुछ सहायता कर सकेंगे। पिछले तीन अथवा चार दिन से नई परिस्थितियां उत्पन्न, हो गई हैं। विदेशों में अनेक यात्रियों ने पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के शिविरों का दौरा किया है। प्रधान मंत्री ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं भी यह कहा है कि पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में अब नहीं जा सकता। तब फिर मैं जानना चाहता हूं कि मान्यता देने में अब बाधा क्या है। हमारे समाचार पत्रों की तुलना में अमरीकी, फ्रेंच तथा ब्रिटिश समाचार पत्रों में अधिक तथ्य प्रकाशित हुए हैं। इस मामले पर सभी सदस्यों को अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ के अनुसार मत देना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो सरकार के गिरने का कोई भय नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि हमें प्रस्ताव पर माननीय सदस्य निर्बाध रूप से अपने-अपने मत का प्रयोग करें।

श्री प्रियरंजनदास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : भारत सरकार पाकिस्तान की सैनिक जनता की पहले ही निन्दा कर चुकी है। इस मामले में हम पहले ही पर्याप्त उत्साह दिखा चुके हैं हमने विश्व को पहले की बता दिया है कि हम सैनिक अथवा अणुशक्ति पर नहीं बल्कि मानवीय आधारों की शक्ति पर अधिक निर्भर कर रहे हैं। यदि हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के लिए अमरीकी की निक्सन सरकार की निन्दा कर सकते हैं तो निश्चय ही हममें बंगला देश को मान्यता देने तथा शेख मुजीबुर्रहमान को उसका नेता स्वीकार करने का भी साहस होना चाहिए अनेक सदस्यों ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कसौटी को पूरा करने का अनुरोध किया है। मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता क्या है। बंगला देश के लोगों के 98 प्रतिशत प्रतिनिधि चुनाव में चुनकर आयें थे उनको याहिया खां का समर्थन प्राप्त नहीं था। अतः मैं नहीं समझता कि बंगाला देश को तुरन्त मान्यता देने में क्या हानि है।

भारत सरकार ने अनेक बार इस बात को स्वीकार किया है कि शरणार्थियों की समस्या अब भारत का आन्तरिक मामला बन गई है। भारत सरकार ने यह भी अनेक बार कहा है कि वह इन शरणार्थियों का बोझ लम्बी अवधि के लिए नहीं उठा सकती। प्रतिदिन हजारों शरणार्थी अभी भी भारत में आ रहे हैं। अवामी लीग के चुने गये प्रतिनिधि अभी भी शिविरों में रह रहे हैं।

यदि भारत में मानवीय आधारों को शक्ति पर खड़ा होने का साहस है तो अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो अथवा न हो हमें बंगला देश को तुरन्त मान्यता प्रदान करनी चाहिए। केवल सहानुभूति दर्शाने का कोई लाभ नहीं है। बड़ी शक्तियों से हमें क्या मिला है? बंगला देश की समस्या की गंभीरता तथा वास्तविकता को महसूस किये बिना अमरीकी सरकार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रही है। इसी प्रकार क्या ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या की

वास्तविकता के बारे में कोई वक्तव्य दिया है ? क्या रूस ने राजनैतिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से कोई कार्यवाही की है ? अमरीका और चीन इस समस्या को भारत की समस्या बनाना चाहते हैं । हमें बंगला देश को मान्यता देनी चाहिए अथवा स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी रूस अथवा अमरीका पर निर्भर करते हैं ।

मैं संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें बंगला देश को मान्यता दे देनी चाहिए ।

Shri I. B. Dhote (Nagpur) : Sir, the problem of Bangla Desh has become the problem of India. We should accord recognition to Bangla Desh on humanitarian grounds immediately The whole nation is united on this question.

Our foreign policy has failed and as a result thereof we have no friend in the whole world today. Even Nepal, our neighbour is not with us today. Even some internal forces are not with us. It would have been a matter of great shame for us had China recognised Bangla Desh and we would have not. Now the situation has arisen when we should try to hold negotiations with China so that we may make him agree to our view point. The time has come when we should not hesitate in recognsing Bangla Desh.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : It is wrong to think that we have no friends. All the progressive forces, which are fighting to achieve socialism are with us. Recognition cannot be given within so short a time. All the powers of the world which are fighting against imperialism are with us as well as with the young men of Bangla Desh who are fighting there. The people of Bangla Desh have taken a vow to get their country free. A great responsibility has been thrusted upon us. We should determine to extend full cooperation to Bangla Desh.

I must add one thing more. Had we not extended help to Bangla Desh they would not have been able to fight even for a few days. The 50 crores people of this country have raised their voice to recognise Bangla Desh. Now I request the Government to give recognition to Bangla Desh immediately without delay.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): The Bangla Desh issue has become a question of life and death for our country. If our Government does not give recognition to Bangla Desh, it would be committing the greatest blunder after independence. Today genocide is being communitted in Bangla Desh and about 7-8 million people have crossed over to India in their plight. Their exodus will swamp our economy and create law and order problem for us.

The Government have taken no step for the release of Sheikh Mujibur Rahman uptil now.

Britain and U.S.A. are following dual-policy. On the one hand they are supporting us and on the other they are helping Pakistan directly or indirectly.

It is high time that the Government should come forward to accord recognition to Bangla Desh.

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, हम 80 लाख शरणार्थियों को अपने यहां किस प्रकार रख सकते हैं। इस स्थिति की हमने उस समय आशा नहीं की थी जब सदन में पूर्वी बंगाल के समर्थन में संकल्प पारित किया गया था।

नर संहार शुरू होने के 6 दिन पश्चात् हमारी संसद में बंगला देश के 75 लाख लोगों की ऐतिहासिक भावना के समर्थन में सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था परन्तु अभी हमें उसे मान्यता देनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस उप-महाद्वीप के इतिहास को बदल दिया जायेगा। हम लाखों लोगों के जीवन और घरों को बचा सकते थे। जो अपेक्षित था वह हमने नहीं किया और इसी लिए हमारी प्रवृत्ति का सही वर्णन "निकृष्ट अकर्मण्यता" है।

आखिर हमने भारी संख्या में आते हुए शरणार्थियों के भार को महसूस किया। जब हमें यह महसूस हुआ कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था पर पर्याप्त बोझ डाले बिना काम नहीं चला सकते तो हम विश्व की राजधानियों में एक के बाद एक दूसरे राजदूत भेज रहे हैं। एक समय था जब समूचा विश्व नेतृत्व के लिए नई दिल्ली की ओर आशा किये बैठा था। हमने वह पहल नहीं की और विश्व को बड़ी निराशा हुई। हमें ऐसी कारगर विदेश नीति अपनाने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय हित के लिए सहायक हो।

आज जनसाधारण का यह प्रश्न है कि "यदि बंगला देश नहीं बनता है और बंगला देश का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, तो भारत का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका निर्माण करे।" इसरायल सिनाई के रेगिस्तान तक बढ़ा, चीन आज भी हमारी हजारों वर्गमील भूमि दबाये बैठा है। बड़े राष्ट्र इस बात को तभी समझेंगे जब हम उन्हें उस भाषा में ही बतायेंगे जिसे वह समझते हैं। जब ताजुद्दीन साहिब ने बंगला देश को स्वतंत्र घोषित किया था तब उन्होंने कहा था कि मान्यता और सहायता देने में विलम्ब के कारण हजारों प्राण जाते हैं। इससे न केवल बंगला देश के अपितु भारत के हितों पर भी प्रभाव पड़ेगा। समाचार-पत्रों में मुजीबुर्रहमान के जीवन के बारे में तरह-तरह के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। सरकार को उनके जीवन की रक्षा करने के लिए जो कुछ वह कर सके, करना चाहिए। मान्यता देने से ही समस्या हल नहीं हो जायेगी। मान्यता देने के बाद भी की जाने वाली कार्यवाही भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad): About 10 per cent of the population of Bangla Desh have come to our country and nobody can say uptil now that how many more people will come. No nation will come to extend help. This problem is so great that crores of rupees will have to be spent and our expenditure will go high.

We need not hope any help from other countries in this regard. We have to take our own decision and act accordingly. We have not to decide only that whether we should give recognition to Bangla Desh or not but we have to see this also that the other country does not impose its reign on Bangla Desh. For this we shall have to create healthy atmosphere. We should not only help the people of Bangla Desh by imparting training but if needed we must not hesitate to send our own forces for their rescuse.

The Government should adopt stringent measures regarding great influx on our borders.

प्रो० एस० एल० सक्सैना (महाराजगंज) : यदि हमने बंगला देश को मान्यता दे दी होती और अपने सैनिकों को दया के मिशन पर भेजा होता तो इस दुखान्त घटना से बचा जा सकता था जो आज हमारे सामने है । उस हालत में आज बंगला देश में सर्व प्रथम प्रभुत्व सम्पन्न बंगला देश की स्वतंत्र सरकार होती और कोई समस्या सामने नहीं होतीं । उस समय पाकिस्तानी सैनिक थोड़े थे और उन्हें परास्त किया जा सकता था।

सरकार को चाहिए कि वहां नरसंहार को रोकने के लिए अपने सैनिकों को वहां दया के मिशन पर भेजें। हमें उन नवयुवकों को जो शरणार्थियों में हैं, सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए वहां भेजना चाहिए । यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी विजय होगी और प्रत्येक राष्ट्र हमारा समर्थन करेगा क्योंकि कायर राष्ट्र का कोई भी कभी भी समर्थन नहीं करता है। प्रधान मंत्री को साहस के साथ बंगला देश को मान्यता देने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा करनी चाहिए।

श्री एम० सत्यानारायण राव (करीमनगर) : मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह सरकार अपना कर्तव्य निभाने में बुरी तरह असफल रही है । किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई क्षेत्र अथवा जनसंख्या नहीं है इसलिए हम बंगला देश को मान्यता नहीं दे सकते ।.यदि ऐसी बात है तो बंगला. देश का नाम ही क्यों कहा जाता है। उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाना चाहिए । हमारे विदेश मंत्री को बंगला देश को मान्यता देने के बारे में साहसिक कदम उठाना चाहिए अन्यथा हमारे लिये कई समस्यायें खड़ी हो जायेंगी ।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस प्रकार के मामले में मैं वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि हमारे लिए इस समय बंगला देश को मान्यता देना सम्भव क्यों नहीं है, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में संयम से काम लें अन्यथा यह हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। माननीय सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करें कि एक प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने से हमारा वह उद्देश्य, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, विफल हो जायेगा। यदि आप मुझे कहते रहें कि ऐसा करो या वैसा करो तो इससे कोई लाभ नहीं होगा अपितु व्यर्थ में ही हमारी शक्ति नष्ट होगी।

हमने सर्व सम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें यह कहा गया है कि बंगला देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। हमने सर्वसम्मति से उनका समर्थन करने की प्रतिज्ञा की है । इस बात पर हममें मतभेद हो सकते हैं कि हम उस प्रस्ताव का अनुसरण कैसे करेंगे, इस बात पर जोर देना कि एक विशेष अवसर पर विशेष कदम उठाया जाये, गलत है और इससे कोई लाभ नहीं होगा।

राष्ट्रपति याहिया खां ने जो वक्तव्य दिए हैं, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं । उसके अतिरिक्त मैं इतना और कहना चाहूंगा कि याहिया खां के वक्तव्य से बंगला देश की जनता को अपना संघर्ष और तेजी से करने का बढ़ावा मिलेगा । उनके वक्तव्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि वे वहां पर लोकतंत्री व्यवस्था को पुनः स्थापित नहीं करना चाहते हैं। संविधान बनाने का कार्य अन्य विशेषज्ञों को दिया जा रहा है । इस वक्तव्य में और भी कई आपत्तिजनक बातें हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां सैनिक प्रशासन अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इस वक्तव्य ने शेख मुजीबुर्रहमान की शानदार विजय को असफल बना दिया है।

संविधान सभा का चुनाव कराने का संपूर्ण उद्देश्य यह था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को संविधान बनाने का अधिकार होगा। यह आश्चर्यजनक बात है कि सैनिक प्रशासन ने यह घोषणा करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि अमुक दल या व्यक्ति को मान्यता दी जाये या नहीं, यह एक क्रूर मजाक है कि राष्ट्रपति याहिया खान लोकतंत्री पद्धति को वापिस लाने की बात कह रहे हैं जबकि साथ में उनका यह भी कहना है कि प्रशासन को यह निर्णय लेने का अधिकार रहेगा कि किसको सदस्य घोषित किया जाये और किसको न किया जाये।

उस वक्तव्य में एक अत्यधिक असंतोषजनक बात यह भी है कि क्षेत्रीय दलों को संविधान बनाने अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जायेगा जब तक कि उनकी समूचे देश में शाखाएं न हों।

मेरे विचार में ऐसा करना लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को जड़ से काटना होगा। इस वक्तव्य में खुद बातें आक्षेपपूर्ण हैं क्योंकि शेख मुजीबुर्रमान द्वारा लोकतंत्री अधिकारों को पुनः लाने की तो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी वह भी अब समाप्त हो गई हैं।

इस संबंध में उत्पन्न जटिलताओं की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यह संघर्ष लम्बा चलेगा ऐसा मैं समझता हूं क्योंकि उसे बंगला देश की जनता ने चलाना है। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में हमने उन्हें हर संभव सहायता तथा समर्थन देने का निश्चय किया हुआ है। यह ठीक ही है।

मान्यता देने की मांग के बारे में मेरा यह कहना है कि हमने इस ओर नकारात्मक दृष्टि-कोण कभी भी नहीं अपनाया है। हमने हमेशा यह कहा है कि हम मान्यता देंगे, जब भी हम इसके लिए उचित समय देखेंगे, बंगला देश को मान्यता अवश्य दी जायेगी। इस बीच नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और हमें राष्ट्रपति याहिया खां द्वारा दिये गये निराशाजनक वक्तव्य के संदर्भ में इसका पुनरीक्षण करना पड़ेगा। यह उचित नहीं होगा कि हमें जल्दी में निर्णय लेने को कहा जाये। माननीय सदस्यों को यह समझ लेना चाहिए कि यह ऐसी बात है जिसमें हम नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। हमारे द्वारा पारित प्रस्ताव में बताया गया है कि हम इस संघर्ष में बंगला देश की जनता का हर प्रकार से समर्थन करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): इसका तात्पर्य यह है कि आप बंगला देश में याहिया खां के अधिकार को मान्यता दे रहे हैं तथा वहां जो कुछ हो रहा है, उसको मान्यता दे रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह: मुझे स्पष्ट वक्तव्य देने की न कहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): इस देश की जनता को पता लगना चाहिए कि आप क्या हैं, आप श्री भुट्टो के मित्र हैं, आप याहिया खां के मित्र हैं.....*

सभापति महोदय: जो कुछ श्री बनर्जी ने कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप पुराने संसदविज्ञ हैं आपको इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह: सरकार का इस संबंध में यह दृष्टिकोण है कि बंगला देश को मान्यता देने के लिए अभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और ठीक समय पर अवश्य निर्णय ले लिया जायेगा। अतएव मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सभा में मतभेद पैदा न करें अन्यथा हम वास्तविक समस्या से भटक जायेंगे।

*कार्यवाही--वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो कुछ उन्होंने यहां कहा है उसका संबंध राष्ट्रपति निक्सन के विशेष दूत श्री कीसिंगर के यहां होने वाले आगमन से प्रभावित नहीं है । हमें उनके आगमन से प्रभावित नहीं होना चाहिए ।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : क्या मान्यता देने का प्रश्न केवल नारा है अथवा इसमें कुछ वास्तविकता भी है ?

श्री सेथिमान (कुम्बकोणम) : ऐसा कहा गया है कि श्री मुजीबुर्रहमान गंभीर रूप से बीमार हैं । कल यह भी कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, सरकार का इस संबंध में क्या करने का विचार है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा यह कहना है कि हम इस नीति पर चल रहे हैं और हमने इस सभा को सभी तथ्यों से अवगत कराया हुआ है । यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति के विशेष दूत के आगमन से हमारी नीति प्रभावित होगी । उनके आगमन का इससे कोई संबंध नहीं है, श्री कृष्ण मेनन ने तो जो कुछ कहा है, उस संबंध में मैंने सरकार का दृष्टिकोण बता दिया है कि हम मान्यता देने के विरोधी नहीं है, इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है, मान्यता देने का प्रश्न कोई नारा नहीं है । सभा को इस बात पर मतभेद पैदा नहीं करने चाहिए । अन्तर केवल इतना है कि मान्यता देने के लिए परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं हुई है ।

शेख मुजीबुर्रहमान के स्वास्थ्य के बारे में हम भी चिंतित हैं, हमने विभिन्न देशों की सरकारों को इस प्रश्न को पाकिस्तान के पास ले जाने को कहा है, शेख मुजीबुर्रहमान एक प्रमुख नेता हैं जिन्हें चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त हुआ है और जिन्हें पाकिस्तान की जनता का आदर तथा विश्वास प्राप्त है । उनके जीवन की रक्षा के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रयास करना चाहिए हमने सभी देशों की सरकारों से कहा है कि वे पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन से कहें कि शेख मुजीबुर्रहमान के प्राणों की रक्षा का दायित्व उन पर है । हमने उन्हें सुझाव दिया है कि शेख मुजीबुर्रहमान को छुड़ाने के लिए हर संभव उपाय किये जायें। वास्तव में हमने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि शेख मुजीबुर्रहमान की सरकार के आने से ऐसे वातावरण बनने में सहायता मिलेगी जिसमें शरणार्थी वापिस जा सकें ।

शेख मुजीबुर्रहमान की सुरक्षा, उनकी रिहाई आदि जिससे लोकतंत्री ढांचा खड़ा रह सके—ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम कहते आ रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा है उसके आधार पर मेरा माननीय प्रस्तावक से अनुरोध है कि वे इस प्रकार मतदान के लिए कहकर सभा में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर मतभेद न पैदा कराएं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्होंने बंगला देश को तत्काल मान्यता देने के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया हुआ है परन्तु वे कृपा करके यह बताएं कि उन्होंने क्या ठोस दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि सरकार बंगला देश तथा उसके हितों के बारे में अधिक जानकारी रखने लगी है जब वह कहती है कि इस समय बंगला देश की सरकार को मान्यता देना उचित नहीं होगा अथवा सहायक न होगा । जब बंगला देश की जनता, उनके नेता, उनकी अस्थायी सरकार बंगला देश को मान्यता देने के लिए कह रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि सरकार के विचार में मान्यता देने का अवसर अभी कैसे नहीं है ।

विदेश मंत्री महोदय का यह कहना है कि हमारे बंगला देश को मान्यता देने की स्थिति में कोई अन्य देश ऐसा नहीं करेगा । वे ऐसा कहकर सभा को गुमराह कर रहे हैं । श्री जयप्रकाश नारायण,

जिन्होंने 20 देशों के नेताओं से विचार-विमर्श किया है, का यह कहना है कि यदि भारत इस दिशा में पहल करता है तो अन्य देश भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं नहीं जानता कि सरकार इससे अधिक और क्या चाहती है। आज विश्व जनमत जितना इसके पक्ष में है उतना पहले कभी नहीं था।

भारतीय साम्यवादी दल सरकार से बंगला देश को शीघ्र मान्यता देने के लिए कह रहा है, इससे यह प्रकट होता है कि रूस बंगला देश को मान्यता देने के विरुद्ध नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे मास्को मिशन ने दिल्ली को बताया है कि रूस के विचार में बंगला देश बन कर रहेगा। यदि ऐसी बात है तो भारत द्वारा बंगला देश को मान्यता देने की स्थिति में रूस विरोध नहीं करेगा और वह भी मान्यता प्रदान करेगा।

बंगला देश के संबंध में कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण बहुत समय नष्ट हो गया है और इसी बीच पाकिस्तान को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का पर्याप्त अवसर मिल गया है और उसने वहां अपनी सेनाएं भेजकर देशभक्तों का कत्लेआम किया है। चीन और रूस भी भारत की प्रतिक्रिया देख रहे थे। इसी प्रकार अमरीका, इंगलैंड, फ्रांस और अन्य देश भी भारत की प्रतिक्रिया देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भारत कुछ नहीं कर रहा है तो उन्होंने पाकिस्तान को अनावश्यक रूप से परेशान करना ठीक नहीं समझा।

आज का समय पाकिस्तान के साथ है और हमारे विरुद्ध। हमने कई अनुमान लगाए थे जो समय के साथ गलत सिद्ध हुए हैं। हमारा पहला अनुमान था कि पाकिस्तान पश्चिम क्षेत्र की सेनाओं को पूर्वी क्षेत्र में नहीं भेजेगा जिससे बंगला देश की क्रांति को सफल होने में सहायता मिलेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हमारा दूसरा अनुमान यह था कि भारत में 20 लाख से अधिक शरणार्थी नहीं आएंगे परन्तु यह अनुमान भी पूर्णतया गलत निकला है। सरकार का तीसरा अनुमान है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसे वह झेल नहीं पाएगा। परन्तु आजकल कोई भी देश इस प्रकार के आर्थिक संकट से नहीं ढहता है। इस बीच पाकिस्तान अन्य देशों में जाकर और अधिक सहायता मांग सकता है।

यदि आप पास्कितान को और अधिक समय देंगे तो वह इस बीच चीनी सैनिक साज-सामान से सुसज्जित सेना की दो डिविजनें खड़ी कर सकता है। उसे फ्रांस से लड़ाकू विमानों के दो स्क्वाड्रन मिल रहे हैं। पाकिस्तान को चौथी पनडुब्बी प्राप्त हो रही है। उसे नाटो, अमरीका आदि देशों से शस्त्रास्त्र खरीदने का अवसर मिल रहा है। वह वायु सेना और नौसेना में बंगाली कर्मचारियों को हटा रहा है। पाकिस्तान इस समय का उपयोग सशस्त्र सेना, अर्द्ध सैनिक संगठन, पुलिस, गुरिल्ला विरोधी सेना बनाने में कर रहा है। पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में रेल और स्थल मार्गों को पुनः चालू करने का प्रयास भी कर रहा है। पाकिस्तान को चीन से गन-बोट और कोयला मंगाने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है, वह मुस्लिम लीग, जमायतें-इस्लामी, देशद्रोहियों का उपयोग बंगला देश में उनके कदम का समर्थन करने के लिए कर रहा है बंगला देश में अकाल और भुखमरी के कारण पाकिस्तान को वहां के निवासियों को निकालने में अच्छा अवसर मिल रहा है, अन्त में पाकिस्तान इस समय का उपयोग मध्यवर्ग देशों से धन प्राप्त करने में कर रहा है।

इसलिए मेरा यह कहना है कि समय पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, बंगला देश में इस क्रांति को हुए चार महीने बीत गए हैं। भाई यदि उनको मान्यता दी जाती है तो वे और भी अधिक उत्साह से अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं।

10LSS/71—11

मैं पाकिस्तान से युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं : भारतीय सेना को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बंगला देश में लड़ रही मुक्ति वाहिनी तथा गुरिल्ला सैनिक अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त कर लेंगे। यदि आप उन्हें शस्त्रास्त्र देते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत बनेगी और वे अन्य देशों में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान से युद्ध न करने का एक ही विकल्प है और वह है बंगला देश को मान्यता देना।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : इस विषय पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है, विदेश मंत्री ने कहा है कि इस स्थिति पर अध्ययन किया जाता रहेगा। अतएव प्रक्रिया नियम के नियम 340 के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाये।

श्री समर गुह : चूंकि यह वाद-विवाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है अतएव यह संकल्प जारी रहेगा। मैं इस विषय पर सभा में मतभेद होने देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न है "कि वाद-विवाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दक्षिण वियतनाम आदि की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में संकल्प

RESOLUTION REGARDING RECOGNITION TO PROVISIONAL REVOLUTIONARY GOVERNMENT' SOUTH VIETNAM, ETC.

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि सरकार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करे और तीन हिन्द-चीन देशों में अमरीकी आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करे, दक्षिण वियतनाम की अंतिम क्रांतिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करे तथा वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य, कोरियाई जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करे।"

हमारे देश को साम्राज्यवादी शासन का कटु अनुभव है। अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में हमें असंख्य बलिदान करने पड़े हैं। हमारे स्वाधीनता संघर्ष को विभिन्न देशों के श्रमिक वर्ग से सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। हमने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विभिन्न देशों को समर्थन दिया है। यही कारण था कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को समूचे संसार से व्यापक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ है।

लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्थिति बदलने लगी। प्रारम्भ में हम सहायता के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों की ओर देखने लगे और इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों की बहने वाली धारा से हम पृथक हो गये। संयुक्त राष्ट्रसंघ में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उपस्थित होने पर हमने साम्राज्यवादी शक्तियों का पक्ष लिया। बाद में हमने यह अनुभव प्राप्त किया कि हम चाहे कुछ भी सोचते हों, परन्तु साम्राज्यवादी शक्तियों की न तो हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में ही रुचि है और न स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने में। जब हमने नवोदित स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों का समर्थन करना शुरू किया और स्वेज संकट के समय हमने स्पष्ट शब्दों में मिस्र में सैनिक हस्तक्षेप के लिए ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों के प्रयासों की भर्त्सना की। इस अवधि के दौरान हमारे देश का सम्मान न केवल नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों में अपितु संसार के सभी राष्ट्रों में बढ़ा; परन्तु अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए साम्राज्यवादी सहायता पर आश्रित होने के कारण, हमें साम्राज्यवाद की ओर नरम रवैया अपनाने के लए भी बाध्य होना पड़ा है। अतः आज जब कभी राष्ट्रों के मुक्ति आन्दोलनों के महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं, तो हम अपने आपको अलग थलग पाते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु विश्व के अनेक देश अब भी गुलामी में कराह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बावे और नाम्बिया की जनता को आज तक आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिल सका है। राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों की अवहेलना करता हुआ पुर्तगाल आज भी अंगोला, मोजाम्बिक, गिनीबिस्साओ और केपवर्डे द्वीपसमूहों की जनता पर भीषण अत्याचार कर रहा है। कई अरब राष्ट्रों का विकास अवरुद्ध करने के लिए इसरायल और उसके साम्राज्यवादी मित्रों ने युद्ध छेड़ रखा है। लैटिन अमरीका की जनता अब अपने आपको अमरीकी दबाव से मुक्त करने का प्रयास कर रही है।

अमरीकी साम्राज्यवाद का रवैया हम बंगला देश के मामले में देख चुके हैं। 'इण्डियन एक्सप्रैस' जैसे समाचार पत्र को भी अमरीकी साम्राज्यवाद की भर्त्सना करनी पड़ी। इस पत्र के पहली जुलाई के सम्पादकीय में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का वाशिंगटन का ऐतिहासिक तरीका उन्हें विभाजित करने का है। वियतनाम और चीन को दो भागों में विभाजित किया गया। यही नहीं, कोरिया और जर्मनी को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ब्रिटिश सरकार भारतीय उप-महाद्वीप का पाकिस्तान और भारत में पहले ही विभाजन कर चुकी थी।

ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की फिर से सप्लाई जारी करना सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। इससे दक्षिण अफ्रीका और नाम्बिया की जनता का जाति भेद की नीति अपनाने वाली और उपनिवेशवादी सरकार द्वारा शोषण और दमन होता है। यही नहीं, यह कार्यवाही अंगोला, जिम्बावे, मोजाम्बिक और गिनीबिस्साओ की जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के भी विरुद्ध है। इससे विश्वशांति को खतरा है।

विश्व के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को कुचलने के साम्राज्यवादी प्रयासों के बावजूद भी इन आन्दोलनों में नव शक्ति का संचार हुआ है। क्यूबा ने, जो मुश्किल से अमरीकी तट से केवल 150 किलोमीटर दूर है, अमरीका के षडयंत्रों के बावजूद समाजवादी क्रांति का झण्डा बुलन्द कर रखा है। लैटिन अमरीका भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया है और वह वाशिंगटन के पंजों से फिसलता दीख रहा है। वियतनाम और मध्य पूर्व में अमरीकी साम्राज्यवाद की योजनायें विफल हो रही हैं। वियतनाम युद्ध के कारण अमरीकी राष्ट्र के अन्दर भारी मतभेद पैदा हो गये हैं। अमरीकी समाचार पत्रों ने अभी हाल में वियतनाम युद्ध के बारे में जिन

[श्री ए० के गोपालन]

रहस्यों का उद्घाटन किया है, उनसे संसार के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि अमरीका विश्व की जनता के समक्ष घोर अपराधी है ।

[श्री सेझियान पीठासीन हुये
Shri Sezhiyan, in the chair]

सभापति महोदय: श्री गोपालन अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी ।

टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर*

*TEST BREEDER REACTOR

श्री समरगुह (कन्टाई): गत वर्ष 25 जुलाई को सरकार ने यह घोषणा की थी कि हमारा अणु ऊर्जा आयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति के विस्फोट के अध्ययन में रुचि रखता है और मेरे प्रश्न के उत्तर में भी वही बात बताई गई है ।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि बड़े टैस्ट रिएक्टर की डिजायन तैयार कर ली गई है । वे इसे कब चालू करने जा रहे हैं । कलपक्कम रिएक्टर कब तक तैयार हो जायेगा। भारत के पास थोरियम के विशाल भण्डार हैं और इसका उपयोग यू-233 के उत्पादन में होता है । शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोटों के लिए हमारे रिएक्टर में नाभिकीय आइसोटोपों के रूप में इनका प्रयोग हो सकता है और विश्व शक्तियों पर हम आश्रित नहीं रहेंगे।

हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि तेल की खोज अथवा रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदलने जैसे नाभिकीय इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए अणु शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व नीभिकीय विस्फोट की इस स्थिति का सरकार कब तक अध्ययन करती रहेगी । यह तो स्पष्ट है ही कि जब तक हम प्राथमिक प्रयोग नहीं करते, तब तक नाभिकीय इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग संभव नहीं है । प्राथमिक प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

समस्त विश्व इस बात को जानता है कि हमारे देश में नाभिकीय विस्फोट के बारे में तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है । भारत ने नाभिकीय ईंधन का भी उत्पादन किया है, परन्तु कनाडा के साथ किये गये करार के अनुसार, हम उस नाभिकीय ईंधन का, जो कि हमें अपने रिएक्टरों से मिलना है, किसी विस्फोट के लिए प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है ।

जब 1954 में कनाडा के साथ यह करार किया गया था, तो उस समय कृषि विकास जैसे शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नाभिकीय विस्फोट करने की बात सोची ही नहीं गई थी । पिछले

*आधे घंटे की चर्चा Half an hour discussion

10 अथवा 15 वर्षों में ही नाभिकीय इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की संकल्पना विकसित हुई है। अतः कनाडा के साथ किया गया करार अब लागू नहीं होता, क्योंकि हम उस ईंधन का आणविक अस्त्र बनाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ।

अन्य देशों में भी अभी हाल में यह बात उठाई गई है कि आणविक ईंधन का प्रयोग अगर शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो आणविक ईंधन के प्रयोग पर लगाई गई रोक आणविक विस्फोट प्रौद्योगिकी के प्रारम्भिक परीक्षणों में बाधक नहीं होनी चाहिए। अतः सरकार को कनाडा से कहना चाहिए कि तकनीकी अथवा करार सम्बन्धी कारणों से हम उस ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, परन्तु हमें शांतिपूर्ण विस्फोटों के लिए इसका प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए।

हम सदन के अन्दर और उसके बाहर सरकार से बराबर अनुरोध करते रहे हैं कि जब तक हम सामरिक महत्व के अणु अस्त्र नहीं बनायेंगे, तब तक हमें अपने आपको शक्तिशाली चीन के खतरे से बचाना असम्भव होगा । सरकार ने आज ही बताया है कि चीन प्रतिवर्ष 40 अणु बम बना सकता है और उसके पास 150 अणु बम पहले से ही मौजूद हैं । उसके पास कुछ ताप-नाभिकीय बम भी हैं और उसने दूर मारक प्रक्षेपास्त्र भी बना लिये हैं।

रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि विश्व शक्तियों ने भी अपने परम्परागत अस्त्रों को सुदृढ़ करने के लिए सामरिक महत्व के इन अस्त्रों का निर्माण किया है । जापान द्वारा प्रकाशित श्वेतपत्र में यह बात बताई गई है कि वह भी इन अस्त्रों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है और अमरीका के साथ संधि इसमें बाधक नहीं है । यदि चीन ने अणु अस्त्रों का प्रयोग परम्परागत हथियारों के रूप में किया तो इसका क्या परिणाम होगा ? हमारे हिमालय के दर्रे और सेना के बहुत से डिवीजन पूरी तरह से उड़ा दिये जायेंगे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर वह चीन की चुनौती का मुकाबला करना चाहती है तो सामरिक महत्व के उसे अणु अस्त्र बनाने सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए ।

25 लाख की आबादी वाले इसराइल जैसे छोटे देश, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम जर्मनी ने भी रण नीति के आणविक अस्त्रों का निर्माण कर लिया है ।.हमारी सरकार को सामरिक महत्व के अणु अस्त्रों और तकनीकी अणु अस्त्रों में अन्तर समझ लेना चाहिए। तकनीकी अणु अस्त्रों का प्रयोग सीमित युद्ध में किया जाता है। अगर सरकार चीन के खतरे का मुकाबला करना चाहती है, तो उसे टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करना चाहिए और थोरियम के संसाधनों का प्रयोग यू-233 के निर्माण में किया जाना चाहिए ताकि हम आत्म-निर्भर हो सकें।

अणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों ने सराहनीय कार्य किया है। सरकार को ही अपनी नीति का निर्धारण करना है । सरकार को कनाडा के साथ किये गये करार पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह रद्द किया जा सकता है । क्या हम यू-233 के निर्माण के लिए अपने थोरियम के संसाधनों को शीघ्र ही प्रयोग में ला सकते ह। ताकि हम इसका उपयोग या तो शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अथवा तकनीकी आणविक हथियारों के बनाने में कर सकें और इस क्षेत्र में आत्म निर्भर हो सकें ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सदन इस बात को जानता है कि अणु ऊर्जा के विषय में श्री समरगुप्त की काफी रुचि है । पिछले वर्ष भी उन्होंने दो बार इस विषय

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

पर चर्चा आरम्भ की थी । नाभिकीय इंजीनियरी प्रौद्योगिकी से माननीय सदस्य का मतलब मेरे विचार में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणु ऊर्जा के प्रयोग से है ।

यह सच है कि सरकार का दृष्टिकोण अणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने का है । विश्व की जनता और विशेषरूप से वैज्ञानिक अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं । वे आणविक उपकरणों के प्रयोग में निहित वातावरण सम्बन्धी खतरों, पर्यावरण खतरों और रेडियोधर्मी अपमिश्रण के खतरों से विशेषरूप से चिन्तित हैं । यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि वे देश भी जिन्होंने इस टैकनॉलोजी को विकसित कर लिया है और जो इन युक्तियों को कई वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं, वे भी व्यापारिक या शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति का उपयोग सावधानी से कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया है कि ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण कर लिया गया है । यह अत्यधिक सन्तोष की बात है कि हमारे देश में काफी मात्रा में थोरियम है, जिनका टैस्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए प्रयोग किया जा सकता है और जो हमारे लिए अणु ईंधन का स्रोत हो सकता है । अतः हमारी निस्संदेह ऐसे प्रयोग करने में रुचि है, जिनसे इन भंडारों का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए, उपयोग किया जा सके। फास्ट-ब्रीड टैस्ट रिएक्टर में थोरियम का विकीरण किया जायगा और उससे यू-233 का उत्पादन किया जायगा। इसके अतिरिक्त अणु ईंधन-सामग्री के रूप में रखा जायेगा ।

यह सच है कि आणविक ऊर्जा का उपयोग विभिन्न लाभप्रद प्रयोजनों अर्थात् मरुस्थल को उर्वरा भूमि में बदलने, पर्वतों पर सड़कें बनाने और नदियों का बहाव बदलने इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इन सबकी रोमांचकारी संभावनाएं हैं; परन्तु अब तक टेक्नोलौजी ने जितना विकास किया है, उसमें वातावरण में आणविक विस्फोट करने के रेडियो धर्मिता आदि के गम्भीर खतरे भी हैं ।

इसलिए अब तक सभी प्रयोग भूमिगत किये गए हैं। अणु-प्रसार रोक संधि के अन्तर्गत कोई भी भूमि तल या वातावरण में अणु-विस्फोट नहीं करना चाहेगा अथवा रेडियोधर्मिता फैलने का खतरा उत्पन्न हो जायेगा । भूमिगत प्रयोग करने का कारण यह भी है कि विषैले रेडियोधर्मी तत्वों के फैलाव को रोकने की पृथ्वी के अन्दर प्राकृतिक शक्ति होती है जबकि भूमि तल के ऊपर वे अधिक सरलता से फैल सकते हैं ।

भूमिगत अणु विस्फोट करने का एक अन्य कारण यह भी है कि विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के कारण विस्फोट स्थान के आस पास की चट्टानें पिघलकर वाष्पीकृत हो जाती हैं और बड़े भूमिगत विस्फोट की स्थिति में ये चट्टानें सैकड़ों मीटर के क्षेत्रफल में पिघल कर वाष्प बन सकती हैं और इस प्रक्रिया से भूमि के अन्दर बहुत बड़े क्षेत्र में गुफा बन जाती है । अगर ये भूमिगत गुफायें अभेद्य चट्टानों से घिरी हों, तो इन गुफाओं में प्राकृतिक गैस, पानी अथवा तेल का संचय किया जा सकता है। इस संग्रहीत जल, गैस अथवा तेल का भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान में वर्षा का पानी इस प्रकार की गुफा में संग्रह करके पीने और सिचाई के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चट्टानों को तोड़कर खनिजों को आसानी से निकाला जा सकता है। ताम्बा और निकिल धातुओं को भी इस प्रक्रिया से निकाला जा सकता है।

श्री समरगुह ने कार्य पूरा होने में विलम्ब का जिक्र किया है। जहां तक समय का प्रश्न है, हमें कोई विशिष्ट परीक्षण करने से पूर्व अनेक व्यापक सर्वेक्षण और आर्थिक मूल्यांकन करने होते हैं। विस्फोट में सबसे बड़ा वातावरण सम्बन्धी खतरा यह होता है कि भूमि के अन्दर कई जल-प्रवाह होते हैं और हमें यह पूर्णतः सुनिश्चित करना होता है कि विस्फोट से भूमिगत जल कहीं विषैला न हो जाय। कुछ आइसोटोपों की सहायता से भूमिगत जल की धारा का अध्ययन किया जा रहा है। इसी प्रकार भूकम्प सम्बन्धी गतिविधियों का भी अध्ययन करना होता है अगर भू-कम्पन के खतरों से बचना है, तो भूगर्भीय संरचनाओं का भी अध्ययन करना होगा। अणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए सभी सम्बद्ध सूचना एकत्रित करने में हमारे वैज्ञानिक व्यस्त हैं।

मेरे माननीय मित्र ने आइसोटोपों का कृषि, औषधि आदि के क्षेत्र में प्रयोग करने का उल्लेख किया है। करार में इस पर कोई रोक नहीं है। मैं करारों आदि के बारे में कोई वाद-विवाद नहीं उठाना चाहता।

श्री समरगुह: मेरा निवेदन तो यह है कि कनाडा के साथ हुए करार पर पुनर्विचार किया जाय। कनाडा के रिएक्टरों से जो ईंधन हमें मिलता है, उसका शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मेरे माननीय मित्र और हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की थी। हम अणु ऊर्जा के शांति पूर्ण प्रयोग पर विचार कर रहे हैं। आणविक अस्त्रों आदि बातों को उठाकर उन्होंने विषय को दुरूह बना दिया है। मेरी कठिनाई को वह भी समझते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास इतना तकनीकी ज्ञान है कि किसी भी समय हम अणु बम को बना सकें और उसका विस्फोट कर सकें। क्या कलपक्कम में स्थापित हो रहे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए तकनीकी ज्ञान हमारे पास है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जहां तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सम्बन्ध है शीघ्र ही इस का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। समय अपेक्षित प्रारम्भिक कार्यवाही करदी गई है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि खतरों के बगैर और आर्थिक रूप से किफायती हो, तो हम अणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करने के विरुद्ध नहीं है।

[इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 5 जुलाई 1971/14 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, July 5, 1971/ Asadha 14, 1893 (Saka)]

MGIPRRND--S II--10 LSS/71--23-10-71--490

PLS IV.30.71 (N)
490

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI-6, 1971.